

1986

25 वीं वार्षिक रिपोर्ट

25TH ANNUAL REPORT

निक्षेप बीमा एवं

प्रत्यय गारंटी निगम

DEPOSIT INSURANCE AND

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(संसद के अधिनियम द्वारा स्थापित)

न्यू इंडिया सेन्टर, 17 कूपरेज रोड,
बम्बई-400 039

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION

(Established by Act of Parliament)

Head Office : 6th Floor, New India Centre,
17, Cooperage Road, Bombay 400 039

25 वीं वार्षिक रिपोर्ट

31 दिसम्बर 1986 को समाप्त हुए
वर्ष के लिए निदेशकों की रिपोर्ट,
तुलन-पत्र और लेखे

25th Annual Report of the Directors,
Balance Sheet and Accounts
for the year ended the 31st December 1986

प्रेषण पत्र

(भारतीय रिज़र्व बैंक को)

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1976,
बम्बई-400 039
बीएस/ 45 /डीआइसीजीसी (बी)/87
24 मार्च 1987

सचिव,
भारतीय रिज़र्व बैंक,
सचिव विभाग,
केन्द्रीय कार्यालय,
नया केन्द्रीय कार्यालय भवन,
बम्बई-400 023।

प्रिय महोदय,

वर्ष 1986 के लिए तुलनपत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32(1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेज़ भेजने का निदेश दिया है:

- (i) 31 दिसम्बर 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए परीक्षकों की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति सहित निगम के लेखा परिक्षित तुलनपत्र और लेखों की एक हस्ताक्षरित प्रति; और
- (ii) वर्ष 1986 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट की एक हस्ताक्षरित प्रति

भवदीय

ह/-

(कु. आई.टी. वाज़)

महा प्रबंधक

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Reserve Bank of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/45/BS.50(B)-87

March 24, 1987

The Secretary,
Reserve Bank of India,
Secretary's Department,
Central Office,
New Central Office Building,
Bombay 400 023.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for the year 1986

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith the following documents:

- (i) a signed copy of the audited Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December 1986, together with signed copy of the Auditors' Report; and
- (ii) a signed copy of the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1986.

Yours faithfully,

Sd/-

(Kum. I.T. Vaz)

General Manager.

(प्रेषण पत्र)
(भारत सरकार को)

निकोप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

न्यू इंडिया सेंटर,
17, कूपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076,
बम्बई-400 039

बीएस/ 787 /डीआइसीजीसी.50(सी)/87

24 March 1987

सचिव,
भारत सरकार, वित्त मंत्रालय,
आर्थिक कार्य विभाग,
(बैंकिंग प्रभाग)
"जीवन दीप" बिल्डिंग,
संसद मार्ग,
नयी दिल्ली-110 001
प्रिय महोदय,

वर्ष 1986 के लिए तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट

मुझे निदेशक बोर्ड ने इस पत्र के साथ निकोप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 32 (1) के उपबंधों के अनुसरण में निम्नलिखित दस्तावेजों की एक-एक हस्ताक्षरित प्रति भेजने का निदेश दिया है:

- (i) 31 दिसम्बर 1986 को समाप्त हुए वर्ष के लिए लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट सहित निगम के तुलन-पत्र तथा लेसे; और
- (ii) वर्ष 1986 के लिए निगम के कामकाज के संबंध में निदेशक बोर्ड की रिपोर्ट ।

2. उक्त तुलन-पत्र और वार्षिक रिपोर्ट की प्रतियाँ भारतीय रिज़र्व बैंक को प्रस्तुत की गयी हैं । उनकी तीन अतिरिक्त प्रतियाँ इस पत्र के साथ भी भेजी जा रही हैं ।

3. कृपया हमें उक्त अधिनियम की धारा 32(2) के अधीन संसद के प्रत्येक सदर (अर्थात् लोक सभा और राज्य सभा) में दस्तावेज प्रस्तुत किये जाने की तारीख/तारीखें सूचित करें ।

भवदीय
ह/-
(कु.आई.टी. वाज़)
महा प्रबंधक

LETTER OF TRANSMITTAL

(To the Government of India)

DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT
GUARANTEE CORPORATION

New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

DICGC/787/BS.50(C)/87

March 24, 1987

The Secretary to the Government of India,
Ministry of Finance,
Department of Economic Affairs,
(Banking Division),
Jeevan Deep Building,
Parliament Street,
New Delhi - 110 001.

Dear Sir,

Balance Sheet and Annual Report for the year 1986

In pursuance of the provisions of Section 32(1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, I am directed by the Board of Directors to forward herewith a signed copy each of:

- (i) the Balance Sheet and Accounts of the Corporation for the year ended the 31st December 1986 together with the Auditor's Report; and
- (ii) the Report of the Board of Directors on the working of the Corporation for the year 1986.

2. Copies of the above Balance Sheet and Annual Report have been furnished to the Reserve Bank of India. Three extra copies thereof are also sent herewith.

3. We may kindly be advised of the date/s on which the above documents are placed before each House of Parliament (viz., the Lok Sabha and Rajya Sabha), under Section 32(2) of the Act, *ibid*.

Yours faithfully,
Sd/-
(Kum. I.T. Vaz)
General Manager

प्रयोजन और उद्देश्य

जमा बीमा निगम की स्थापना पहली जनवरी 1962 को संबद्ध संसद के एक अधिनियम द्वारा की गयी थी। इस निगम ने रिजर्व बैंक द्वारा 14 जनवरी 1971 को शुरू की गयी सार्वजनिक सीमित कंपनी भारतीय ऋण गारंटी निगम लिमिटेड को 15 जुलाई 1978 से अपने अधिकार में ले लिया जिससे कि एक ही प्रकार के परस्पर संबद्ध कार्यों अर्थात् बैंकों के छोटे जमाकर्ताओं को संरक्षण प्रदान करने और समाज के कमजोर वर्गों के छोटे ऋणकर्ताओं को गारंटी रक्षा देने के कार्यों को समन्वित किया जा सके। इस प्रकार दो संगठनों के एकीकरण के बाद निगम का नाम बदलकर निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम रखा गया। लघु उद्योगों को दिये गये ऋणों के लिए भी गारंटी सहायता देना शुरू किया।

इसका जुड़वा उद्देश्य विशेषतः छोटे जमाकर्ताओं को उनके बचत जमाकायियों को किसी बैंक के असफल होने को बीमा प्रदान करना तथा सहभागी बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा (क) छोटे ऋणकर्ताओं (जैसे कृषक, परिवहन चालक, फुटकर व्यापारी, छोटे कारोबारी उद्यम, स्वनियोजित व्यक्ति आदि) और (ख) लघु उद्योगों को दिये गये ऋण के लिए गारंटी सहायता प्रदान करना। इस समय, योजना में भाग लेनेवाले वाणिज्य बैंकों (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों तथा अन्य सावधि ऋण देनेवाली संस्थाओं द्वारा दिये जानेवाले ऋण के लिए गारंटी सहायता दी जाती है। यह गारंटी सहायता मुख्यतः छोटे तथा कमजोर ऋणकर्ताओं और पिछड़े हुए क्षेत्रों में स्थापित लघु उद्योग यूनिटों के लिए है।

जमा बीमा और गारंटी के लिए निगम ने अलग-अलग निधियाँ बनायी हैं। इन निधियों में प्राप्त होनेवाले प्रीमियम तथा गारंटी शुल्क की राशियाँ जमा की जाती हैं और इनका उपयोग केवल संबंधित दावों के निपटान के लिए ही किया जाता है। इसके अतिरिक्त एक अन्य निधि अर्थात् सामान्य निधि भी बनायी गयी है जिसमें निगम

Objects and Purpose

The Deposit Insurance Corporation was established by an Act of Parliament on 1 January 1962. With effect from 15 July 1978 it took over the undertaking of the Credit Guarantee Corporation of India Limited - a public limited company promoted by Reserve Bank of India on 14 January 1971 - with a view to integrating the twin and cognate functions of giving protection to small depositors in banks and providing guarantee cover to credit facilities extended to certain categories of small borrowers particularly those belonging to the weaker sections of society. With the integration of the two organisations, the Corporation was renamed as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation. From 1 April 1981, it extended its guarantee support to credit granted to small-scale industries also, after cancellation of the Government of India's scheme in that behalf.

Its twin objectives are to provide protection, particularly to smaller depositors, from the risk of loss of their savings in the event of any bank failure, and to provide guarantee support to credit extended by participating banks and other financial institutions to (a) certain categories of small borrowers (such as farmers, transport operators, retail traders, small business enterprises, self-employed persons etc.) and (b) small-scale industries. Presently, credit extended by commercial banks (including regional rural banks), co-operative banks, state financial corporations and other term lending institutions participating in the Schemes are provided guarantee support. The guarantee support is weighted in favour of smaller and weaker borrowers and small-scale industrial units established in backward areas.

The Corporation maintains separate funds for Deposit Insurance and for Credit Guarantee which are funded by the premia and guarantee fees received and are utilised exclusively for meeting the respective claims. Besides, another fund called General Fund is maintained in which the capital of the Corporation is held and the staff establishment

की पूंजी रखी गयी है, तथा इस निधि से होनेवाली निवेश आय से, स्टाफ स्थापना संबंधी व्यय तथा प्रशासनिक किये जाते हैं।

निगम की प्रतिकृत पूंजी 50 करोड़ रुपये है जो पूर्णतः भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निर्गमित और अभिदत्त है।

निगम के प्रबंध का भार निदेशक बोर्ड को दिया गया है जिसमें नौ सदस्य होते हैं। इनमें से भारतीय रिज़र्व बैंक का एक उप गवर्नर बोर्ड का अध्यक्ष होता है। एक कार्यपालक समिति और एक दावा समिति बोर्ड की सहायता करती है। निगम का महाप्रबंधक इसका मुख्य कार्यपालक होता है।

निगम का प्रधान कार्यालय बंबई में है। इसकी चार शाखाएं बंबई, कलकत्ता, मद्रास तथा नयी दिल्ली में हैं। निगम की कोई सहायक या संबद्ध संस्था नहीं है।

and administrative expenses are met from the investment income out of this fund.

The authorised capital is Rs.50 crores which is entirely issued and subscribed by Reserve Bank of India.

The management vests in a Board of Directors comprising of nine members of which a Deputy Governor, Reserve Bank of India is the Chairman. It is assisted by a Claims Committee. The General Manager of the Corporation is its Chief Executive.

The Head Office of the Corporation is at Bombay. It has four branches at Bombay, Calcutta, Madras and New Delhi.

प्रगति एक दृष्टि में
Progress at a Glance

(रशि करोड रुपयों में)
(Amount in Crores of rupees)

वर्ष के अंत में At year-end	1962	1967	1972	1977	1982	1986
1. पूंजी Capital	1.0	1.0	1.5	2.0	15.0	50.0
2. निक्षेप बीमा Deposit Insurance						
(i) जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	0.9	8.6	25.4	62.7	177.0	283.8
(ii) बीमाकृत बैंक Insured banks	276	91	476	975	1,736	1,859
(iii) निर्धारणीय जमाराशियां Assessable Deposits	1,895.3	5,447.9	9,810.8	19,892.5	42,360.4	86,214.0
(iv) बीमाकृत जमाराशियां Insured Deposits	448.0	3,410.6	5,850.0	14,155.3	31,773.9	62,878.1
(v) खातें (लाखों में) Accounts (in lakhs)	77.0	239.8	312.1	855.4	1,598.2	2,359.6
(vi) रक्षित खातें (लाखों में) Fully Protected Accounts (in lakhs)	59.8	230.4	299.9	840.4	1,581.0	2,320.1
(vii) अदा किये गये दावे Claims paid	—	0.57	1.1	1.2	3.0	15.3

प्रगति एक दृष्टि में
Progress at a Glance

(रुशि करोड रुपयों में)
(Amount in Crores of rupees)

वर्ष के अंत में At year-end	1962	1967	1972	1977	1982	1986
3. प्रत्यय गारंटी Credit Guarantee						
(i) ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	—	—	0.4	19.4	117.1	187.8
(ii) गारंटीकृत अग्रिम (जून के अंत में) Guaranteed Advances (June end)						
क. छोटे उधारकर्ताएं Small Borrowers	—	—	208.4	1,330.7	4,839.9	10,446.0
ख. लघु उद्योग Small-Scale Industries	—	—	—	—	3,822.1	7,497.5
(iii) प्राप्त दावे (वर्ष के लिए) Claims Received (For the year)						
क. छोटे उधारकर्ताएं Small Borrowers	—	—	—	4.4	24.7	140.9
ख. लघु उद्योग Small-Scale Industries	—	—	—	—	9.4	104.9
(iv) निपटाये गये दावे (वर्ष के लिए) Claims Disposed						
क. छोटे उधारकर्ताएं Small Borrowers	—	—	—	2.6	14.5	176.4
ख. लघु उद्योग Small-Scale Industries	—	—	—	—	2.1	67.1

निदेशक बोर्ड

अध्यक्ष

डॉ. पी. डी. ओझा

उप गवर्नर, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

निदेशक

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6(1) (ख) के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा नामित

यू. के. शर्मा

कार्यपालक निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, बम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (ग) के अधीन नामित

ए. के. अग्रवाल

संयुक्त सचिव, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय, आर्थिक कार्य विभाग (बैंकिंग प्रभाग), नई दिल्ली
निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1) (घ) के अधीन नामित

एस. वी. घाटलिया

सनदी लेखाकार, बम्बई
(16 जून 1986 तक)

पी. ए. नायर

सनदी लेखाकार, बम्बई
(17 जून 1986 से)

आर. वी. माधव राव

(13 मई 1986 तक)

सी. एन. एस. शास्त्री

(14 मई 1986 से)

प्रबंध निदेशक, जनरल इन्शोरेंस कांपरिशन ऑफ इंडिया, बम्बई

निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 6 (1)(ङ) के अधीन नामित

एस. एस. नाडकर्णी

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, भारतीय औद्योगिक विकास बैंक बम्बई

एस. पी. सेनगुप्ता

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, यूको बैंक, कलकत्ता
(15 जुलाई 1986 तक)

BOARD OF DIRECTORS

CHAIRMAN

Dr. P. D. OJHA

Deputy Governor, Reserve Bank of India, Bombay

DIRECTORS

Nominated by the Reserve Bank of India under Section 6(1)(b) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

U. K. SARMA

Executive Director, Reserve Bank of India, Bombay

Nominated under Section 6(1)(c) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

A. K. AGARWAL

Joint Secretary, Government of India, Ministry of Finance, Department of Economic Affairs, (Banking Division), New Delhi

Nominated under Section 6(1)(d) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. V. GHATALIA

Chartered Accountant, Bombay
(Till 16 June 1986)

Shri P. A. NAIR

Chartered Accountant, Bombay
(From 17 June 1986)

R. V. MADHAVARAO

(Till 13 May 1986)

C.N.S. SHASTRI

Managing Director, General Insurance Corporation of India, Bombay
(From 14 May 1986)

Nominated under Section 6(1)(e) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.

S. S. NADKARNI

Chairman & Managing Director, Industrial Development Bank of India, Bombay

S.P. SEN GUPTA

Chairman & Managing Director, UCO Bank, Calcutta
(Till 15 July 1986)

के. डी. नायर

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक,
युनायटेड बैंक ऑफ इंडिया कलकत्ता
(10 फरवरी से)

ए. एस. पुरी

प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई
(3 जुलाई 1986 तक)

सी. एस. कल्याणसुंदरम

प्रबंध निदेशक, भारतीय स्टेट बैंक, बम्बई
(8 अक्टूबर 1986 से)

एच. के. सामल

सहकर्मी, उड़ीसा

SHRI K.D. NAYAR

Chairman & Managing Director
United Bank of India, Calcutta
(From 10 February 1987)

A. S. PURI

Managing Director, State Bank of India, Bombay.
(Till 3 July 1986)

C. S. KALYANASUNDARAM

Managing Director,
State Bank of India, Bombay
(From 8 October 1986)

H. K. SAMAL

Co-operator, Orissa.

निगम के कार्यालय

प्रधान कार्यालय

न्यू इंडिया सेंटर
17, कोपरेज रोड,
पोस्ट बॉक्स सं. 1076
बंबई-400 039

महाप्रबंधक का सचिवालय
तथा बोर्ड अनुभाग
उप महाप्रबंधक

कम्प्यूटर प्रभाग
लघु उद्योग ऋण गारंटी विभाग

नावेल्टी चेम्बर्स
4 थी, 5 वीं, 6 ठी और 8 वीं मंजिल,
ग्रान्ट रोड, पोस्ट बॉक्स सं. 4095
बंबई-400 007

उप महा प्रबंधक
जमा बीमा विभाग
गैर औद्योगिक ऋण गारंटी विभाग
लेखा विभाग
प्रशासन विभाग
सहकारी ऋण गारंटी अनुभाग

शाखाएं
(1) बंबई
इरोज बिल्डिंग,
5 वीं मंजिल,
चर्चगेट,
बंबई-400 020

(2) कलकत्ता
8, काउन्सिल हाउस स्ट्रीट,
(पहली मंजिल) पोस्ट बॉक्स सं. 17
कलकत्ता-700 001

OFFICES OF THE CORPORATION

HEAD OFFICE
New India Centre,
17, Cooperage Road,
Post Box No. 1076,
Bombay 400 039.

टेलीफोन
Tel. Nos.

तार
Telegram
'क्रेडिटगार्ड'
'Creditgard'

General Manager's
Secretariat and Board
Section
Dy. General Manager

202-7323
202-2408

Computer Division
SSI Credit Guarantee
Department

202-0299

Novelty Chambers
4th, 5th, 6th & 8th Floors,
Grant Road,
Post Box No. 4095,
Bombay 400 007.

'डिपॉजिटिस'
'Depositins'

Dy. General Manager
Deposit Insurance
Department
Non-Industrial Credit
Guarantee Department
Accounts Department
Administration
Department
Co-operative Credit
Guarantee Section

892364
395972
395973
395974
395975

BRANCHES

(1) BOMBAY

Eros Building, 5th Floor,
Churchgate,
Bombay 400 020.

222321

'क्रेडिटगार्ड'
'Creditgard'

(2) CALCUTTA

8, Council House Street,
(First Floor),
Post Box No. 17,
Calcutta 700 001.

281154
206029

'डिसिंग्गर'
'Disinguar'

(3) मद्रास

कुगलगम बिल्डिंग,
तीसरी मंजिल, एस्प्लेनेड,
पोस्ट बाक्स सं. 5021,
मद्रास- 600 018

(4) नयी दिल्ली

भारतीय रिज़र्व बैंक,
6, संसद मार्ग,
पोस्ट बाक्स सं. 123
नयी दिल्ली-110 001

(3) MADRAS

Kuralagam Building,
3rd Floor, Esplanade,
Post Box No. 5021,
Madras 600 108.

560524 'क्रेडिटगार्ड'
560239 'Creditgard'

(4) NEW DELHI

Reserve Bank of India,
6, Sansad Marg,
Post Box No. 123,
New Delhi 110 001.

386487 'डिपॉज़िटिस'
383901 'Depositins'

निगम के प्रमुख अधिकारी

महा प्रबंधक

कु. आई. टी. वाज

उप महा प्रबंधक

श्री. एम. एल. मेठ

श्री. पी. कृष्णमूर्ति

अन्य अधिकारी

प्रबंधक

श्री एस. टी. खान्ज़ोडे

श्री जे. फोन्सेका

श्री जी. एस. कुलकर्णी

श्रीमती एम. ए. मालशे

श्री व्ही. व्ही. हेरवाडकर

श्री एन. के. शाहा

श्री के. एल. खेतरपाल

श्री एम. सी. बालकृष्णन

मुख्य लेखाकार

श्री पी. के. नंदी

सचिव

श्री पी. टी. कुरियन

शाखा प्रबंधक

बम्बई

श्री ओ. पी. अरोड़ा

कलकत्ता

श्री एस. पी. चटर्जी

मद्रास

श्री वाई. एस. पी. थोरात

नई दिल्ली

श्री बी. आर. वर्मा

बैंकर

भारतीय रिज़र्व बैंक

PRINCIPAL OFFICERS OF THE CORPORATION

GENERAL MANAGER

Ms. I. T. Vaz

DY. GENERAL MANAGERS

Shri M. L. Seth

Shri P. Krishnamurthy

OTHER OFFICERS

MANAGERS

Shri S. T. Khanzode

Shri J. Fonseca

Shri G. S. Kulkarni

Smt. M. A. Malshe

Shri V. V. Herwadkar

Shri N. K. Shaha

Shri K. L. Khetarpaul

Shri M. C. Balakrishnan

CHIEF ACCOUNTANT

Shri P. K. Nandi

SECRETARY

Shri P. T. Kurien

BRANCH MANAGERS

BOMBAY

Shri O. P. Arora

CALCUTTA

Shri S. P. Chatterjee

MADRAS

Shri Y.S.P. Thorat

NEW DELHI

Shri B. R. Verma

BANKERS

RESERVE BANK OF INDIA

लेखा परीक्षक

मेसर्स ए. जे. शाह एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार
फोर्ट चेंबर्स, "सी" ब्लॉक
65, टेमरिंड लेन, फोर्ट,
बम्बई- 400 023

AUDITORS

M/s. A. J. Shah & Co.
Chartered Accountants,
Fort Chambers,
'C' Block, 65, Tamarind Lane,
Fort, Bombay-400 023.

31 दिसम्बर 1986 को समाप्त वर्ष के लिए निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम के काम-काज की रिपोर्ट

निदेशक बोर्ड निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 32(1) के अनुसार इसके साथ 31 दिसम्बर 1986 को समाप्त वर्ष के लिए निगम की 25 वीं वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता है.

परिणाम - परिदृश्य

2.1. निक्षेप बीमा निगम की 1961 में स्थापना और उसके बाद भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम लिमिटेड का 1987 को अपने हाथ में लेने के बाद से निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम बैंकों के छोटे जमा-कर्ताओं को बीमा संरक्षण प्रदान करने और छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों को बैंकों और अनुमोदित वित्तीय संस्थाओं द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधाओं के लिए गारंटी समर्थन (सपोर्ट) प्रदान करने के दोहरे कार्य कर रहा है. जमा बीमा योजना के अलावा, निगम पांच ऋण योजनाएँ चला रहा है. इनमें से चार छोटे जमाकर्ताओं के लिए है. (और वे क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों और राज्य वित्तीय निगमों सहित वाणिज्य बैंकों द्वारा वित्त पोषित है) तथा उनके अंतर्गत कार्य-कलापों का व्यापक क्षेत्र आता है तथा एक योजना लघु औद्योगिक यूनिटों के लिए है (और वह उपर्युक्त सभी ऋण संस्थाओं द्वारा वित्तपोषित है.

2.2 वर्ष 1961 में 1,500 रुपयों की जो जमाराशियाँ बैंकों के कुल जमाखातों तथा कुल निर्धारणीय जमाराशियों के 23.1% का प्रतिनिधित्व करनेवाली 392 करोड़ रुपयों की बीमाकृत जमाराशियों के 78.5% का निर्माण करने वाले 55 लाख खातों को अपने अंतर्गत लाकर छोटी सी शुरुआत करके पिछले 25 वर्षों के कालांतर में निगम ने प्रभावशाली वृद्धि की है और उसने क्रमशः बीमा सुरक्षा की राशि को बढ़ाकर 30,000/- रुपये कर दिया था और उसकी सुरक्षा के अंतर्गत 2,320 लाख खाते आते हैं जिनके अंतर्गत 62,878 करोड़ रुपयों की एसी बीमाकृत जमाराशियाँ आती हैं जो बैंकों की कुल निर्धारणीय जमाराशियों का 72.9 प्रतिशत होती है. आलोच्य वर्ष के दौरान निगम के अंतर्गत आनेवाले बीमाकृत बैंकों की संख्या 1,837 से बढ़कर 1,859 हो गई है. बीमाकृत जमाराशियों में 11.9 प्रतिशत की वृद्धि हुई है और वे बढ़कर 62,878.13 करोड़ रुपये हो गई है तथा पूरी तरह संरक्षित जमा खातों में 8.2% की बढ़ोतरी हुई है और वे बढ़कर 2,320 लाख हो गये हैं वर्ष 1986 के अंत तक निगम को सूचित किये गये सभी दावों की व्यवस्था करने के बाद जमा बीमा निधि 248.45 करोड़ रुपयों से बढ़कर 283.81 करोड़ रुपये हो

REPORT ON THE WORKING OF THE DEPOSIT INSURANCE AND CREDIT GUARANTEE CORPORATION FOR THE YEAR ENDED 31 DECEMBER 1986.

In terms of Section 32 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors present herewith the 25th Annual Report of the Corporation for the year ended 31 December 1986.

Results - An Overview

2.1 Since the establishment of the Deposit Insurance Corporation in 1961 and its subsequent takeover of the Credit Guarantee Corporation of India Ltd. in 1978, the DICGC has been performing the twin functions of providing insurance protection to small depositors in banks and guarantee support to credit facilities extended by banks and other approved financial institutions to certain categories of small borrowers. Besides the Deposit Insurance Scheme, the Corporation operates five Credit Guarantee Schemes - four for small borrowers (financed by commercial banks including regional rural banks, co-operative banks and state financial corporations) covering a wide range of activities and one for small scale industrial units (financed by all the above credit institutions).

2.2 Starting from small beginnings with an insurance coverage for deposits of Rs.1,500/- in the year 1961 covering 55 lakhs accounts constituting 78.5 per cent of the total deposit accounts in banks and insured deposits of Rs.392 crores forming 23.1 per cent of the total assessable deposits, over the span of the last 25 years, the Corporation has registered an impressive growth and has progressively increased the insurance coverage to Rs.30,000/- covering over 2,320 lakhs accounts constituting 98 per cent of the total deposit accounts with insured deposits of Rs.62,878 crores representing 72.9 per cent of the total assessable deposits in banks. During the year under report, the Corporation increased its coverage of insured banks from 1,837 to 1,859. Insured deposits rose by 11.9 per cent to Rs.62,878.13 crores and the number of fully protected deposit accounts went up by 8.2 per cent to 2,320 lakhs. After providing for all claims intimated to the Corporation till the end of 1986, the Deposit Insurance Fund increased from Rs.248.45 crores

गयी जो कुल बीमाकृत जमाराशियों का 0.45 प्रतिशत होती है।

2.3 जहाँ तक ऋण गारंटी का संबंध है वहाँ तक छोटे उधारकर्ताओं (अर्थात् किसानों, ग्रामीण कारीगरों आदि तथा समाज के अन्य कमजोर वर्गों) को दिये गये जो कुल गारंटीकृत अग्रिम जून 1972 के अंत में 208.39 करोड़ रुपये थे उनमें जून 1986 के अंत में उल्लेखनीय वृद्धि हुई और वे बढ़कर 10,445.97 करोड़ रुपये हो गये तथा उनसे पिछले वर्ष के आंकड़ों में हुई 17.1% अधिक की वृद्धि का पता लगता है तथा वे 1972 से लेकर अबतक हुई पचास गुनी वृद्धि के द्योतक है। इसी प्रकार लघु उद्योगों को दिये गये गारंटीकृत अग्रिम मार्च 1981 के अंत के 3716.43 करोड़ रुपयों से धीरे-धीरे बढ़कर जून 1986 के अंत में 7497.46 करोड़ रुपये हो गये तथा उनमें पिछले वर्ष के आंकड़ों के मुकाबले 38.3 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई।

2.4 इस वर्ष के दौरान निगम को 260.76 करोड़ रुपयों के 6,69,002 दावे प्राप्त हुए जो उनकी संख्या का एक नया कीर्तिमान (रिकॉर्ड) है (जबकि 1985 में इनके मुकाबले 200.97 करोड़ रुपयों के 4,81,029 दावे प्राप्त हुए थे)। इनमें से केवल निगम की योजनाओं के अंतर्गत 245.86 करोड़ रुपयों के 6,64,088 दावे प्राप्त हुए हैं इस वर्ष निगम की पांच योजनाओं और भारत सरकार की लघु उद्योग की (इस बीच रद्द की गई) योजना के अंतर्गत सरकार की ओर से 285.56 करोड़ रुपयों के 6,81,292 की कीर्तिमान संख्या के दावों का निपटान किया गया जिनसे नीचे दर्शाये गये दावों की संख्या में 37 प्रतिशत और राशि में 67 प्रतिशत की वृद्धि का पता लगता है।

to Rs.283.81 crores constituting 0.45 per cent of the total insured deposits.

2.3 As regards the credit guarantee system, the total guaranteed advances to the small borrowers (viz., farmers, village artisans etc. and other weaker sections of the society) which stood at Rs.208.39 crores at the end of June 1972 showed a significant rise to Rs.10,445.97 crores at the end of June 1986 indicating an increase of 17.1 per cent over the figures of the previous year and more than a fiftyfold increase since 1972. Similarly, the guaranteed advances to the small-scale industries steadily increased from Rs.3716.43 crores as at the end of March 1981 to Rs.7497.46 crores at the end of June 1986 registering a rise of 28.3 per cent over the figures of the previous year.

2.4 During the year, the Corporation received a record number of 6,69,002 claims for Rs.260.76 crores (as against 4,81,029 claims for Rs.200.97 crores received in 1985), out of which the claims received under the Corporation's Schemes alone have been 6,64,088 for Rs.245.86 crores. A record number of 6,81,292 claims for Rs.285.56 crores were disposed of both under the Corporation's five schemes and on behalf of Government of India under their Scheme for small-scale industries (since cancelled), as indicated below recording a rise of 37 per cent in number and 67 per cent in amount of such claims disposed of in 1985.

(राशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in crores of rupees)

1. छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावे

Claims under credit guarantee schemes for small borrowers

2. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजनाओं (निगम की तथा भारत सरकार की) के अंतर्गत दावे

Claims under credit guarantee schemes for small-scale industries (Corporation's and Government of India)

जोड़ (1+2) :

Total (1+2)

1986		1985	
संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
6,44,090	176.39	4,66,611	114.45
37,202	109.17	31,388	57.04
6,81,292	285.56	4,97,999	171.49

दावे की निपटान की दर पिछले वर्ष प्राप्त की गई 41500 मासिक दर की तुलना में अब तक की सबसे अधिक दर थी. दिसम्बर 1986 के अंत तक निगम की योजनाओं के अधीन किये गये समस्त दावों की व्यवस्था करने के बाद गारंटी निधि 125.34 करोड़ रुपयों से बढ़कर 187.76 करोड़ रुपये हो गई जो 17943.43 करोड़ रुपयों के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का (पिछले वर्ष 0.85 प्रतिशत के मुकाबले) 1.05 प्रतिशत होती है.

2.5 पिछले वर्षों के दौरान निगम को प्रस्तुत किये गये गारंटी दावों में क्रमिक वृद्धि की प्रवृत्ति परिलक्षित हुई है. दावों के भारी संख्या में किये जाने के कारण बैंकिंग प्रणाली द्वारा प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों तथा भारत सरकार की अन्य गरीबी विरोधी योजनाओं की बढ़ी हुई मात्रा में उधार दिये जाना तथा इस प्रकार के बिखरे हुये उधारों का डूब जाना अपेक्षाकृत भारी मात्रा हो सकती हैं. जून 1986 के अंत में प्राथमिक प्राप्त क्षेत्रों को दिये गये 50,567.34 करोड़ रुपयों के अग्रिम सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा किये गये बैंक ऋण का 43.2% होते हैं। इनमें से कृषि को दिये गये बकाया अग्रिमों की राशि 9315.44 करोड़ रुपये होती है और वह प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये 21,829.56 करोड़ रुपयों के कुल अग्रिमों का 42.7 प्रतिशत होती है. लघु उद्योगों को दिये गये 7836.27 करोड़ के अग्रिम 35.9 प्रतिशत बनते हैं। जिन अन्य प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों में कमजोर वर्ग, छोटे परिवहन चालक, विनियोजित व्यक्ति और ग्रामीण कारीगर शामिल हैं उनको दिये गये अग्रिम जून 1986 के अंत में बढ़कर 4677.85 करोड़ रुपये हो गये और वे प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र के कुल अग्रिमों का 21.4 प्रतिशत होते हैं.

2.6 जहाँ तक सरकारी क्षेत्र के बैंकों के अतिदेयों की स्थिति का संबंध है, वहां तक सकल बकाया अग्रिमों से अतिदेयों का प्रतिशत 1983 के अंत के 12.6 से बढ़कर जून 1986 के अंत में 14.5 हो गया है. प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र को दिये गये उधारों के अंतर्गत अतिदेय इस क्षेत्र के बकाया ऋणों का 20.4 प्रतिशत होते हैं. सरकारी क्षेत्र के बैंकों द्वारा दिये गये प्रत्यक्ष कृषि अग्रिमों की मांग से वसूली का प्रतिशत जून 1986 के अंत में केवल 54.9 था.

2.7 निगम जिस एक अन्य चिंताजनक प्रवृत्ति के कारण काफी उलझनों में अवश्य ही फंसेगा वह देश के लघु उद्योगों में बढ़ती हुई बीमारी का पाया जाना है. 31 दिसम्बर 1985 को बैंकिंग क्षेत्र द्वारा वित्तपोषित यूनिटों की संख्या 1,17,783 यूनिट थी और उनके वित्तपोषण की संबंधित राशि 1,070.67 करोड़ रुपये थी जो 6523.53 करोड़ रुपयों के गारंटीकृत अग्रिमों का 16.4 प्रतिशत होती है.

The claim disposal rate has been at an all time high at 56,774 per month as against 41,500 achieved last year. After providing for all claims lodged under the Corporation's schemes till the end of 1986, the Credit Guarantee Fund increased from Rs. 125.34 crores to Rs.187.76 crores constituting 1.05 per cent (last year 0.85 per cent) of the total guaranteed advances at Rs.17,943.43 crores.

2.5 Over the years the guarantee claims lodged with the Corporation have registered a steadily rising trend. The high incidence of claims may be attributed to the increased lending by the banking system to priority sectors and other anti-poverty schemes of the Government and the relatively higher mortality rate for such scattered lendings. Advances to priority sectors constituted 43.2 per cent of the bank credit by public sector banks at Rs.50,567.34 crores at the end of June 1986. Of this, the amount of outstanding advances to agriculture stood at Rs.9,315.44 crores and constituted 42.7 per cent of the total priority sector advances at Rs.21,829.56 crores. Advances to small-scale industries at Rs.7,836.27 crores accounted for 35.9 per cent. Advances to other priority sectors which included weaker sections, small transport operators, self-employed persons and rural artisans rose to Rs. 4,677.85 crores forming 21.4 per cent of the total priority sector advances as at the end of June 1986.

2.6 As regards the overdue position of public sector banks, the percentage of overdues to aggregate advances outstanding increased from 12.6 as at the end of December 1983 to 14.5 as at the end of June 1986. The overdues under priority sector lendings constituted 20.4 per cent of loans outstanding to these sectors. The percentage of recovery to demand for direct agricultural advances by public sector banks was only 54.9 at the end of June 1986.

2.7 Another somewhat disquieting trend which is bound to have important implications for the Corporation is the increasing incidence of sickness in small-scale industrial units in the country. As on 31 December 1985, the total number of sick SSI units financed by the banking sector was of the order of 1,17,783 units involving amounts of Rs.1,070.67 crores constituting 16.4 per cent of the

दिसम्बर 1985 के अंत तक लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना 1981 के अंतर्गत किये गये गारंटी दावों की राशि 169.69 करोड़ रुपये थी जो इस बात की द्योतक है कि भविष्य में और अधिक संख्या में दावे प्राप्त होंगे. भारत सरकार और रिज़र्व बैंक लघु उद्योग के यूनितों की बीमारी की समस्या को कारगर ढंग से निपटाने की आवश्यकता से चिंतित हैं और इसके लिए प्रारंभ किये गये अनेक उपायों के अंग के रूप में रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को इस आशय के विशेष मार्गदर्शी सिद्धांत जारी किये गये हैं कि बीमारी औद्योगिक यूनित की परिभाषा, स्वयंसमर्थता के मानदंडों (वाइबिलिटी नार्मस), आरंभिक बीमारी का पता लगाने तथा स्वयंसमर्थ बनने की संभावना वाले यूनितों के मामलों में पुनःस्थापन के संकुल उपायों (रिहैबिलिटेशन पैकेजेज) के विशेष संदर्भ में बीमार यूनितों के पुनःस्थापन के बारे में व्यवस्था तंत्र को ठीक किया जाए. इसके साथ ही बैंकों द्वारा अपने ऋण संविभागों पर और अधिक कारगर निगरानी का रखा जाना सुनिश्चित करने की दृष्टि से रिज़र्व बैंक ने अन्य बातों के साथ-साथ (स्थिति कूट) (हेल्थ कोड नामक) व्यापक तथा एक जैसी श्रेणीकरण प्रणाली (ग्रेडिंग सिस्टम) लागू करने के बारे में मार्गदर्शी सिद्धांत/अनुदेश जारी किये हैं जिससे प्रणाली से अलग-अलग अग्रिमों की समय-समय पर समीक्षा किये जाने की आवश्यकता पर भी जोर दिया है. बैंकों द्वारा कार्रवाई योजनाएँ भी तैयार की जारी रही हैं और उसके प्रमुख मानदंडों (पेरामीटर्स) के संदर्भ में की गई प्रगति के संबंध में भारतीय रिज़र्व बैंक में उच्च स्तरों पर विचार-विमर्श किया जा रहा है. यह आशा की जाती है कि इन उपायों से ऋण-प्रबंध और नियंत्रण-प्रणालियों पर विशेष जोर दिये जाने के कारण बैंकों के कार्य-संचालन में सुधार होगा और इस प्रकार ऋण के ऐसे घाटे कम होंगे जो अन्यथा निगम को उठाने पड़ते.

2.8 परिचालन-दक्षता में वृद्धि करने तथा दावों की प्राप्ति को निरंतर वृद्धि के निपटान में तेजी लाने की दृष्टि से निगम क्रियाविधियों की लगातार समीक्षा करता आ रहा है, उन्हें सरल और कारगर बनाता आ रहा है तथा उनका सरलीकरण करता आ रहा है. इस प्रयोजन के लिए निगम ने सभी गैर औद्योगिक दावों का कम्प्यूटरीकरण कर लिया है और इस प्रकार दावों की प्राप्ति और उनके निपटाने में लगने वाले समय के अंतराल को कम करके 10-12 सप्ताह कर दिया है. अपेक्षाकृत कम मूल्य के लघु उद्योग के दावों का कम्प्यूटरीकरण और ऋण संस्थाओं के दावों की चुम्बकीय टेपों पर प्राप्ति ऐसे अन्य उपाय हैं जिन पर निगम सक्रिय रूप से विचार कर रहा है. निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न योजनाओं की व्यापक समीक्षा करने तथा

guaranteed advances of Rs.6,523.53 crores. Guarantee claims under the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 lodged with the Corporation upto the end of December 1985 amounted to Rs.169.69 crores indicating the possibility of a much larger inflow of claims in future. The Government of India and the Reserve Bank are seized of the need for effectively tackling the problem of sickness in SSI units and as part of the several measures initiated in this behalf, special guidelines have been issued to banks by the Reserve Bank for toning up the machinery in regard to rehabilitation of sick units in the SSI sector with specific reference to definition of a sick SSI unit, viability norms, detection of incipient sickness as also reliefs and concessions from banks/ financial institutions for implementation of rehabilitation packages in the case of potentially viable units. Simultaneously, with a view to ensure a more effective monitoring of their credit portfolio, the Reserve Bank has, inter alia, issued guidelines/ instructions regarding the introduction of a comprehensive and uniform grading system (called health code) which would indicate the quality of individual advances and has emphasised the need for periodical review of such advances. Action plans are also being drawn up by the banks and the progress with reference to salient parameters is being discussed with the Chairmen at the highest levels of the RBI. These measures are expected to improve the functioning of the banks with particular emphasis on credit management and control systems and thus reduce the loan losses which would otherwise devolve on the Corporation.

2.8 With a view to increase the operational efficiency and to speed up the settlement of the ever increasing inflow of claims, the Corporation has been constantly reviewing, streamlining and simplifying procedures. Towards this end, the Corporation has computerised all non-industrial claims thus bringing down the time-lag between receipt and settlement of claims to 10-12 weeks. The computerisation of lower value SSI claims and the receipt of claims on magnetic tapes from credit institutions are other measures under active consideration of the Corporation. An Expert Committee has also been constituted to review in detail the various schemes operated by the

निगम के काम-काज में और अधिक सुधारों की सिफारिश करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति का भी गठन किया गया है.

जमा बीमा संबंधी कार्य बीमाकृत बैंक

3.1 जमा बीमा योजना क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों सहित सभी बैंकों पर लागू होती है. यह ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों पर भी लागू होती है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समिति अधिनियमों में संशोधन करते हुए इसके लिए समर्थ बनने वाले विधान पारित कर लिये हैं. इस वर्ष के दौरान एक वाणिज्य बैंक, बैंक ऑफ बेहरीन एण्ड कुवैत बी.एस.सी. का बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकरण किया गया जबकि एक वाणिज्य बैंक अर्थात् हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. का पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन होने पर उसका पंजीकरण समाप्त कर दिया गया. इस प्रकार बीमाकृत वाणिज्य बैंकों की संख्या 83 पर अपरिवर्तित बनी रही. बीमाकृत क्षेत्रिय ग्रामीण बैंकों की संख्या में 7 की वृद्धि हुई और वह बढ़कर 194 हो गई तथा सहकारी बैंकों की संख्या में 15 की वृद्धि होने से वह बढ़कर 1582 हो गई. इस वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंकों की कुल संख्या 1837 से बढ़कर 1859 हो गई.

3.2 वर्ष के दौरान छः राज्यों और एक संघ शासित क्षेत्र में उन्नीस सहकारी बैंक पंजीकृत किये गये. उनमें से महाराष्ट्र के 6 बैंक, उत्तर प्रदेश के 3 बैंक तथा गुजरात, केरल, मध्यप्रदेश, राजस्थान और दिल्ली के संघ शासित क्षेत्र में से प्रत्येक में 2 बैंक थे. इसके साथ ही 4 सहकारी बैंकों का पंजीकरण समाप्त किया गया. इनमें तीन ऐसे बैंक शामिल हैं जो विनियमन अधिनियम 1949 की सीमा से बाहर हो गये थे. निगम ने शेष एक ऐसे बैंक अर्थात् गडग शहरी सहकारी बैंक लि. के दावे का निपटान कर दिया जिसका परिसमापन कर दिया गया. इस प्रकार वर्ष के दौरान बीमाकृत सहकारी बैंकों की संख्या में 15 की वृद्धि हुई.

3.3 वर्ष 1986 के दौरान पंजीकृत किये गये/पंजीकरण समाप्त किये गये बैंकों की सूची तथा बीमाकृत बैंकों का सार अनुबंध I में दिया गया है. वर्ष 1986 के अंत तक बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किये गये और पंजीकरण समाप्त किये गये बैंकों की संख्या दर्शानेवाला विवरण अनुबंध II में दिया गया है.

Corporation and to make recommendations for further improvements in the working of the Corporation.

DEPOSIT INSURANCE FUNCTION Insured Banks

3.1 The Deposit Insurance Scheme is applicable to all commercial banks including regional rural banks. It is also applicable to co-operative banks in such of the States as have passed the necessary enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. During the year, one commercial bank viz., Bank of Bahrain and Kuwait B.S.C. was registered as an insured bank, whereas one commercial bank viz., Hindustan Commercial Bank Ltd., was deregistered consequent on its amalgamation with the Punjab National Bank. Thus, the number of insured commercial banks remained unchanged at 83. The number of insured regional rural banks rose by 7 to 194 and co-operative banks by 15 to 1582. The total number of insured banks increased from 1837 to 1859 during the year.

3.2 Nineteen co-operative banks in six States and one Union Territory were registered during the year, with Maharashtra accounting for 6 banks, Uttar Pradesh 3 banks and Gujarat, Kerala, Madhya Pradesh, Rajasthan and the Union Territory of Delhi 2 banks each. At the same time, 4 co-operative banks were deregistered, including 3 banks which went out of the purview of the Banking Regulation Act, 1949. The Corporation settled the claim of the remaining one bank, viz., Gadag Urban Co-operative Bank Ltd. which went into liquidation. The number of insured co-operative banks, thus increased by 15 during the year.

3.3 A list of banks registered/deregistered during 1986 as well as a summary of insured banks is given in Annexure I. A statement giving the number of banks registered as insured banks and those deregistered upto the end of 1986 is given in Annexure II.

अन्य राज्यों के सहकारी बैंकों पर
योजना का लागू किया जाना

3.4 दिसम्बर 1986 के अंत तक बैंक जमाराशियों के बीमा की योजना चौदह राज्यों अर्थात् आन्ध्र प्रदेश, गुजरात, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, उड़ीसा, राज्यस्थान, तमिलनाडु, त्रिपुरा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल तथा तीन संघशासित क्षेत्रों अर्थात् दिल्ली, गोवा, दमन और दीव तथा पांडिचेरी के सहकारी बैंकों पर लागू की गई है। इस बीच यह योजना हरियाणा राज्य के सहकारी बैंकों पर 1 जनवरी 1987 से लागू की गई है। जहां तक अन्य राज्यों के सहकारी बैंकों पर इस योजना के लागू किये जाने का संबंध है, इसमें पिछली रिपोर्ट के बाद से कोई महत्वपूर्ण विकास नहीं हुआ। शेष राज्यों और संघ शासित क्षेत्रों में बीमा किये जाने वाले सहकारी बैंकों की संख्या (हरियाणा को छोड़कर) 69 है।

बीमा किस्त की दर और उसकी
सुरक्षा की सीमा

4.1 बीमा किस्त (प्रीमियम) की दर 0.04 प्रतिशत वार्षिक पर अपरिवर्तित बनी रही। प्रति जमाकर्ता (एक ही अधिकार और हैसियत से) प्रति बैंक बीमा सुरक्षा (कवर) सीमा की अधिकतम राशि भी 30,000- रुपये पर अपरिवर्तित बनी रही।

4.2 बीमा किस्त के रूप में वसूल की गई कुल राशि 43.00 करोड़ रुपये रही जिसमें वाणिज्य बैंकों से प्राप्त 38.85 करोड़ रुपये क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों से प्राप्त 0.53 करोड़ रुपये तथा सहकारी बैंकों से प्राप्त 3.62 करोड़ रुपये शामिल हैं।

बीमाकृत जमाराशियाँ

5.1 जून 1986 के अंत तक निगम ने कुल मिलाकर 62,878.13 करोड़ रुपये की जमाराशियाँ @ का बीमा किया है जबकि इसके मुकाबले बैंकों की कुल निर्धारणीय जमाराशियाँ 86,213.96 करोड़ रुपये थीं। ये बीमाकृत जमाराशियाँ कुल निर्धारणीय जमाराशियों * का 72.9 प्रतिशत थीं। इसी प्रकार उसी तारीख को पूर्णतः रक्षित खातों की कुल संख्या 2320.05 लाख थी जो खातों की 2359.60 लाख की कुल संख्या का 98 प्रतिशत होता है। अनुबंध III और IV में (i) जमाराशियाँ और बीमाकृत बैंकों की निर्धारणीय

@ बीमाकृत जमाराशि का अर्थ ऐसी जमाराशि या उनका कोई अंश है जिसकी अदायगी निगम द्वारा 30,000 - रुपये तक बीमाकृत है।

* निर्धारणीय जमाराशि की परिभाषा इस प्रकार है: किसी जमाकर्ता (किसी विदेशी सरकार, केन्द्र सरकार, राज्य सरकार और बैंक को छोड़कर) को उसके सभी खातों के लिए देय कुल प्रदत्त जमाराशियाँ।

Extension of Scheme to
Co-operative Banks in
other States

3.4 The Scheme of insurance of bank deposits has, till the end of December 1986, been extended to co-operative banks in fourteen States, viz., Andhra Pradesh, Gujarat, Himachal Pradesh, Jammu & Kashmir, Karnataka, Kerala, Madhya Pradesh, Maharashtra, Orissa, Rajasthan, Tamil Nadu, Tripura, Uttar Pradesh & West Bengal and three Union Territories viz. Delhi, Goa, Daman and Diu and Pondicherry. The Scheme has since been extended to co-operative banks in the State of Haryana also with effect from 1 January 1987. As regards extension of the Scheme to co-operative banks in other States, there has been no significant development since the last report. The total number of co-operative banks to be insured in the remaining States and Union Territories (excluding Haryana) is 69.

Rate of Insurance Premium
and Limit of Cover

4.1 The rate of insurance premium at Re.0.04 per cent per annum has remained unchanged. The maximum amount of insurance cover per depositor (in the same right and capacity) per bank at Rs.30,000/- has also remained unchanged.

4.2 The total amount of insurance premium collected aggregated Rs.43.00 crores which included Rs.38.85 crores collected from commercial banks, Rs.0.53 crore from regional rural banks and Rs.3.62 crores from co-operative banks.

Insured Deposits

5.1 As at the end of June 1986, the Corporation had insured deposits @ aggregating Rs.62,878.13 crores as against the total assessable deposits * of banks at Rs.86,213.96 crores. The insured deposits formed 72.9 per cent of the assessable deposits. Likewise, the total number of fully protected accounts at 2320.05 lakhs formed 98 per cent of the total number of accounts at 2359.60 lakhs as on that date. Statements giving (i) the number of fully protected accounts, insured deposits and assess-


(*) Assessable deposit is defined as the aggregate of unpaid balances due to a depositor (other than a Foreign Government, the Central Government, a State Government and a bank) in respect of all his accounts.

* Insured deposit means deposit or any portion thereof, the repayment of which is insured by the Corporation upto Rs.30,000/-.

बीमाकृत खातों की संख्या NUMBER OF INSURED ACCOUNTS

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(लाखों में) (IN LAKHS)


तालिका
CHART-I



बीमाकृत जमा राशियों की रकम AMOUNT OF INSURED DEPOSITS

(प्रत्येक वर्ष के अंतिम शुक्रवार को) (AS ON LAST FRIDAY OF EACH YEAR)
(करोड़ रुपये में) (IN CRORES OF RUPEES)


तालिका
CHART-II




वाणिज्य और सहकारी बैंकों में बीमा रक्षा
INSURANCE COVERAGE IN
COMMERCIAL AND CO-OPERATIVE BANKS

(जून 1986 के अंतिम शुक्रवार को)
(LAST FRIDAY OF JUNE 1986)

खातों की कुल संख्या
2,359.60
लाख
TOTAL NUMBER
OF ACCOUNTS
2,359.60
LAKHS




निर्धारणीय
जमा राशियों की
कुल रकम
86,213.96
करोड़ रुपये
TOTAL AMOUNT
OF ASSESSABLE
DEPOSITS
RUPEES
86,213.96
CRORES



जमा बीमा निधि में वृद्धि
GROWTH OF DEPOSIT
INSURANCE FUND

(करोड़ रुपये में)
(IN CRORES OF RUPEES)



जमाराशियां तथा (ii) जमाकर्ताओं को प्रदान की गई रक्षा की सीमा दर्शानेवाले विवरण दिये गये हैं.

5.2 पूर्णतः रक्षित और अंशतः रक्षित खातों की जमाराशियों की राशियां कुल निर्धारणीय जमाराशियों का क्रमशः 59.2 प्रतिशत और 40.8 प्रतिशत थीं.

बीमा के दावे

6.1 वर्ष 1985 की वार्षिक रिपोर्ट में यह उल्लेख किया गया था कि तीन वाणिज्य बैंकों अर्थात् मिरज स्टेट बैंक लि., मिरज, लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि. नई दिल्ली और बैंक ऑफ कोचीन लि., कोचीन को 1985 में क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, केनरा बैंक और भारतीय स्टेट बैंक के साथ मिला दिया भारतीय स्टेट बैंक द्वारा बैंक ऑफ कोचीन के लिए 11.68 करोड़ रुपयों का जो दावा 1985 के दौरान प्रस्तुत किया गया उसके लिए लेखों में 12.70 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गयी थी और उसका अगस्त 1986 में 11.63 करोड़ रुपयों की सीमा तक निपटारा किया गया. शेष दो बैंकों में से केनरा बैंक ने लक्ष्मी कमर्शियल बैंक लि. के लिए दावे की सूचना दी है. इस दावे के लिए लेखों में 40 करोड़ रुपयों की व्यवस्था की गई है. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से मिरज स्टेट बैंक के लिए दावे की अभी प्रतीक्षा है. इस वर्ष के दौरान भारत सरकार ने हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. कानपुर के परिचालन स्थगित करते हुए एक अधिसूचना जारी की. इस बैंक का बाद में 19 दिसंबर 1986 को पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन कर दिया गया. अंतरिती बैंक को सूचित किया गया है कि वह बीमाकृत जमाराशियों के लिए दावा प्रस्तुत करे और यह आशा की जाती है कि दावा शीघ्र ही प्राप्त हो जायेगा.

6.2 सहकारी बैंकों के संबंध में वर्ष 1985 की वार्षिक रिपोर्ट में किये गये उल्लेख के अनुसार सांगली शहरी सहकारी बैंक लि. (कुर्दुवाड़ी मर्चेंट्स अरबल को आपरेटिव बैंक लि. कुर्दुवाड़ी, महाराष्ट्र के लिए अंतरित बैंक) द्वारा प्रस्तुत किये गये 4.85 लाख रुपयों के दावे की फरवरी 1986 में अदायगी की गई. दूसरे जिस सहकारी बैंक अर्थात् गडग अर्बन को आपरेटिव बैंक लि., गडग (कर्नाटक) का मई 1985 में परिसमापन किया गया था उसका दावा बैंक के प्रबंध वर्ग द्वारा की गई अपील के कर्नाटक के उच्च न्यायालय द्वारा खरिज किये जाने के बाद जुलाई 1986 में परिसमापक को 22.85 लाख रुपयों की अदायगी करके निपटाया गया.

able deposits of insured banks for a few selected years and (ii) extent of protection afforded to the depositors are given in Annexures III and IV.

5.2. The amount of deposits in fully protected accounts and partially protected accounts formed 59.2 per cent and 40.8 per cent respectively, of the total assessable deposits.

Insurance Claims

6.1. It was mentioned in the Annual Report for the year 1985 that three commercial banks viz., the Miraj State Bank Ltd., Miraj, Lakshmi Commercial Bank Ltd., New Delhi and Bank of Cochin Ltd., Cochin were amalgamated with Union Bank of India, Canara Bank and State Bank of India respectively in 1985. The claim of Rs.11.88 crores submitted by State Bank of India during 1985 in respect of Bank of Cochin Ltd. for which a provision of Rs.12.70 crores had been made in the accounts was settled to the extent of Rs.11.63 crores in August 1986. Of the remaining two banks, Canara Bank has intimated the claim in respect of the Lakshmi Commercial Bank Ltd. A provision of Rs.40 crores has been made in the accounts in respect of this claim. A claim from Union Bank of India in respect of the Miraj State Bank Ltd. is still awaited. During the year, Government of India issued a notification placing the operations of the Hindustan Commercial Bank Ltd., Kanpur under moratorium. This bank was subsequently amalgamated with the Punjab National Bank with effect from 19 December 1986. The transferee bank has been advised to submit the claim in respect of insured deposits and it is expected that the claim may be received shortly.

6.2 As regards co-operative banks, as mentioned in the Annual Report for the year 1985, the claim of Rs.4.85 lakhs submitted by the Sangli Urban Co-operative Bank Ltd. (transferee bank in respect of Kurduwadi Merchants' Urban Co-operative Bank Ltd., Kurduwadi, Maharashtra) was paid in February 1986. The claim of another co-operative bank viz., Gadag Urban Co-operative Bank Ltd., Gadag (Karnataka) which was taken into liquidation in May 1985 was also settled by payment of Rs.22.85 lakhs to the Liquidator in July 1986 after the High Court of Karnataka set aside the appeal preferred by the management of the bank.

6.3 15 वाणिज्य बैंकों के संबंध में अदा किये गये दावों की कुल राशि 1985 के अंत तक के 113.02 लाख रुपयों से बढ़ कर 31 दिसंबर 1986 को 1275.80 लाख रुपये हो गई. मेट्रोपॉलिटन बैंक लि., कलकत्ता के 8.80 लाख रुपयों के जिस दावे का निगम ने 1964 में निपटारा किया था उसके लिए निगम को 4.41 लाख रुपयों तक की अदायगी प्राप्त हो गई थी. चूंकि अंतरक (ट्रांसफर) बैंक की आस्तियों से आगे और कोई वसूलियां संभव नहीं थी अतएव आलोच्य वर्ष के दौरान 4.39 लाख रुपयों की बकाया राशि को बट्टे खाते डाल दिया गया. इस प्रकार निगम द्वारा 31 दिसंबर 1986 को प्राप्त की गई कुल चुकौतियां 88.31 लाख रुपयों पर अपरिवर्तित बनी रही. (इन चुकौतियों में तीन बैंकों के लिए प्राप्त पूरी चुकौतियां शामिल हैं.) 88.31 लाख रुपयों की चुकौती और बट्टे खाते डाली गई. 6.36 लाख रुपयों की राशि (अर्थात् 3 बैंकों के लिए 1981 में बट्टे खाते डाले गये. 1.97 लाख रुपये और इस वर्ष 1 वाणिज्य बैंक के लिए बट्टे खाते डाले गये 4.39 लाख रुपयों) का हिसाब लगाने के बाद शेष 8 वाणिज्य बैंकों के संबंध में निगम को प्राप्त होने वाली राशि 1181.23 लाख रुपये होती है.

6.4 सहकारी बैंकों के लिए अदा किये गये कुल दावे 14 सहकारी बैंकों के संबंध में 1985 के अंत में 225.87 लाख रुपयों से बढ़कर 16 सहकारी बैंकों के संबंध में 1986 के अंत तक 253.57 लाख रुपये हो गये. इस वर्ष के दौरान निगम को 3 बैंकों के संबंध में 8.05 लाख रुपयों का चुपयों की सकल चुकौतियों और (मालवण को आपरेटिव अर्बन बैंक के लापता जमाकर्ताओं के संबंध में) पुरांकित (रिटन बैंक) व्यवस्था का समायोजन करने के बाद निगम को 15 सहकारी बैंकों से प्राप्त होने वाली राशि 31 दिसंबर 1986 को 224.38 लाख रुपये बनती है.

6.5 अदा किये गये दावों, प्राप्त हुई चुकौतियों आदि के ब्योरे अनुबंध V दिये गये हैं.

ऋण गारंटी का कार्य

क. छोटे उधारकर्ताओं के लिए ऋण गारंटी योजनानये

7.1 निगम छोटे उधारकर्ताओं के लिए चार योजनायें चला रहा है. इनमें से तीन योजनायें 1971 में शुरू की गई थी और इनके अंतर्गत छोटे उधारकर्ताओं के कतिपय वर्गों विशेषकर समाज के कमजोर और अब तक उपेक्षित वर्गों के उधारकर्ताओं

6.3 The total amount of claims paid in respect of commercial banks increased from Rs.113.02 lakhs at the end of 1985 to Rs. 1,275.80 lakhs in respect of 15 commercial banks as on 31 December 1986. Of the claim of Rs.8.80 lakhs settled by the Corporation in 1964 in respect of the Metropolitan Bank Ltd., Calcutta, the Corporation had received repayments to the extent of Rs.4.41 lakhs. As no further recoveries were possible from the assets of the transferor bank, the balance amount of Rs.4.39 lakhs was written off during the year under report. The total repayments received by the Corporation in respect of commercial banks thus remained unchanged at Rs.88.31 lakhs (which included full repayments in respect of three banks) as on 31 December 1986. Taking into account the repayments of Rs.88.31 lakhs and an amount of Rs.6.36 lakhs written off (viz., Rs.1.97 lakhs in 1981 in respect of 3 commercial banks and Rs.4.39 lakhs in respect of 1 commercial bank this year), the balance due to the Corporation in respect of the remaining 8 commercial banks stands at Rs.1,181.13 lakhs.

6.4 As regards co-operative banks, the total claims paid increased from Rs.225.87 lakhs in respect of 14 co-operative banks as at the end of 1985 to Rs.253.57 lakhs in respect of 16 co-operative banks at the end of 1986. During the year, the Corporation received repayments of Rs.8.05 lakhs in respect of 3 banks. After adjusting repayments aggregating Rs.29.17 lakhs till the end of the year and the written back provision of Rs.0.02 lakh (in respect of the untraceable depositors of Malvan Co-operative Urban Bank Ltd.) the balance due to the Corporation in respect of 15 co-operative banks, stands at Rs.224.38 lakhs as on 31 December 1986.

6.5 Details of claims paid, repayments received etc. are given in Annexure V.

CREDIT GUARANTEE FUNCTION

A. Credit Guarantee Schemes for Small Borrowers

7.1 The Corporation is operating four Schemes for small borrowers. Three of these were introduced in 1971 and cover advances for agricultural and other purposes extended by

को, वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और सेवा सहकारी समितियों द्वारा कृषि और अन्य प्रयोजनों के लिए प्रदान किये गये अग्रिम आते हैं। शहरी सहकारी बैंकों (जिनको भी बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत किया गया है) द्वारा कृषि प्रयोजनों के लिए दिये गये अग्रिमों को सुरक्षा प्रदान करने वाली एक चौथी योजना 1 जुलाई 1984 से शुरु की गई है। इनमें से जिस लघु ऋण गारंटी योजना 1971 में वाणिज्य बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाग ले रहे हैं, सबसे अधिक लोकप्रिय हुई है।

(क) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971

गारंटीकृत अग्रिम

7.2 लघु ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही ऐसे अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शानेवाला विवरण अनुबंध VI में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आनेवाले जो कुल गारंटीकृत अग्रिम जून 1972 के अंत में 205.71 करोड़ रुपये थे वे जून 1986 के अंत तक धीरे-धीरे बढ़कर 10,345.10 करोड़ रुपये हो गये और इस प्रकार वे पिछले वर्ष के आंकड़ों में 17.0 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक है तथा उनसे वर्ष 1972 से लेकर अब तक पचास गुने से अधिक की वृद्धि परिलक्षित होती है। लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये कुल गारंटीकृत अग्रिमों के अधिकांश भाग के लिए देनदार है और वह इन ऋणों का 99.03 प्रतिशत होता है।

क्षेत्रवार विश्लेषण

7.3 इस योजना के अंतर्गत 10,345.10 करोड़ रुपयों की सकल राशि के कुल गारंटीकृत अग्रिमों में किसानों और खेतिहरों को दिये गये अग्रिमों का बड़ा भाग (58.2% है, इसके बाद परिवहन चालकों (15.5%), फुटकर व्यापारियों (11.5%) व्यवसायियों और स्वनियोजित व्यक्तियों (6.4%) को, कारोबारी उद्यमियों (5.9%) को दिये गये ऋण तथा विभेदक ब्याज दर योजना के अधीन उधार-कर्ताओं के अवशिष्ट (रेसीड्युल) वर्ग को दिये गये ऋण 2.5 का स्थान आता है।

भाग लेनेवाली ऋण संस्थायें

7.4 इन योजनाओं में 31 दिसंबर 1986 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध VII में दी गई है। वर्ष के दौरान 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक इस योजना में शामिल हुए हैं। ट्रेडर्स बैंक लि. को 1 जुलाई 1986 से लघु ऋण गारंटी

commercial banks, regional rural banks, co-operative banks and state financial corporations to certain categories of small borrowers especially those belonging to the weaker and hitherto neglected sections of the society as also service co-operative societies. A fourth Scheme covering advances for non-agricultural purposes extended by urban co-operative banks (which are also registered as insured banks) was introduced from 1 July 1984. Of these, the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 in which commercial banks and regional rural banks are participating is most popular.

(a) Small Loans Guarantee Scheme, 1971 Guaranteed Advances

7.2 A statement giving the year-wise position of the guaranteed advances under the Small Loans Guarantee Scheme, 1971 as also a sector-wise analysis of such advances is given in Annexure VI. The total guaranteed advances covered by the Scheme which stood at Rs.205.71 crores at the end of June 1972 steadily increased to Rs.10,345.10 crores as at the end of June 1986 indicating a rise of 17.0 per cent over the figures of the previous year and more than fiftyfold increase since 1972. The Small Loans Guarantee Scheme, 1971 continues to account for the bulk of the total guaranteed advances to small borrowers forming 99.03 per cent thereof.

Sector-wise Analysis

7.3 Of the total guaranteed advances aggregating Rs.10,345.10 crores under the Scheme, advances to farmers and agriculturists continue to constitute a major portion (58.2%) followed by credit to transport operators (15.5%), retail traders (11.5%), professional and self-employed persons (6.4%), business enterprises (5.9%) and the residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme (2.5%).

Participating Credit Institutions

7.4. A list of credit institutions participating in the Scheme as on 31 December 1986 is given in Annexure VII. During the year, 14 regional rural banks joined the Scheme. The Traders' Bank Ltd. was permitted to rejoin the Small Loans

योजना, 1971 में फिर से शामिल (रिज्वाइन) होने की अनुमति दी गई। हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. का इस बीच पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन कर दिया गया है और उसका नाम इस योजना से निकाल दिया गया है। इस प्रकार इस योजना में 258 बैंक अर्थात् 71 वाणिज्य बैंक और 187 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक भाग ले रहे हैं।

गारंटी दावों का निपटान

7.5 निगम को इस वर्ष 140.58 करोड़ रुपयों के लिए 6,30,303 की अभूतपूर्व संख्या के दावे प्राप्त हुए जबकि इसकी तुलना में उसे पिछले वर्ष के दौरान 114.38 करोड़ रुपयों के 4,53,622 दावे प्राप्त हुए थे। इस योजना के अंतर्गत 1986 के अंत तक प्राप्त दावों की राशि कुल मिलाकर 426.86 करोड़ रुपये होती है जो 10,345.10 करोड़ रुपयों के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 4.13 प्रतिशत होती है तथा वर्ष (1985 और वर्ष 1984 तक प्राप्त ऐसे दावों के संबंधित अनुपात क्रमशः 3.2 और 2.4 होते हैं।

7.6 प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विभाजन अनुबंध VIII में दिया गया है। कुल दावों की राशि में से किसानों और खेतिहरों को दिये गये अग्रिमों से संबंधित दावों का भाग 54.4 प्रतिशत है। कुल गारंटीकृत अग्रिमों में इस क्षेत्र का भाग बढ़कर 58.2 प्रतिशत हो गया। (1985 तक संबंधित प्रतिशत क्रमशः 53.9 और 56.7 थे) परिवहन चालकों से संबंधित जिन दावों का दूसरा स्थान है वे दावों की कुल राशि के 17.4 प्रतिशत थे। इस वर्ग के उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों में गिरावट पाई गई और वे कम होकर कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 15.5 प्रतिशत रह गये। (1985 तक संबंधित प्रतिशत क्रमशः 18.6 और 17.1 थे।)

7.7 दावों के निपटान से संबंधित स्थिति अनुबंध IX में दर्शाई गई है। इस वर्ष के दौरान निगम 176.05 करोड़ रुपयों के 6,44,020 दावों की जांच और उनका निपटान कर सका जो उनकी कीर्तिमान संख्या है तथा उनमें पिछले वर्ष के मुकाबले संख्या की दृष्टि से 38.0 प्रतिशत और राशि की दृष्टि से 54.0 प्रतिशत की वृद्धि पाई गई। दावों के निपटान की जो औसत दरें 1981 में 6,169 दावे, 1982 में 8,793 दावे, 1983 में 10,643 दावे, 1984 में 19,719 दावे और 1985 में 38,884 दावे थी उनकी तुलना में निगम 1986 के दौरान प्रतिमाह औसतन 53,668 की जांच और उनका निपटान करने में समर्थ रहा है और ये दावे उनके पेश किये जाने के 10 से 12 महीनों के भीतर निपटा दिये गये हैं। किये गये दावों और उनमें से निपटाये गये दावों का सारांश नीचे दिया जा रहा है:

Guarantee Scheme, 1971, with effect from 1 July 1986. The Hindustan Commercial Bank Ltd. has since been amalgamated with the Punjab National Bank and its name has been deleted. With this, 258 banks - 71 commercial banks and 187 regional rural banks are participating in the Scheme.

Settlement of Guarantee Claims

7.5 The Corporation received an unprecedented number of 6,30,303 claims for Rs.140.58 crores this year as compared to 4,53,622 claims for Rs.114.38 crores received during the previous year. The amount of claims received under the Scheme till the end of 1986 aggregated Rs.426.86 crores forming 4.13 per cent of the total guaranteed advances at Rs. 10,345.10 crores, the relative ratios of such claim receipts till 1985 and till 1984 being 3.2 and 2.4 respectively.

7.6 A sector-wise break-up of claims received is given in Annexure VIII. Claims pertaining to the advances granted to farmers and agriculturists account for 54.4 per cent of the total amount of claims. The share of this sector in the total guaranteed advances increased to 58.2 per cent (the relative percentages till 1985 were 53.9 and 57.2 respectively). The claims relating to transport operators which come next, account for 17.4 per cent of the total amount of claims. The advances to this class of borrowers showed a decline to 15.5 per cent of the total guaranteed advances (the relative percentages till 1985 were 18.6 and 17.1 respectively).


7.7 The position regarding disposal of claims is indicated in Annexure IX. During the year, the Corporation was able to scrutinise and settle a record number of 6,44,020 claims for Rs. 176.05 crores recording a rise of 38.0 per cent in number and 54.0 per cent in amount as compared to the previous year. As against the average monthly rate of disposal of 6,169 claims during 1981, 8,793 claims in 1982, 10,643 claims in 1983, 19,719 claims in 1984 and 38,884 claims in 1985, the Corporation has been able to scrutinise and dispose of on an average 53,668 claims per month during 1986, clearing such claims within 10 to 12 weeks from the date of their lodgement. A summary of claims preferred and those disposed of is given below:

तालिका
CHART - V

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित
गारंटी योजनाओं के संबंध में
गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि
जून के अंत में (करोड़ रुपये)

**GROWTH OF GUARANTEED
ADVANCES IN RESPECT OF
GUARANTEE SCHEMES
RELATING TO
SMALL BORROWERS**

END OF JUNE
CRORES OF RUPEES




तालिका
CHART - VI

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित
गारंटी योजनाओं के संबंध में
गारंटीकृत अग्रिमों का
क्षेत्रवार विश्लेषण
(जून 1986 के अंत तक की स्थिति)


**SECTOR-WISE
ANALYSIS OF
GUARANTEED ADVANCES
IN RESPECT OF GUARANTEE
SCHEMES RELATING TO
SMALL BORROWERS**

(AS AT THE END OF JUNE, 1986)




छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित गारंटी योजनाओं के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

संख्यात्मक चार्ट - XVII



राशिगत चार्ट - XVIII



(राशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in crores of rupees)

वर्ष के दौरान During the year	प्राप्त दावे Claims received		निपटाये गये दावे Claims disposed of	
	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
	1973-78	51,563	15.46	27,033
1979	36,535	11.30	25,739	6.95
1980	83,557	14.90	47,481	7.20
1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14
1982	1,50,901	24.65	1,05,512	14.49
1983	1,47,449	27.80	1,27,705	19.63
1984	2,54,631	61.54	2,36,545	31.91
1985	4,53,622	114.38	4,66,568	114.35
1986	6,30,303	140.58	6,44,020	176.05

वसूली और अनुवर्ती कार्रवाई

7.8 वर्ष 1986 के दौरान प्रतिस्थापन दावों (सबरोगेशन राइट्स) के फरस्वरूप कुल 11.66 करोड़ रुपयों की वसूली हुई जबकि इसके मुकाबले 1985 में 5.93 करोड़ रुपयों की वसूली हुई थी. इस योजना की शुरूआत से लेकर अब तक वसूल हुई कुल राशि 28.94 करोड़ रुपये थी और वह योजना के अंतर्गत अदा किये गये दावों की कुल राशि के 11.7 प्रतिशत का द्योतक थी. (पिछले वर्ष यह 10.8 प्रतिशत थी)

7.9 निगम ने वर्ष 1984 में जिस निरीक्षण और जांच प्रभाग का गठन इस दृष्टि से किया था कि रिज़र्व बैंक से यह कार्य धीरे-धीरे ले लिया जाए उसने वर्ष 1986 के दौरान 15 बैंकों अर्थात् भारतीय स्टेट बैंक और उसके 7 सहायक बैंकों तथा 7 वाणिज्य बैंकों की परीक्षण-जांच की. निगम द्वारा किये जाने वाले निरीक्षण के कारगर होने के लिए उसके अंतर्गत आनेवाले क्षेत्र अभी भी बहुत ही कम रहा. अतएव निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास से अनुरोध किया कि वे अब तक के समन ही निगम की इस संबंध में सहायता करना जारी रखें. कम्प्यूटर द्वारा निर्मित अनुरेखक (ट्रेसर) रिपोर्टों और जांच अधिकारियों के निष्कर्षों तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के बैंकिंग परिचालन और विकास विभाग, शहरी बैंक विभाग तथा राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक द्वारा प्रदान की गई निरीक्षण रिपोर्टों की सहायता से निरीक्षण और जांच के क्षेत्र (नेट वकी) में विस्तार किया जा रहा है ताकि उसके अंतर्गत और अधिक ऋण संस्थाओं को चयनात्मक आधार पर लाया जा सके.

Recovery and Follow-up

7.8 Recoveries during 1986 by virtue of subrogation rights totalled Rs.11.66 crores as against Rs.5.93 crores realised in 1985. The total amount recovered since the inception of the Scheme till 1986 amounted to Rs.28.94 crores and represented 11.7 per cent of the total amount of claims paid under the Scheme (in the last year it was 10.8 per cent).

7.9 The Inspection and Verification Division, which was constituted by the Corporation in the year 1984, with a view to gradually take over this work from the Reserve Bank of India has conducted the test check inspection of 15 banks, viz., State Bank of India, its 7 associate banks and 7 commercial banks during the year 1986. The coverage of inspection by the Corporation still remained too small to be effective. As such the Corporation requested the Reserve Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development to continue to assist the Corporation in this respect, as hitherto. The network of inspection and verification is being expanded to cover more credit institutions, on a selective basis, with the aid of tracer reports generated by the computer, and scrutiny officers' findings and inspection reports supplied by the Department of Banking Operations and Development and Urban Banks Department of the Reserve Bank of India and the National Bank for Agriculture and Rural Development.

(ख) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971

गारंटीकृत अग्रिम

8.1 लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही ऐसे अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण अनुबंध VI में दिया गया है. योजना के अंतर्गत आनेवाले कुल गारंटीकृत जो अग्रिम जून 1972 के अंत में 2.56 करोड़ रुपये थे वे धीरे-धीरे बढ़कर जून 1986 के अंत में 85.19 करोड़ रुपये हो गये और वे पिछले वर्ष के आंकड़ों में 23 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक थे तथा उनमें 1972 से लेकर अब तक तैंतीस गुने से अधिक की वृद्धि हुई है.

क्षेत्रवार विश्लेषण

8.2 इस योजना के अंतर्गत कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 85.19 करोड़ रुपये है. इनमें परिवहन चालकों को दिये गये अग्रिमों के भाग (99.6%) की प्रधानता है और इनके बाद कारोबार उद्यमों को दिये गये ऋण (0.4%) का स्थान आता है.

भाग लेने वाली ऋण संस्थायें

8.3 योजना में भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 20 अपरिवर्तित ही बनी रही. इनकी सूची अनुबंध VII में दी गई है.

गारंटी के दावों का निपटान

8.4 इस वर्ष निगम को 0.36 करोड़ रुपयों के कुल 62 दावे प्राप्त हुए जब इसकी तुलना में पिछले वर्ष 0.53 करोड़ रुपयों के 100 दावे प्राप्त हुए थे. योजना के अधीन 1986 तक प्राप्त हुए दावों की राशि कुल मिलाकर 1.16 करोड़ रुपये होती है जो 83.19 करोड़ रुपयों के कुल गारंटीकृत अग्रिमों का 1.36 प्रतिशत है और 1985 तथा 1984 तक ऐसे दावों

(b) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971

Guaranteed Advances

8.1 A statement giving the year-wise position of the guaranteed advances under the Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 as also a sector-wise analysis of such advances is given in Annexure VI. The total guaranteed advances covered by the Scheme which stood at Rs.2.56 crores at the end of June 1972 steadily increased to Rs.85.19 crores as at the end of June 1986 indicating a rise of 23 per cent over the figures of the previous year and more than a thirtythree fold increase since 1972.

Sector-wise analysis

8.2 Of the total guaranteed advances aggregating Rs.85.19 crores under the Scheme, advances to transport operators continue to constitute the predominant portion (99.6%) followed by credit to business enterprises (0.4%).

Participating Credit Institutions

8.3 The number of participating credit institutions in the Scheme remained unchanged at 20. The list is given in Annexure VII.

Settlement of Guarantee Claims

8.4 The Corporation received a total number of 62 claims for Rs.0.36 crore as compared to 100 claims for Rs.0.53 crore received during the previous year. The amount of claims received under the Scheme till 1986 aggregated Rs.1.16 crores forming 1.36 per cent of the total guaranteed advances at Rs.85.19 crores, the relative ratios of such claims receipts till 1985 and

वर्ष के दौरान During the year	प्राप्त दावे Claims received		निपटायें गये दावे Claims disposed of	
	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
	1982	25	0.06	1
1983	25	0.04	9	0.01
1984	61	0.17	80	0.18
1985	100	0.53	43	0.10
1986	62	0.36	70	0.34
	273	1.16	203	0.64

के संबंधित अनुपात क्रमशः 1.16 और 0.52 हैं। किये गये दावों और निपटायें गये दावों का सारांश नीचे दिया गया है।

जांच और निरीक्षण

8.5 जांच और निरीक्षण प्रभाग ने वर्ष 1986 के दौरान एक राज्य वित्तीय निगम का परीक्षण-जांच संबंधी निरीक्षण किया।

अदा किये गये दावों के खाते की वसूलियां

8.6 आलोच्य वर्ष के दौरान निगम को अदा किये गये दावों के खातों की वसूलियों के अपने भाग के रूप में 0.03 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई जबकि इसके मुकाबले 1985 में 0.01 रुपये वसूल हुए थे।

(ग) (सेवा सहकारी समितियां) गारंटी योजना, 1971

गारंटीकृत अग्रिम

9.1 सेवा सहकारी समितियां गारंटी योजना, 1971 के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही ऐसे अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण अनुबंध VI में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कुल गारंटीकृत अग्रिमों की जो राशि जून 1972 के अंत में 0.12 करोड़ रुपये थी जून 1986 के अंत में बढ़कर 0.72 करोड़ रुपये हो गई।

भाग लेने वाली ऋण संस्थाएं

9.2 इस योजना में 31 दिसंबर 1986 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध VII में दी गई है। इस योजना में भाग लेने के लिए (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) ऐसे सभी अनुसूचित वाणिज्य बैंक तथा (प्राथमिक सहकारी बैंकों को छोड़ कर ऐसे सहकारी बैंक स्वतंत्र हैं जो जमा बीमा सुरक्षा के पात्र हैं। इसमें भाग लेनेवालों की संख्या 170 से बढ़कर 175 हो गई और उसमें (हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि. का नाम निकाले जाने के बाद) 57 वाणिज्य बैंक, 81 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक तथा 37 सहकारी बैंक शामिल हैं।

दावों की प्राप्ति और निपटान

9.3 इस योजना के अंतर्गत निगम को अब तक कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ।

(घ) लघु ऋण गारंटी (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984

गारंटीकृत अग्रिम

10.1 लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 के अंतर्गत गारंटीकृत अग्रिमों की वर्षवार स्थिति और साथ ही ऐसे

till 1984 being 1.16 and 0.52 respectively. A summary of the claims preferred and those disposed of is given on prepage:

Inspection and Verification

8.5 The Inspection and Verification Division conducted the test check inspection of one State Financial Corporation during the year 1986.

Recoveries in Claims Paid Accounts

8.6 During the year under report the Corporation received a sum of Rs.0.03 crore as its share of recoveries in claim paid accounts as against Rs.0.01 crore realised in 1985.

(c) Service Co-operative Societies

Guarantee Scheme, 1971

Guaranteed Advances

9.1 A statement giving the year-wise position of guaranteed advances under the Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 as also a sector-wise analysis of such advances is given in Annexure VI. The total guaranteed advances covered by the Scheme which stood at Rs.0.12 crore at the end of June 1972 increased to Rs.0.72 crore as at the end of June 1986.

Participating Credit Institutions

9.2 A list of credit institutions participating in the Scheme as on 31 December 1986 is given in Annexure VII. The participation in the Scheme is open to all scheduled commercial banks (including regional rural banks) and co-operative banks (other than primary co-operative banks) which are eligible for deposit insurance cover. The number of participants increased from 170 to 175, comprising 57 commercial banks (after deleting the name of the Hindustan Commercial Bank Ltd.), 81 regional rural banks and 37 co-operative banks.

Receipt and Disposal of Claims

9.3 So far no claim has been received by the Corporation under this Scheme.

(d) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984

Guaranteed Advances

10.1 A statement giving the year-wise position of the guaranteed advances under the Small Loans

अग्रिमों का क्षेत्रवार विश्लेषण दर्शानेवाला विवरण अनुबंध VI में दिया गया है। इस योजना के अंतर्गत आने वाले जो कुल गारंटीकृत अग्रिम दिसंबर 1984 के अंत में 5.69 करोड़ रुपये थे वे जून 1986 के अंत में धीरे-धीरे बढ़कर 14.96 करोड़ रुपये हो गये और वे पिछले वर्ष के आंकड़ों में 39.03 प्रतिशत की वृद्धि के द्योतक हैं।

क्षेत्रवार विश्लेषण

10.2 इस योजना के अंतर्गत कुल मिलाकर 14.96 करोड़ रुपयों के कुल गारंटीकृत अग्रिमों में फुटकर व्यापारियों को दिये गये अग्रिमों का मुख्य भाग (37.0%) बना रहा और इनके बाद परिवहन चालकों को दिये गये ऋण 36.7% (व्यावसायिक और स्वयं नियोजित व्यक्तियों को दिये गये ऋण 12.5%) तथा कारोबारी उद्यमों को दिये गये ऋण (13.8%) का स्थान आता है।

भाग लेनेवाली ऋण संस्थायें

10.3 इस योजना में 31 दिसम्बर 1986 को भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची अनुबंध VII में दी गई है। इस योजना में भाग लेने के लिए बैंकिंग विनियमन अधिनियम, 1949 की धारा 22 के अधीन लाइसेंसीकृत सभी प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और साथ ही ऐसे अलाइसेंसीकृत (अनलाइसेंसड) बैंक स्वतंत्र हैं जिनकी रिजर्व बैंक द्वारा इस प्रयोजन के लिए विशेष रूप से सिफारिश की जाती है। इस योजना में सितंबर 1985 में प्रवर्तित किये गये एक संशोधन से इस प्रकार के शहरी सहकारी बैंक के लिए उपर्युक्त योजना में भाग लेने के पात्र हो सकने से पहले यह भी आवश्यक है कि वह बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत हो जाएं। इस योजना में भाग लेने के लिए आमंत्रित 729 (535 लाइसेंसीकृत और 194 अनलाइसेंसीकृत) शहरी सहकारी बैंकों में से 196 बैंकों (133 लाइसेंसीकृत और 63 अलाइसेंसीकृत) ने 1986 के अंत तक इस योजना में शामिल होने के लिए अपनी इच्छा व्यक्त की है। इन 196 बैंकों में से 71 बैंकों ने निगम के साथ दिसंबर 1986 के अंत तक करार विलेख निष्पादित किये थे और इनमें से 56 बैंकों ने सभी औपचारिकतायें पूरी कर ली हैं तथा उन्हें इस योजना में भाग लेनेवालों के रूप में प्रवेश दे दिया गया है। शेष 15 बैंक औपचारिकतायें पूरी करने की प्रक्रिया में हैं। इस योजना के अंतर्गत 1986 के दौरान प्राप्त गारंटी फीस की राशि कुल मिलाकर 0.09 करोड़ रुपये थी।

(Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 as also a sector-wise analysis of such advances is given in Annexure VI. The total guaranteed advances covered by the Scheme which stood at Rs.5.69 crores at the end of December 1984 steadily increased to Rs.14.96 crores as at the end of June 1986 indicating a rise of 39.03 per cent over the figures of the previous year.

Sector-wise Analysis

10.2 Of the total guaranteed advances aggregating Rs.14.96 crores under the Scheme, advances to retail traders continue to constitute a major portion (37.0%), followed by credit to transport operators (36.7%), professional and self-employed persons (12.5%) and business enterprises (13.8%).

Participating Credit Institutions

10.3 A list of credit institutions participating in the Scheme as on 31 December 1986 is given in Annexure VII. The participation in the Scheme is open to all primary (urban) co-operative banks licensed by the Reserve Bank under Section 22 of the Banking Regulation Act, 1949 as well as the unlicensed ones which are specifically recommended by the Reserve Bank to the Corporation for the purpose. By an amendment to the Scheme promoted in September 1985, it is also necessary for such an urban co-operative bank to be registered as an insured bank before it can be eligible for participation in the above Scheme. Out of 729 urban co-operative banks (535 licensed and 194 unlicensed) invited to participate in the Scheme, 196 banks (133 licensed and 63 unlicensed) have, till the end of 1986, expressed their willingness to join the Scheme. Out of these 196 banks, 71 banks had executed the deeds of agreement as at the end of December 1986 with the Corporation, of which 56 banks have completed all the formalities and have been admitted as participants in the Scheme. The remaining 15 banks are in the process of completing the formalities. The guarantee fee received under this Scheme during 1986 aggregated Rs.0.09 crore.

दावों की प्राप्ति व निपटान

10.4 निगम को अब तक इस योजना के अंतर्गत कोई दावा प्राप्त नहीं हुआ.

(ड.) लघु ऋण (सहकारी समितियां)
गारंटी योजना, 1982

11. सहकारी क्षेत्र के लिए दूसरी जो योजना अर्थात् लघु ऋण (सहकारी समितियां) गारंटी योजना कृषि और उससे संबंधित कार्यों के लिए प्राथमिक स्तर पर सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये अग्रिमों को गारंटी सहायता (सपोर्ट) प्रदान करने के निमित्त बनाई गई थी उसकी 1 जनवरी 1983 से चुनी गयी कतिपय प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों/राज्य भूमि विकास बैंकों की शाखाओं को प्रायोगिक आधार की पेश-कश की गई थी. यद्यपि 2476 प्राथमिक कृषि ऋण समितियां, 159 प्राथमिक कृषि विकास बैंक और राज्य भूमि विकास बैंकों की 200 शाखायें इस योजना में भाग लेने की पात्र पाई गई थी तथापि 14 प्राथमिक कृषि ऋण समितियों और 4 प्राथमिक भूमि विकास बैंकों ने ही अब तक साधारण दिलचस्पी जाहिर की है. इस पर भी इनमें से किसी ने भी निगम के साथ आवश्यक विलेख निष्पादित नहीं किये हैं.

ख. लघु उद्योगों के लिए ऋण गारंटी योजना

ऋण गारंटी योजनाओं का समेकन-सरकार की योजना के अधीन अवशिष्ट कार्यों का निर्वाह

12.1 31 मार्च 1981 को कारोबार समाप्त होने के समय रद्द की गई लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना के अंतर्गत अवशिष्ट कार्यों के निर्वाह के लिए निगम भारत सरकार के एजेंट के रूप में कार्य करता आ रहा है. सरकार की योजना रद्द होने की तारीख तक अनिर्णीत दावों तथा योजना के रद्द होने की तारीख तक चूक वाले (इन डिफाल्ट) खातों के संबंध में बाद में किये गये दावों का निगम द्वारा निपटान किया जाना जारी रखा गया और भारत सरकार से समय-समय पर उनकी प्रतिपूर्ति प्राप्त की गई.

सरकारी की योजना-चूक वाले खाते

12.2 ऋण संस्थाओं से अब तक प्राप्त सूचना के अनुसार 31 मार्च 1981 को "चूक वाले खातों" की राशि 232.02 करोड़ रुपये थी. ऋण संस्थाओं की लगभग 3211 शाखाओं को अभी भी इस संबंध में आवश्यक सूचना प्रस्तुत करनी है.

Receipt and Disposal of Claims

10.4 So far, no claim has been received by the Corporation under this Scheme.

(e) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982

11. Another Scheme for the co-operative sector viz., Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 which was formulated for extension of guarantee support to the advances to be granted by the co-operative credit institutions at the primary level for agriculture and allied activities was offered on a pilot basis from 1 January 1983 to certain select primary agricultural credit societies (PACSS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs). Although 2476 PACSSs, 159 PLDBs and 200 branches of SLDBs were found to be eligible for participation in the Scheme, only 14 PACSSs and 4 PLDBs have so far evinced lukewarm interest. However, none of them has executed the necessary deed of agreement with the Corporation.

B. Credit Guarantee Schemes for Small-Scale Industries

Integration of Credit Guarantee Schemes - Discharge of residual functions under the Government's Scheme.

12.1 The Corporation continues to act as an agent of Government of India for discharge of residual functions under the Government's Credit Guarantee Scheme for Small-Scale Industries cancelled as at the close of business on 31 March 1981. Claims pending as on the date of cancellation as also those preferred subsequently in respect of accounts in default upto the date of cancellation of Government's Scheme continue to be settled by the Corporation and reimbursement obtained from the Government of India periodically.

Government's Scheme - Accounts in default

12.2 Information received so far from the credit institutions shows the 'accounts in default' as on 31 March 1981 at Rs.232.02 crores. Nearly 3,211 branches of the credit institutions have yet to submit the necessary information in this regard.

ऐसे खातों का क्षेत्रवार और संस्थावार वर्गीकरण अनुबंध X में दिया गया है। भारतीय स्टेट बैंक समूह, राष्ट्रीयकृत बैंक और अन्य वाणिज्य बैंक चूक की गई कुल राशि के 88.7 प्रतिशत के लिए जिम्मेदार हैं।

भाग लेने वाली ऋण संस्थायें- निगम की योजना

13. वर्ष के दौरान अट्ठाइस ऋण संस्थायें लघु ऋण गारंटी योजना 1981 में शामिल हुईं जिनके अंतर्गत एक अनुसूचित वाणिज्य बैंक (दि ड्रेडर्स बैंक लि.), 14 क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और 13 सहकारी बैंक आते हैं जबकि एक वाणिज्य बैंक (हिन्दुस्तान कमर्शियल बैंक लि.) का पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन किये जाने के फलस्वरूप उसे इस योजना में से निकाल दिया गया है। अतः एव इसमें भाग लेने वाली ऋण संस्थाओं की संख्या 31 दिसम्बर 1985 की 449 संख्या से बढ़कर 31 दिसम्बर 1986 को 476 हो गई जबकि इसके मुकाबले सरकार की योजना रद्द किये जाने के समय उसमें 328 ऋण संस्थायें भाग ले रही थीं। इन ऋण संस्थाओं की सूची और उनका वर्गीकरण अनुबंध में दिया है।

गारंटीकृत अग्रिम

14. 30 जून 1986 तक लघु उद्योगों को दिये गये गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 7497.46 करोड़ रुपये थी जो पिछले वर्ष से राशि में 28.30 प्रतिशत वृद्धि की द्योतक है। इनके बारे में अनुबंध VI में दिये गये हैं।

दावों का निपटान - निगम की योजना

15. निगम को 104.92 करोड़ रुपयों के 33,723 दावे प्राप्त हुए जबकि पिछले वर्ष उसे 71.99 करोड़ रुपयों के 22,048 दावे प्राप्त हुए थे। निगम ने इस वर्ष के दौरान 67.07 करोड़ रुपयों के 30299 दावों की जांच की और उनका निपटान किया जबकि पिछले वर्ष 25.08 करोड़ रुपयों के 22,791 दावों का निपटान किया गया था और इस प्रकार 31 दिसम्बर 1986 को 153.67 करोड़ रुपयों के 15,672 दावे अनिर्णीत रह गये हैं। अनिर्णीत दावों में से 10.35 करोड़ रुपयों के दावों के बारे में कार्रवाई की जा चुकी है और उनके लिए संबंधित ऋण संस्थाओं से स्पष्टीकरण प्राप्त होने की प्रतीक्षा है। दावों के निपटान की गति में और तेजी लाई गई है और निकट भविष्य में स्थिति में महत्वपूर्ण सुधार होने की संभावना है। इस वर्ष के दौरान प्राप्त हुई वसूलियों की कुल राशि 1.58 करोड़ रुपये थी (जबकि पिछले वर्ष प्राप्त हुई यह राशि 0.80 करोड़ रुपये थी)। वर्ष 1981 से लेकर अब तक ऐसी

Region-wise and institution-wise classification of such accounts is given in Annexure X. The State Bank of India group, nationalised banks and other scheduled commercial banks account for 88.7 per cent of the total amount in default.

Participating Credit Institutions - Corporation's Scheme

13. Twenty eight credit institutions comprising one scheduled commercial bank (The Traders Bank Ltd.), 14 regional rural banks and 13 co-operative banks have joined the Small Loans (SSI) Guarantee Scheme, 1981 during the year, while one commercial bank (The Hindustan Commercial Bank Ltd.) was deleted consequent on its amalgamation with the Punjab National Bank. The number of participants therefore, rose from 449 as on 31 December 1985 to 476 as on 31 December 1986 as against 328 credit institutions which were participating in the Government's Scheme when it was cancelled. A list of such credit institutions and their classification is given in the Annexure XI.

Guaranteed Advances

14. Guaranteed advances to small scale industries as on 30 June 1986 amounted to Rs. 7,497.46 crores representing an increase of 28.3 per cent over the previous year. Details are given in Annexure VI.

Settlement of Claims- Corporation's Scheme.


15. The Corporation received 33,723 claims for Rs.104.92 crores as against 22,048 claims for Rs.71.99 crores received last year. The Corporation scrutinised and settled during the year 30,299 claims for Rs.67.07 crores as against 22,791 claims for Rs.25.08 crores settled during the last year, leaving 15,672 claims for Rs.153.67 crores pending as on 31 December 1986. Of the pending claims, 1,147 claims for Rs.10.85 crores have been processed and are awaiting clarification from the respective credit institutions. The tempo of claims settlement has been further accelerated and the position is likely to improve significantly in the near future. Recoveries received during the year aggregated Rs.1.58 crores (as against Rs.0.80 crore received last year). Such recoveries since

औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के
संबंध में गारंटीकृत अग्रिमों में वृद्धि


GROWTH OF GUARANTEED ADVANCES IN RESPECT OF
GUARANTEE SCHEME RELATING TO THE INDUSTRIAL SECTOR

तालिका
CHART-IX

(करोड़ रुपये) (CRORES OF RUPEES)




निगम की औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित गारंटी योजना के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 CORPORATION'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR




औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित सरकार की गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में दावों की प्राप्ति और निपटान
 RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS IN RESPECT OF
 GOVERNMENT'S GUARANTEE SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL SECTOR (SINCE CANCELLED)

तालिका CHART XII
 संख्यावार NUMBER - WISE



तालिका CHART XIII
 राशिवार AMOUNT - WISE



वसूलियों की कुल राशि 2.89 करोड़ रुपये थी और वह किये गये कुल दावों के 5.8 प्रतिशत की द्योतक है.

दावों का निपटान-सरकार की योजना (अब रद्द)

16.1 वर्ष 1985 के अंत में सरकार की योजना के अंतर्गत कुल 62.53 करोड़ रुपयों के 4,022 दावे अनिर्णीत पड़े थे. 31 मार्च, 1981 तक चूक वाले खातों के संबंध में वर्ष के दौरान कुल 14.90 करोड़ रुपयों के 4,914 दावे प्राप्त हुए थे. (जबकि इसके मुकाबले 14.07 करोड़ रुपयों के 5,259 दावे प्राप्त हुए थे) और निगम द्वारा सरकार के एजेंट के रूप में 42.10 करोड़ रुपयों की राशि के 6,903 दावों का निपटान किया गया. 31 दिसम्बर, 1986 को 35.33 करोड़ रुपयों के 2033 दावे अनिर्णीत पड़े थे. इन अनिर्णीत पड़े दावों में से 19.20 करोड़ रुपयों के 977 दावों पर कार्रवाई की जा चुकी है और वे ऋण संस्थाओं से कुछ अतिरिक्त सूचना/स्पष्टीकरण के प्राप्त न होने के कारण अनिर्णीत पड़े हैं. 31 दिसंबर 1986 को अनिर्णीत पड़े दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण अनुबंध XII में दिया गया है. 31 दिसम्बर 1986 को अनिर्णीत पड़े दावों का राशिवार और अवधिवार वर्गीकरण अनुबंध XII में दिया गया है.

भारत सरकार द्वारा निधियों की प्रतिपूर्ति

16.2 वर्ष 1986 के दौरान भारत सरकार की ओर से 10.91 करोड़ रुपयों मूल्य के दावों की अदायगी की गई. सरकार की योजना के अधीन अवशिष्ट कार्यों के निर्वाह को निगम द्वारा अपने हाथ में लिए जाने के बाद से उसने निम्नलिखित राशियां अदा की हैं और उनके सामने दर्शाई गई प्रतिपूर्ति प्राप्त की हैं:

1981 aggregated Rs.2.89 crores and represent 5.8 per cent of the total claims paid.

Settlement of Claims - Government's Scheme (since cancelled)

16.1 As at the end of 1985, 4,022 claims amounting to Rs.62.53 crores were pending under the Government's Scheme. During the year, 4,914 claims for an aggregate amount of Rs.14.90 crores were received in respect of accounts in default upto 31 March 1981 (as against 5,259 claims for Rs.14.07 crores received last year) and 6,903 claims amounting to Rs.42.10 crores were settled by the Corporation as agent of Government of India. As on 31 December 1986, 2,033 claims for Rs.35.33 crores were pending. Out of these pending claims, 977 claims for Rs.19.20 crores have been processed and are pending for want of certain additional information/clarifications from the credit institutions. Amount-wise and age-wise classification of claims pending as on 31 December 1986 is given in Annexure XII.

Reimbursement of funds by Government of India

16.2 During the year 1986, claims worth Rs.10.91 crores were paid on behalf of the Government of India. Since the takeover by the Corporation of the discharge of residual functions under the Government's Scheme, the Corporation has paid the following amounts and has received reimbursement as shown thereagainst:

(राशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in crores of rupees)

अवधि Period	सरकार की ओर से वस्तुतः अदा की गयी राशि @ Amount actually paid on behalf of Government of India	वर्ष के अंत तक भारत सरकार से प्राप्त प्रतिपूर्ति की राशि Reimbursement received from Government of India till end of the year
1	2	3
अप्रैल 1981 से दिसंबर 1984 April 1981 to December 1985	62.10	60.14
जनवरी-दिसंबर 1986 January — December 1986	10.91	11.89*
जोड़: Total:	73.01	72.03

इस बीच सरकार ने निगम को बकाया राशि की प्रतिपूर्ति कर दी है।

16.3 निगम की योजना और सरकार की योजना दोनों के ही अंतर्गत प्राप्त और निपटाये गये दावों का ब्योरा अनुबंध XIII में दिया गया है और उसका सारांश नीचे दिया जा रहा है:

अ. लघु उद्योग की इकाइयों के लिए निगम की योजना

A. CORPORATION'S SCHEME FOR SMALL-SCALE INDUSTRIAL UNITS

Government have since reimbursed the Corporation with the balance amount.

16.3 Details of the claims received and disposed of both under the Corporation's Scheme and Government's Scheme are given in Annexure XIII, a summary of which is given below:

(राशि करोड़ रुपयों में)

(Amount in crores of rupees)

अवधि Period	प्राप्त दावे Claims received		निपटाये गये दावे Claims disposed of	
	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
1	2	3	4	5
(i) अप्रैल-दिसंबर 1981 April-December 1981	1,308	1.74	—	—
(ii) जनवरी-दिसंबर 1982 January-December 1982	4,013	9.40	3,105	2.13
(iii) जनवरी-दिसंबर 1983 January-December 1983	9,325	32.58	7,328	12.93
(iv) जनवरी-दिसंबर 1984 January-December 1984	18,300	53.98	9,522	13.73
(v) जनवरी-दिसंबर 1985 January-December 1985	22,048	71.99	22,791	25.08
(vi) जनवरी-दिसंबर 1986 January-December 1986	33,723	104.92	30,299	67.07
जोड़: Total:	88,717	274.61	73,045	120.94

@ ये आंकड़े भारत सरकार की ओर से वास्तव में अदा की गई राशि के द्योतक है न कि ऋण संस्थाओं द्वारा दावा की गई राशि के।

* इसमें भारत सरकार से 31 दिसंबर 1985 को प्राप्त होनेवाले 1.96 करोड़ रुपये शामिल हैं।

@ The figure represents amount actually paid on behalf of Government of India and not the amounts claimed by credit institutions.

* Inclusive of Rs.1.96 crores due from the Government of India as on 31 December 1985.

(राशि करोड़ रुपयों में)

(Amount in crores of rupees)

आ. सरकार की योजना

B. GOVERNMENT'S SCHEME

अवधि Period	प्राप्त दावे Claims received		निपटाये गये दावे Claims disposed of	
	संख्या Number	राशि Amount	संख्या Number	राशि Amount
1	2	3	4	5
(i) 1 अप्रैल 1981 को भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये अनिर्णीत दावे Pending claims taken over from Reserve Bank of India on 1.4.81	30,826	98.18	—	—
(ii) अप्रैल-दिसंबर 1981 April-December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69
(iii) जनवरी-दिसंबर 1982 January-December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43
(iv) जनवरी-दिसंबर 1983 January-December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
(v) जनवरी-दिसंबर 1984 January-December 1984	7,921	16.50	18,262	33.53
(vi) जनवरी-दिसंबर 1985 January-December 1985	5,259	14.07	8,597	31.96
(vii) जनवरी-दिसंबर 1986 January-December 1986	4,914	14.90	6,903	42.10
जोड़: Total:	81,156	204.82	79,123	169.49

लघु उद्योग की योजनाओं के अंतर्गत 1986 तक प्राप्त दावों की कुल राशि 499.58 करोड़ रुपये रही और वह इस क्षेत्र को दिये गये कुल गारंटीकृत अग्रिमों की राशि 7,497.46 करोड़ रुपयों का 6.7 प्रतिशत होती है तथा 1985 और 1984 तक का संबंधित प्रतिशत क्रमशः 6.5 और 6. है.

गारंटी फी

17 अमल में रहनेवाली पांच योजनाओं के अंतर्गत गारंटी फीस की मौजूदा दर वार्षिक 0.75 प्रतिशत है. 25000 रुपयों से अनधिक ऋण सुविधाओं वाले छोटे उधारकर्ताओं और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में रियायती दर वार्षिक 0.50 रुपया प्रतिशत है. इन योजनाओं के अंतर्गत 1982 से लेकर अब तक गारंटी फीस की प्राप्तियां और दावों की प्राप्तियां निचे लिखे अनुसार हैं:

The total amount of claims received till 1986 under the SSI Schemes at Rs.499.58 crores form 6.7 per cent of the total guaranteed advances to this sector at Rs.7,497.46 crores, the relative percentages till 1985 and 1984 being 6.5 and 6 respectively.

Guarantee Fee

17. The present rate of guarantee fee in force under the five Schemes in operation is Re.0.75 per cent per annum (with a concessional rate of Re.0.50 per cent per annum in the case of small borrowers having credit facilities not exceeding Rs.25,000 in the aggregate per borrower and Re. 0.25 per cent per annum for regional rural banks for five years from the date of joining the scheme. Fee receipts and claim receipts under these Schemes since 1982 are given below:

वर्ष Year	गारंटी शुल्क की प्राप्तियां Garantee Fee receipts	गारंटी दावों की प्राप्तियां Guarantee Claims receipts
1982	57.67	34.11
1983	71.17	60.42
1984	87.91	115.69
1985	105.66	186.90
1986	127.25	245.86

अन्य गतिविधियां

18.1 निगम अपनी प्रणालियों और क्रियाविधियों की निरंतर समीक्षा करता आ रहा है और इसकी जांच करता आ रहा है कि दावों के निपटान में किस प्रकार शीघ्रता लाई जा सकती है और परिचालन के सभी क्षेत्रों में अधिकतम मितव्ययिता प्राप्त की जा सकती है. इस दृष्टि से कम्प्यूटर पर कार्रवाई किये गये दावों की मानवीय जांच की अंतिम सीमा (कट ऑफ प्वाइंट) को फरवरी 1986 में 2,500- रुपयों से बढ़ाकर 5,000- रुपये कर दिया गया था और फिर उसे 9 दिसंबर 1986 में 5000/- रुपयों से बढ़ाकर 10,000/- रुपये कर दिया गया है. इसके अलावा निगम की कम्प्यूटर प्रणाली में कार्य के ऐसे क्षेत्रों को निपटाने की अतिरिक्त क्षमता को शामिल करके उसको इस बीच उन्नत (अपग्रेड) बनाया गया है जिनका अभी भी कम्प्यूटरीकरण किया जाता है, उदाहरणार्थ अदा किये गये दावों की अनुवर्ती कार्रवाई, वित्तीय हिसाब-किताब आदि. अमल में लायी जा रही नई प्रणाली से निगम अब तक के मुकाबले अधिक तेजी से दावों को निपटा सकेगा.

विशेषज्ञ समितियां

18.2 निगम के निदेशक बोर्ड के निदेश अनुसार जमा बीमा योजना तथा- निगम द्वारा चलाई जा रही विभिन्न ऋण गारंटी योजनाओं की समीक्षा करने और जहां कहीं आवश्यक हो वहां परिचालन-दक्षता में सुधार लाने की सिफारिश करने के लिए भारतीय बैंक संघ के अध्यक्ष, श्री एम.एन. गोईपुरिया की अध्यक्षता में 14 जुलाई, 1986 को एक विशेषज्ञ समिति का गठन किया गया था. इस समिति की पहली बैठक 25 सितंबर 1986 को आयोजित की गई थी. इस बैठक में लिये गये निर्णय के अनुसार योजनाओं के क्रिया विधि संबंधी पहलुओं की समीक्षा करने के लिए भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंध निदेशक, श्री बी.डी. दीक्षित की अध्यक्षता में एक उपदल का

Other Developments

18.1 The Corporation has been constantly reviewing its systems and procedures and examining how disposal of claims can be expedited and maximum economy achieved in all spheres of operation. With this end in view, the cut-off point for manual-scrutiny of computer processed claims was enhanced from Rs.2,500/- to Rs.5,000/- in February 1986 and again from Rs.5,000/- to Rs.10,000/- per borrower from 9 December 1986. Further, the Computer system of the Corporation has since been upgraded incorporating additional capacity to attend to the other areas of work yet to be computerised, viz., follow-up of paid claims, financial accounting etc. With the new system in operation, the Corporation will be able to settle claims at a much faster rate than hitherto.

Expert Committee

18.2 As decided by the Board of Directors of the Corporation in 1985, an Expert Committee under the Chairmanship of Shri M.N. Goiporia, Chairman, Indian Banks' Association was constituted on 14 July 1986 to review the Deposit Insurance Scheme and the various credit guarantee schemes operated by the Corporation and to make recommendations wherever necessary to improve the operational efficiency in this regard. The first meeting of the Committee was held on 25 September 1986. As decided in the meeting, a Sub-group under the Chairmanship of Shri B.D. Dikshit, Deputy Managing Director,

भी गठन किया गया था. उपदल ने इस बीच अपनी रिपोर्ट विशेषज्ञ समिति को प्रस्तुत कर दी है.

विशेषज्ञ समितियों के कार्यक्रम के अंग के रूप में ऋण संस्थाओं को प्रश्नावलियां जारी की गई थीं और निगम के बंबई कलकत्ता, दिल्ली और मद्रास स्थित चार क्षेत्रीय कार्यालयों के अंतर्गत कार्यरत प्रधान बैंकों/राज्य वित्तीय निगमों के विचारों का पता लगाने के लिए उनके साथ विचार-विमर्श किये गये. ऋण संस्थाओं से प्राप्त सुझावों को निगम की टीका-टिप्पणियों के साथ समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जा रहा है. इस समिति की रिपोर्ट शीघ्र ही प्राप्त होने की संभावना है.

लेखे

तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखे

19. 31 दिसंबर 1986 को तीनों निधियों अर्थात् जमा बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि की अलग-अलग स्थिति दर्शानेवाला तुलन-पत्र और आय-व्यय लेखा तथा उसके साथ ही उनके संबंध में लेखा-परीक्षकों की रिपोर्ट संलग्न है.

जमा बीमा निधि

20.1 जैसा कि ऊपर के पैराग्राफ 6.1 और 6.3 में उल्लेख किया गया है, केनरा बैंक द्वारा किये गये दावे के लिए 40 करोड़ रुपयों की व्यवस्था करने और मेट्रोपालिटन बैंक लि. से प्राप्त होने वाले 4.39 लाख रुपयों की बकाया राशि को बट्टे खाते डालने, भारतीय स्टेट बैंक द्वारा किये गये दावे के लिए 1.07 करोड़ रुपयों की व्यवस्था को पूराकित करने के बाद 10 वाणिज्य बैंकों के संबंध में 31 दिसंबर 1986 को अनुमानित जमा बीमा की हानि की व्यवस्था (3,888,39 लाख रुपयों की वृद्धि करके) को बढ़ाकर 5,181.13 लाख रुपये कर दिया गया है. सहकारी बैंकों के संबंध में जैसा कि उपर्युक्त पैराग्राफ 6.2 और 6.4 में उल्लेख किया गया है निपटाये गये दावों और प्राप्त चुकौतियां का हिसाब लगाने के बाद 15 सहकारी बैंकों के संबंध में जमा बीमा हानि की व्यवस्था (में 14.80 लाख रुपये की वृद्धि करके) को बढ़ाकर 224.38 लाख रुपये कर दिया गया है.

20.2 जमा बीमा निधि के आय-व्यय लेखे में नीचे लिखे अनुसार 74.64 करोड़ रुपयों की आय पाई गई है.

State Bank of India was also constituted to review the procedural aspects of the schemes. The Sub-group has since submitted its report to the Expert Committee.

As part of the Expert Committee's programme, questionnaires were issued to credit institutions and discussions were also held with major banks/State Financial Corporations operating under the four regional offices of the Corporation at Bombay, Calcutta, Delhi and Madras to ascertain their views. The suggestions received from the credit institutions together with the comments of the Corporation are being placed before the Committee. The Committee's report is expected shortly.

ACCOUNTS

Balance Sheets and Revenue Accounts

19. The Balance Sheets and Revenue Accounts showing separately the position of the three funds, viz., the Deposit Insurance Fund, the Credit Guarantee Fund and the General Fund as on 31 December 1986 together with the Auditors' Report thereon, are attached.

Deposit Insurance Fund

20.1 As stated in paragraphs 6.1 and 6.3 above, after providing for Rs.40 crores towards the claim preferred by Canara Bank as also the written off balance amount of Rs.4.39 lakhs due from Metropolitan Bank Ltd. and after writing back the excess provision of Rs.1.07 crores in respect of the claim preferred by State Bank of India, the provision for estimated deposit insurance loss has been increased (by Rs.3,888.39 lakhs) to Rs.5,181.13 lakhs as on 31 December 1986 in respect of 10 commercial banks. As regards co-operative banks, after taking into account the claims settled and repayments received as mentioned in paragraphs 6.2 and 6.4 above, the provision towards deposit insurance loss has been raised (by Rs.14.80 lakhs) to Rs.224.38 lakhs in respect of 15 co-operative banks.

20.2 The Revenue Account of Deposit Insurance Fund showed an income of Rs.74.64 crores as under:

(रुपये करोड़ों में)

1. बीमा किस्त	43.00
2. निवेशों का ब्याज	31.56
3. वसूलियां	0.08
	<u>74.64</u>

उपर्युक्त आय में से 39.16 करोड़ रुपयों की राशि निपटारे/सूचित किये गये दावों के लिए और 0.12 करोड़ रुपयों की राशि निवेशों के मूल्यहास की प्रारक्षित निधि के लिए विनियोजित की गई है। इस प्रकार 35.36 करोड़ रुपयों की जो राशि शेष रह गई उसे जमा बीमा निधि को अंतरित कर दिया गया है तथा इससे यह निधि 248.45 करोड़ रुपयों से बढ़कर 1986 के अंत में 283.81 करोड़ रुपये हो गई है। अब इस निधि में कुल निर्धारणीय जमाराशियों और सकल जमाराशियों के अंश क्रमशः 0.33 प्रतिशत और 0.45 प्रतिशत है। (पिछले वर्ष के संबंधित अनुपात क्रमशः 0.32 और 0.44 थे।)

ऋण गारंटी निधि

21 वर्ष 1986 के अंत में ऋण गारंटी निधि में 125.34 करोड़ रुपयों की राशि जमा थी। गारंटी फीस के रूप में होने वाली आय इस वर्ष 127.25 करोड़ रुपये रही। छोटे उधारकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटियों योजनाओं के अधीन दावा चुकाये गये खातों में की गई वसूलियों के लिए निगम को अपने प्रतिस्थापन अधिकारों के प्रयोग कर उसमें से उसे अपने अंश के रूप में कुल मिलाकर 11.69 करोड़ रुपयों की राशि प्राप्त हुई जबकि लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना के अधीन प्राप्त वसूलियों की कुल राशि 1.58 करोड़ रुपये थी। कुल मिलाकर 176.69 करोड़ रुपयों की इन प्राप्तियों के मुकाबले उपर्युक्त चारों योजनाओं के अधीन अदा किये गये गारंटी दावों और साथ ही वर्ष के अंत तक निगम को सूचित किये गये परंतु स्वीकार न किये गये दावों के संबंध में अनुमानित देनदारी की कुल राशि 1985 के अंत में उपलब्ध 168.16 करोड़ रुपयों की व्यवस्था का हिसाब लगाने के बाद 114.27 करोड़ रुपये थी और इस प्रकार 62.42 करोड़ रुपयों का अधिशेष रह गया। इस अधिशेष को ऋण गारंटी निधि को अंतरित कर दिया गया जिससे वह 125.34 करोड़ रुपयों से बढ़कर वर्ष 1986 के अंत में 187.76 करोड़ रुपये हो गई।

सामान्य निधि

22.1 निगम के स्थापना-व्ययों को सामान्य निधि में होनेवाली उस आय- से पूरा किया जाता है जो इस निधि में रखी गई पूंजी और प्रारक्षित निधि के निवेश से प्राप्त होती है।

(Rupees in crores)

1. Insurance premium	43.00
2. Interest on investments	31.56
3. Recoveries	0.08
	<u>74.64</u>

Of the above income, a sum of Rs.39.16 crores was appropriated towards claims settled/intimated and Rs.0.12 crore towards Investment Depreciation Reserve, leaving a balance of Rs.35.36 crores which has been transferred to the Deposit Insurance Fund raising it from Rs.248.45 crores to Rs.283.81 crores at the end of 1986. The Fund now constitutes 0.33 per cent of the total assessable deposits and 0.45 per cent of the aggregate insured deposits (corresponding ratios last year were 0.32 and 0.44 respectively).

Credit Guarantee Fund

21. The Credit Guarantee Fund had a balance of Rs.125.34 crores as at the end of 1985. The income by way of guarantee fee for the year amounted to Rs.127.25 crores. The income from investment of the Fund during the year amounted to Rs.36.17 crores. The amounts received by the Corporation as its share of recoveries made in claims paid accounts under its credit guarantee schemes pertaining to the small borrowers, in exercise of its right of subrogation, aggregated Rs.11.69 crores, while recoveries received under the Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 aggregated Rs.1.58 crores. Against these receipts totalling Rs.176.69 crores, the guarantee claims paid under the above four Schemes as well as the estimated liability in respect of claims intimated to the Corporation but not admitted at the end of the year amounted to Rs.114.27 crores (after taking into account the provision of Rs.168.16 crores available at the end of 1985), leaving a surplus of Rs.62.42 crores transferred to the Credit Guarantee Fund raising it from Rs.125.34 crores to Rs.187.76 crores as at the end of year 1986.

General Fund

22.1 The establishment expenses of the Corporation are met from the income of the General Fund which is derived from investments

जिस प्राधिकृत पूंजी को (1 जनवरी 1981 के) 15 करोड़ रुपयों से बढ़ाकर 1 मई 1984 को 50 करोड़ रुपये किया गया है उसका रिज़र्व बैंक द्वारा पूरी तरह अभिदान किया गया है।

22.2 लघु उद्योग क्षेत्र के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना के 31 मार्च 1981 को रद्द किये जाने के बाद से निगम को रद्द की गई इस योजना के अंतर्गत अवशिष्ट कार्यों को सरकार के एजेंट के रूप में पूरा करने का दायित्व सौंपा गया है और अपनी इस हैसियत से निगम 31 मार्च 1981 तक के चूक वाले खातों के दावों को प्राप्त करता आ रहा है और उनकी जांच करता आ रहा है तथा भारत सरकार की ओर से उनका निपटान करता रहा है। इस योजना कार्य तथा सरकार की योजना रद्द होने के बाद से इसके अंतर्गत आने वाले अभिनों को गारंटी सुरक्षा की निरंतरता (कंटीन्यूइटी) प्रदान करने के लिए निगम पर आने वाली बढ़ी हुई देनदारी के लिए भारत सरकार के उद्योग मंत्रालय ने निगम को यह अनुमति दी है कि वह सरकार के चुकाये गये दावा खातों के लिए हुई वसूलियों को प्रारंभ में 31 मार्च 1986 तक अपने पास रख ले। भारत सरकार से अनुरोध किया गया है कि वह इस सुविधा को मार्च 1989 तक और बढ़ा दे।

22.3 वर्ष के दौरान सामान्य निधि के आय-व्यय लेखों में नीचे लिखे अनुसार 8.82 करोड़ रुपयों की आय हुई है:

निवेशों पर ब्याज	7.07 करोड़ रुपये
उद्योग मंत्रालय द्वारा	
अंतरित राशि	1.75 करोड़ रुपये
जोड़	<u>8.82 करोड़ रुपये</u>

उपर्युक्त राशि के मुकाबले स्थापना और अन्य व्ययों की कुल राशि 4.25 करोड़ रुपये रही और इस प्रकार इस निधि में 4.57 करोड़ रुपयों का अधिशेष पाया गया। इस सामान्य प्रारक्षित निधि को अंतरित कर दिया गया।

निवेश

23. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 के उपबंधों के अनुसार तीनों निधियों में रखी गई राशियों का पूरी तरह से सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश किया जाता है। इन निवेशों का विवरण अनुबंध XIV में दिया गया है।

of its capital and reserves held in this Fund. The authorised capital which was raised from Rs.15 crores (as on 1 January 1981) to Rs.50 crores on 1 May 1984 stands fully subscribed by the Reserve Bank of India.

22.2 After the cancellation of Government of India's Credit Guarantee Scheme for SSI Sector on 31 March 1981, the Corporation has been entrusted with the discharge of residual functions under the cancelled scheme as their agent and in that capacity it has been receiving and scrutinising claims in respect of accounts in default as on 31 March 1981 and settling them on behalf of the Government of India. For this agency function and for increased liability devolving on the Corporation in providing continuity of guarantee cover to advances covered by Government's Scheme after its cancellation, Government of India, Ministry of Industry have allowed the Corporation to retain with it the recoveries in Government's claim paid accounts, initially, till 31 March 1986. Government of India has been requested to extend this facility for a further period till March 1989.

22.3 The revenue account of General Fund showed an income of Rs.8.82 crores during the year as below:

Interest on investments	Rs.7.07 crores
Amount transferred by the Ministry of Industry	Rs.1.75 crores
Total	<u>Rs.8.82 crores</u>

As against the above income, the establishment and other expenses aggregated Rs.4.25 crores leaving a surplus of Rs.4.57 crores transferred to the General Reserve.

Investments

23. In accordance with the provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the amounts held in the three funds are invested entirely in the Central Government Securities. Particulars of these investments are given in Annexure-XIV.

(क) जमा बीमा निधि

जमा बीमा निधि में किये गये निवेशों का बाजार मूल्य 31 दिसंबर 1986 को 320.62 करोड़ रुपये था जबकि इसके मुकाबले उनका बही मूल्य 376.33 करोड़ रुपये था. निवेश में हुए 55.92 करोड़ रुपयों के मूल्यहास (जिसकी गणना करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई 0.21 करोड़ रुपयों की वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया) के संबंध में पूरी व्यवस्था की गई है.

(ख) ऋण गारंटी निधि

ऋण गारंटी निधि में किये गये निवेशों का बाजार मूल्य 31 दिसंबर 1986 को 352.87 करोड़ रुपये रहा जबकि इसके मुकाबले उनका बाजार मूल्य 393.33 करोड़ रुपये था. निवेशों में हुए 40.79 करोड़ रुपयों के मूल्यहास (जिसकी गणना करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में हुई 0.31 करोड़ रुपयों की वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया) के संबंध में पूरी व्यवस्था की गई है.

(ग) सामान्य निधि

सामान्य निधि में किये गये निवेशों का बाजार मूल्य वर्ष 1986 के अंत में 67.54 करोड़ रुपये था जबकि उनका वही मूल्य 75.81 करोड़ रुपये था। निवेशों में हुए 8.32 करोड़ रुपये के मूल्यहास (जिसकी गणना करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाजार मूल्य में 0.05 करोड़ रुपये की वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है) के संबंध में पूरी राशि के लिए व्यवस्था की गयी है।

सामान्य

विशेष बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम

अधिनियम, 1961 में संशोधन

24.1 निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम की धारा 2(छ) के उस संशोधन का पिछली रिपोर्ट में उल्लेख किया गया था जिसमें ऐसी किसी राशि को "जमा राशियों" की परिभाषा से अलग करने का उपबंध किया गया है जो किसी बीमाकृत के पास रखी गई किसी ऐसी राशि के लिए देय हो जिसे निगम ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से विशेष रूप से छूट प्रदान कर दी हो. तदनुसार जो यह संशोधन 1 मई 1986 से लागू हुआ है उसके अनुसार राज्य सहकारी भूमि विकास बैंकों की राज्य सहकारी बैंकों के पास रखी गई जमाराशियां अब जमा बीमा सुरक्षा में शामिल नहीं की गई हैं.

लेखा वर्ष में परिवर्तन

24.2 भारत सरकार के हाल ही के इस निर्णय के अनुसार कि सभी ऋण संस्थाओं के लिए लेखा वर्ष को परिवर्तन करके मार्च 1988 से अप्रैल-मार्च कर दिया जाए निगम निक्षेप बीमा

(a) Deposit Insurance Fund

The market value of investments in the Deposit Insurance Fund as on 31 December 1986 stood at Rs.320.62 crores as against their book value at Rs.376.33 crores. The depreciation in investments at Rs.55.92 crores (which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.21 crore) has been fully provided for.

(b) Credit Guarantee Fund

The market value of investments in the Credit Guarantee Fund as on 31 December 1986 stood at Rs.352.87 crores as against their book value at Rs.393.35 crores. The depreciation in investments at Rs.40.79 crores (without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.31 crore) has been fully provided for.

(c) General Fund

The market value of investments in the General Fund as at the close of the year 1986 was Rs.67.54 crores as against their book value of Rs.75.81 crores. The depreciation in investments at Rs.8.32 crores (which has been arrived at without taking into account the appreciation of market value over book value of certain securities at Rs.0.05 crore) has been fully provided for.

GENERAL

Amendments to DICGC Act, 1961

24.1 A mention was made in the last report of the amendment of Section 2(g) of the DICGC Act, which provides for exclusion from the definition of the term "deposits" of any amount due on account of any deposit with any insured bank, which is specially exempted by the Corporation with the previous approval of the Reserve Bank of India. Accordingly, in terms of this amendment, which has come into force from 1 May 1986, the deposits of State Co-operative Land Development Banks, placed with State Co-operative Banks are now excluded from deposit insurance cover.

24.2 Change in Accounting Year

In accordance with the recent decision of the Government of India to switchover to the accounting year viz., April-March in respect of all credit institutions with effect from March 1988, the

एवं प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 और निक्षेप बीमा एवं प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियमावली 1961 के संबंधित उपबंधों में उचित रूप से संशोधन करके आवश्यक उपाय कर रहा है।

स्थापना

25.1 रिज़र्व बैंक ने निगम को आवश्यक कर्मचारी, कार्यालय स्थान और अन्य अनुषंगी सुविधायें प्रदान करनी जारी रखा है ताकि निगम अपने कार्य कर सके. इस संबंध में होने वाले व्यय की रिज़र्व बैंक को प्रतिपूर्ति की जाती है. निगम की ड्यूटी पर रहने वाले कर्मचारियों को रिज़र्व बैंक अपने प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रशिक्षण सुविधायें प्रदान करता है.

25.2 निगम के तीन बाहरी केन्द्रों अर्थात् कलकत्ता, मद्रास और नई दिल्ली स्थित शाखाओं में लघु उद्योग से संबंधित ऋण गारंटी के कार्य को करने वाले कर्मचारियों का पूरा स्थापना व्यय 31 मार्च 1986 तक रिज़र्व बैंक द्वारा वहन किया जाता था. 1 अप्रैल 1986 से निगम उपर्युक्त व्यय सामान्य निधि से होने वाली अपनी आय से पूरा कर रहा है. इस पर भी लघु उद्योग के दावों के कार्य के भारी दबाव के कारण भारतीय रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया गया था कि वह तीनों बाहरी केन्द्रों की शाखाओं के वेतन से संबंधित मामलों को निपटाना जारी रखे और इसके लिए समय-समय पर प्रतिपूर्ति प्राप्त कर ले. रिज़र्व बैंक इस व्यवस्था के लिए मार्च 1987 तक राजी हो गया है. रिज़र्व बैंक से अनुरोध किया गया है कि वह उपर्युक्त सुविधा को 31 दिसंबर 1987 तक की अगली अवधि के लिए बढ़ा दे.

लेखा परीक्षक

26. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 29(1) की शर्त के अनुसार निदेशक बोर्ड ने भारतीय रिज़र्व बैंक की पूर्व अनुमति से मेसर्स ए.जे. शाह एण्ड कंपनी, सनदी लेखाकार, बंबई को वर्ष 1986 के लिए निगम के लेखा परीक्षक के रूप में नियुक्त किया है.

हिंदी का संवर्धन

27.1 निगम अपने परिपत्र द्विभाषिक रूप में जारी करता है और अपनी वार्षिक रिपोर्ट हिन्दी तथा अंग्रेजी दोनों में प्रकाशित करता है. उसके प्रचार-पत्रक (लीफलेट्स) भी हिन्दी में छपवाये जाते हैं. निगम अपने कर्मचारियों में हिन्दी की अभिरूचि विकसित करने के लिए उन्हें प्रोत्साहित करने हेतु

Corporation is taking necessary measures in this behalf by suitably amending the relevant provisions of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961 and Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.

Establishment

25.1 The Reserve Bank continues to make available to the Corporation the required staff, office accommodation and other incidental facilities for discharging its functions. The expenses incurred are reimbursed to the Bank. The Reserve Bank also provides training facilities in its training centres for the staff on duty with the Corporation.

25.2 The entire establishment cost of the staff attending to the credit guarantee function relating to small-scale industries at the Corporation's three outstation branches viz., Calcutta, Madras and New Delhi was borne by the Reserve Bank till 31 March 1986. From 1 April 1986 the Corporation has been meeting the above expenses from its income from General Fund. However, due to heavy pressure of SSI claims work, a request was made to the Reserve Bank of India to continue to attend to matters relating to salary of the three outstation branches of the Corporation and obtain periodical reimbursement. The Reserve Bank agreed to the arrangement till March 1987. The Reserve Bank has been requested to extend the above facility for a further period till 31 December 1987.

Auditors

26. In terms of Section 29 (1) of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961, the Board of Directors, with the prior approval of the Reserve Bank of India, appointed Messrs, A.J. Shah & Co., Chartered Accountants, Bombay, as Auditors of the Corporation for the year 1986.

Promotion of Hindi

27.1 The Corporation issues its circulars bilingually and brings out the Annual Report in both Hindi and English. Its publicity leaflets are also printed in Hindi. It also purchases the Hindi daily newspapers to encourage the staff to develop

हिन्दी के दैनिक समाचार पत्र खरीदता है। वह अपने कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा चलाई जानेवाली हिन्दी कार्यशालाओं में भी प्रतिनियुक्त करता है और उन्हें हिन्दी प्रचारक समितियों द्वारा संचालित विभिन्न हिन्दी परीक्षाओं में बैठने के लिए भी प्रोत्साहित करता है।

27.2 निगम द्वारा बैंकों के जमाकर्ताओं को दिये जानेवाले संरक्षण का प्रचार करने के लिए निगम ने अंग्रेज़ी, हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में प्रकाशित अपने पोस्टरों की प्रतियां सभी बीमाकृत बैंकों को निःशुल्क प्रदान करना जारी रखा है। निगम जमा बीमा के संदेश का प्रसार करने के लिए क्षेत्रीय भाषाओं में आकर्षक पत्रक प्रकाशित करता है और इन पत्रकों को जनता के बीच वितरित करने के लिए मांग करने वाले बैंकों को इनकी पूर्ति कम कीमत की दरों पर की जाती है।

प्रशिक्षण

28. विभिन्न वाणिज्य बैंकों और त्रिपुरा औद्योगिक विकास निगम के कर्मचारी तथा सेंट्रल बैंक ऑफ केन्या के दो अधिकारी निगम की विभिन्न योजनाओं के परिचालनों का अध्ययन करने के निमित्त निगम में आये। राष्ट्रीय लघु उद्योग संस्थान, हैदराबाद द्वारा आयोजित विस्तार प्रशिक्षण में विभिन्न देशों के 19 अधिकारियों को निगम की योजनाओं का अध्ययन करने की सुविधायें भी प्रदान की गईं। इसके अलावा निगम ने अपने अधिकारियों को कुछ वाणिज्य बैंकों द्वारा आयोजित विचार गोष्ठियों (सेमिनार) में भाग लेने तथा वाणिज्य बैंकों और भारतीय रिज़र्व बैंक की विभिन्न प्रशिक्षण संस्थाओं में निगम की विभिन्न योजनाओं के उपबंधों की व्याख्या करने के लिए प्रतिनियुक्त किया। निगम के कर्मचारियों को भारतीय रिज़र्व बैंक के प्रशिक्षण केन्द्रों में प्रदान की जानेवाली प्रशिक्षण सुविधाओं का लाभ भी प्रदान किया गया। विश्व बैंक के निमंत्रण पर भूतपूर्व महाप्रबंधक (श्री के.के.सक्सेना) ने जुलाई 1986 के दौरान लंदन में आयोजित "लघु उद्यमों को वाणिज्य बैंकों द्वारा उधार का दिया जाना तथा ऋण गारंटी योजनाओं के परिचालन से संबंधित अंतर्राष्ट्रीय कार्यशाला में भाग लिया।

प्रबंधक वर्ग

29. साधारण बीमा निगम के प्रबंध निदेशक श्री सी.एन.एस. शास्त्री को श्री आर.वी. माधवराव के स्थान पर 14 मई 1986 से निदेशक के रूप में नामित किया गया। श्री पी.ए. नायर सनदी लेखाकार, बंबई को श्री एस.वी. घाटालिया के स्थान पर 17 जून 1986 से निदेशक के रूप में नामित किया गया। भारतीय स्टेट बैंक के प्रबंध निदेशक श्री सी.एस. कल्याणसुंदरम को श्री ए.एस. पुरी के स्थान पर 8 अक्टूबर 1986 से निदेशक के रूप में नामित किया गया। युनाइटेड

an interest in Hindi. The staff are also deputed to Hindi workshops conducted by RBI and are encouraged to appear for various Hindi examinations conducted by Hindi Pracharak Samities.

27.2 The Corporation continues to supply free of cost to all insured banks, copies of posters in Hindi, English and other regional languages publicising the protection afforded to bank depositors. Attractive leaflets are brought out in regional languages to spread the message of deposit insurance and these are supplied to indenting banks at subsidised rates for distribution among the public.

Training

28. Staff from various commercial banks, Tripura Industrial Development Corporation and two officials of the Central Bank of Kenya visited the Corporation to study the operations of its various Schemes. As arranged by the National Institute of Small Industry Extension Training, Hyderabad, facilities were also provided to 19 officers from various countries to study the operations of the Schemes. Further, the Corporation deputed its officers to participate in seminars organised by some commercial banks and to various training institutions of commercial banks and Reserve Bank of India for explaining the provisions of its various Schemes. The staff of the Corporation was also exposed to the training facilities offered by the Reserve Bank of India at its training centres. At the invitation of the World Bank, the former General Manager (Shri K.K. Saksena) participated in an international workshop on 'Commercial Bank Lending to Small Enterprises and Operations of Credit Guarantee Schemes' held in London during July 1986.

Management

29. Shri C.N.S. Shastri, Managing Director, General Insurance Corporation of India was nominated as a Director with effect from 14 May 1986 vice Shri R.V. Madhava Rao. Shri P.A. Nair, Chartered Accountant, Bombay was nominated as a Director with effect from 17 June 1986 vice Shri S.V. Ghatalia. Shri C.S. Kalyanasundaram, Managing Director, State Bank of India, was nominated as a Director with effect from 8

बैंक ऑफ इंडिया के अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक, श्री के.डी. नायर को श्री एस.पी. सेनगुप्ता के स्थान पर निदेशक के रूप में नामित किया गया। सहकारी कार्यकर्ता (कोआपरेटर) उड़ीसा के श्री एच.के. सामल को 19 जुलाई 1986 से दो वर्षों की अगली अवधि के लिए निदेशक के रूप में फिर से नामित किया गया। सर्वश्री आर.वी. माधव राव, एस.वी. घाटलिया, ए.एस. पुरी और एस.पी. सेनगुप्ता द्वारा प्रदान किये गये बहुमूल्य योगदान के लिए निदेशक बोर्ड उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है और नये निदेशकों का स्वागत करता है।

30. आलोच्य वर्ष के दौरान बोर्ड की पांच बैठकें, कार्यकारिणी समिति की तीन बैठकें तथा दावा समिति की 13 बैठकें आयोजित की गईं।

31 निगम के कार्यभार और उत्तरदायित्वों में पिछले कुछ वर्षों में वृद्धि हुई है। अब निगम दावों की बढ़ती हुई संख्या को निपटाने में लगा हुआ है तथा वह आगे आनेवाले चुनौती पूर्ण कार्यों को सफलता पूर्वक पूरा करने के लिए अपने आप को उपयुक्त बनाने के तरीके और उपाय अपनाने की प्रक्रिया से गुजरता रहा है। निगम के कार्य के बढ़ते हुए क्षेत्र और उसकी मात्रा में हुई वृद्धि को निपटाने में महाप्रबंधक और सभी स्तरों के कर्मचारियों द्वारा किये गये प्रयासों और प्रदान की गई सहायता के लिए बोर्ड उनकी हार्दिक प्रशंसा करता है।

निक्षेप बीमा और
प्रत्यय गारंटी
निगम

बम्बई-400 039.

दिनांक 21 मार्च 1987

निदेशक बोर्ड के लिए
और उसकी ओर से

(पी.डी. ओझा)
अध्यक्ष

Deposit Insurance and
Credit Guarantee
Corporation,
Bombay 400 039.

Dated the 21st March 1987

For and on behalf of
the Board of Directors

(P.D. Ojha)
Chairman

October 1986 vice Shri A.S. Puri. Shri K.D. Nayar, Chairman and Managing Director, United Bank of India was nominated as a Director with effect from 10 February 1987 vice Shri S.P. Sen Gupta. Shri H.K. Samal, Co-operator from Orissa has been renominated as a Director for a further period of two years from 19 July 1986. The Board places on record its sincere appreciation of the valuable contributions made by Sarvashri R.V. Madhava Rao, S.V. Ghatalia, A.S. Puri and S.P. Sen Gupta and welcomes the new Directors.

30. Five meetings of the Board, three meetings of the Executive Committee and 13 meetings of the Claims Committee were held during the year under report.

31. Over the past few years, the workload and responsibilities of the Corporation have increased. The Corporation is now involved in settling increasing number of claims and is also in the process of adopting ways and means to attune itself to successfully meet the challenging tasks ahead. The Board records its sincere appreciation of the efforts and support given by the General Manager and staff at all levels in coping with the increased range and volume of work.

दिसम्बर 1986 को समाप्त हुए वर्ष के दौरान बीमाकृत बैंक के रूप में पंजीकृत और विपंजीकृत बैंकों के नाम दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING THE NAMES OF THE BANKS REGISTERED AND DEREGISTERED AS INSURED BANKS DURING THE YEAR ENDED DECEMBER 1986

(अ) वर्ष 1986 के दौरान बीमाकृत बैंकों के रूप में पंजीकृत बैंकों के नाम

(A) Names of banks registered as insured banks during the year 1986

वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ बहरेन अन्ड कुवेत बी.एस.सी.

Commercial Bank

1. Bank of Bahrain & Kuwait B.S.C.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अधियसान ग्राम्य बैंक
2. मालवा ग्रामीण बैंक
3. फरिदकोट भटिन्डा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
4. कनकदुर्गा ग्रामीण बैंक
5. थाने ग्रामीण बैंक
6. विडिशा भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. वल्लालार ग्राम बैंक

Regional Rural Banks

1. Adhiyaman Grama Bank
2. Malwa Gramin Bank
3. Faridkot Bhatinda Kshetriya Gramin Bank
4. Kanakadurga Grameena Bank
5. Thane Gramin Bank
6. Vidisha Bhopal Kshetriya Gramin Bank
7. Vallalar Grama Bank

सहकारी बैंक

1. बलसाड महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. जामनगर पिपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

Co-operative Banks

Gujarat

1. Valsad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Jamnagar Peoples Co-operative Bank Ltd.

केरल

1. थिरुवल्ला को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. सुलतानसु बेटरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

Kerala

1. Thiruvalla Co-operative Bank Ltd.
2. Sultan's Battery Co-operative Urban Bank Ltd.

मध्य प्रदेश

1. महिस्मति नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. नागरिक सहकारी बैंक लि., सागर

Madhya Pradesh

1. Mahismati Nagrik Sahakari Bank Ltd.,
2. Nagrik Sahakari Bank Ltd., Sagar

महाराष्ट्र

1. पुसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि., अंबरनाथ

Maharashtra

1. Pusad Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Jai Hind Co-operative Bank Ltd., Ambarnath

3. कोल्हापुर महिला सहकारी बँक लि.
4. साधना सहकारी बँक लि., नागपुर
5. आशिर्वाद महिला नागरी सहकारी बँक लि., हिंगणघाट
6. गडचिरोली डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रल को-ऑपरेटिव बँक लि.

राजस्थान

1. अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि., पाली
2. अलवर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.

उत्तर प्रदेश

1. नागरिया सहकारी बँक लि.
2. मानसरोवर अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.
3. लखनऊ अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.

संघशासित क्षेत्र

दिल्ली

1. परीषद अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.
2. सिटिजन को-ऑपरेटिव बँक लि.

(आ) वर्ष 1986 के दौरान विपंजीकृत बैंकों के नाम
दशानिवाला विवरण

वाणिज्य बैंक

1. हिन्दुस्तान कमर्शियल बँक लि.

सहकारी बैंक

गुजरात

1. धोराजी उपलेटा विभाग नागरिक सहकारी बँक लि.

कर्नाटक

1. गदग अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.
2. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर एम्प्लोईज को-ऑपरेटिव बँक लि.

संघशासित क्षेत्र

दिल्ली

1. दिल्ली अर्बन को-ऑपरेटिव बँक लि.

3. Kolhapur Mahila Sahakari Bank Ltd.
4. Sadhana Sahakari Bank Ltd., Nagpur
5. Ashirwad Mahila Nagari Sahakari Bank Ltd., Hinganghat
6. Gadchiroli District Central Co-operative Bank Ltd.

Rajasthan

1. Urban Co-operative Bank Ltd., Pali
2. Alwar Urban Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

1. Nagariya Sahakari Bank Ltd.
2. Mansarovar Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Lucknow Urban Co-operative Bank Ltd.

Union Territory

Delhi

1. Parishad Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Citizen Co-operative Bank Ltd.

(B) Statement showing the names of the banks
deregistered during the year 1986

Commercial Bank

1. Hindustan Commercial Bank Ltd.

Co-operative Banks

Gujarat

1. Dhoraji Upleta Vibhag Nagrik Sahakari Bank Ltd.

Karnataka

1. Gadag Urban Co-operative Bank Ltd.
2. State Bank of Mysore Employees' Co-operative Bank Ltd.

Union Territory

Delhi

1. Delhi Urban Co-operative Bank Ltd.

बीमाकृत बैंकों का सारांश
SUMMARY OF INSURED BANKS

(31 दिसंबर 1986 की स्थिति के अनुसार)
(As on 31 December 1986)

I.	वाणिज्य बैंक COMMERCIAL BANKS		83
II.	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक REGIONAL RURAL BANKS		194
III.	सहकारी बैंक CO-OPERATIVE BANKS		

राज्य STATE	शिखर APEX	मध्यवर्ती CENTRAL	प्राथमिक PRIMARY	जोड़ TOTAL
आंध्र प्रदेश ANDHRA PRADESH	1	27	58	86
गुजरात GUJARAT	1	21	288	310
हिमाचल प्रदेश HIMACHAL PRADESH	1	2	4	7
जम्मू और कश्मीर JAMMU & KASHMIR	1	3	1	5
कर्नाटक KARNATAKA	1	22	206	229
केरल KERALA	1	13	55	69
मध्य प्रदेश MADHYA PRADESH	1	45	36	82
महाराष्ट्र MAHARASHTRA	1	31	368	400
उड़ीसा ORISSA	1	17	10	28
राजस्थान RAJASTHAN	1	26	16	43
तमिलनाडु TAMIL NADU	1	18	134	153
त्रिपुरा TRIPURA	1	—	1	2
उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH	1	56	25	82
पश्चिम बंगाल WEST BENGAL	1	17	48	66
आगे ले जाया गया Carried over				
				14
				298
				1,250
				1,562

संघशासित क्षेत्र UNION TERRITORIES	आगे लाया गया Brought forward	14	298	1,250	1,562
दिल्ली DELHI		1	—	11	12
गोवा, दमन और दीव GOA, DAMAN & DIU		1	—	5	6
पांडिचेरी PONDICHERRY		1	—	1	2
जोड़ (सहकारी बैंक) : TOTAL (Co-operative Banks)		<u>17</u>	<u>298</u>	<u>1,267</u>	<u>1,582</u>
जोड़ : I , II और III : TOTAL (I, II & III)					1,859

अनुबंध-II
ANNEXURE II

**वर्ष 1962 से जमा बीमा योजना के अंतर्गत आनेवाले बैंकों (वाणिज्य, क्षेत्रीय ग्रामीण तथा सहकारी) की संख्या
दशनिवाला विवरण**

STATEMENT SHOWING THE NUMBER OF BANKS (COMMERCIAL, REGIONAL RURAL AND
CO-OPERATIVE) COVERED UNDER THE DEPOSIT INSURANCE SCHEME, SINCE 1962

वर्ष Year	वर्ष के आरंभ में पंजीकृत बैंकों की संख्या No. of registered banks at the commence- ment of the year	वर्ष के दौरान पंजीकृत बैंकों की संख्या No. of banks registered during the year	उन विपंजीकृत बैंकों की संख्या जहां निगम पर देयता No. of banks deregistered Where Corporation's liability			वर्ष के अंत में पंजीकृत बैंकों की संख्या No. of registered banks at the close of the year (2 + 3-6)
			आयी was attracted	नहीं आयी was not attracted	जोड़ (4 + 5) Total (4 + 5)	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1962	287	—	2	9	11	276
1963	276	—	1	25	26	250
1964	250	1	6	88	94	157
1965	157	—	—	48	48	109
1966	109	1	2	8	10	100
1967	100	—	—	9	9	91
1968	91	—	—	3	3	88
1969	88	—	2	1	3	85
1970	85	—	1	1	2	83
1971	83	385	—	3	3	465
1972	465	16	—	5	5	476
1973	476	18	—	2	2	492
1974	492	37	—	3	3	526
1975	526	88	—	3	3	611
1976	611	155	3	6	9	757
1977	757	223	2	3	5	975
1978	975	51	4	1	5	1,021
1979	1,021	375	—	4	4	1,392
1980	1,392	191	—	1	1	1,582
1981	1,582	69	1	3	4	1,647
1982	1,647	44	1	7	8	1,683
1983	1,683	55	—	2	2	1,736
1984	1,736	71	1	1	2	1,805
1985	1,805	41	5	4	9	1,837
1986	1,837	27	2	3	5	1,859

टिप्पणी: 1984-86 के अंत में बीमाकृत बैंकों का अलग-अलग विवरण

Note: Break-up of insured banks at the end of 1984-86

वर्ष Year	--बीमाकृत बैंकों की संख्या No of insured banks			
	वाणिज्य Commercial	क्षेत्रीय ग्रामीण Regional Rural	सहकारी Co-operative	जोड़ Total
1984	84	171	1,550	1,805
1985	83	187	1,567	1,837
1986	83	194	1,582	1,859

अनुबंध- III

ANNEXURE III

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी रक्षा की सीमा दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF INSURED BANKS

(वाणिज्य बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक और सहकारी बैंक)

(Commercial Banks, Regional Rural Banks and Co-operative Banks)

(दिसंबर 1961 के अंतिम शुक्रवार, 1967, 1970, 1971 तथा 1976 के प्रत्येक सितंबर के अंतिम शुक्रवार, पहली जुलाई 1980 और जून 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 और 1986 के अंतिम कार्य दिवस की स्थिति)

(As on the last Fridays of December 1961, September each of 1967, 1970, 1971, 1976, 1st July 1980 and the last working day of June 1981, 1982, 1983, 1984, 1985 and 1986)

वर्ष Year	पूर्णतः रक्षित खातों की संख्या @ (लाखों में) No. of fully protected accounts (in lakhs)	खातों की कुल संख्या (लाखों में) Total No. of accounts (in lakhs)	(3) में (2) का प्रतिशत %of (2) to (3)	बीमाकृत जमा-राशियां £ (करोड़ रुपयों में) Insured deposits (Rs. in crores)	कुल निर्धारणीय जमाराशियां (करोड़ रुपयों में) Total assessable deposits (Rs. in crores)	(6) में (5) का प्रतिशत %of (5) to (6)
1	2	3	4	5	6	7
1961	55.42	70.58	78.5	392.32	1,693.74	23.1
1967	118.67	155.26	76.4	942.88	3,603.47	26.2
1970	230.38	239.79	96.1	3,410.62	5,447.88	62.6
1971	298.86	310.20	96.3	4,224.49	6,801.42	62.1
1976	718.01	730.23	98.3	11,827.43	16,587.85	71.3
1980	1,273.67	1,284.77	99.1	24,233.50	32,569.60	74.4
1981	1,364.62	1,377.07	99.1	25,859.20	35,004.43	73.9
1982	1,580.98	1,598.24	98.9	31,773.92	42,360.41	75.0
1983	1,784.97	1,815.82	98.3	37,746.39	50,796.54	74.3
1984	2,000.19	2,025.94	98.7	46,339.53	61,880.23	74.8
1985	2,145.16	2,238.37	95.8	56,211.15	76,517.22	73.5
1986	2,320.05	2,359.60	98.0	62,878.13	86,213.96	72.9

@ अर्थात् ऐसे खातों की संख्या जिनमें 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये से अनधिक बकाया राशियां थीं।

i.e., number of accounts with balances not exceeding Rs. 1,500 till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000 till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

£ अर्थात् सभी खातों में 1967 के अंत तक 1,500 रुपये, 31 मार्च 1970 तक 5,000 रुपये, 30 जून 1976 तक 10,000 रुपये, 30 जून 1980 तक 20,000 रुपये और उसके बाद 30,000 रुपये तक की जमाराशियां।

i.e., deposits upto Rs. 1,500 in all accounts till the end of 1967, Rs. 5,000 till 31 March 1970, Rs. 10,000 till 30 June 1976, Rs. 20,000 till 30 June 1980 and Rs. 30,000 thereafter.

अनुबंध-IV
ANNEXURE — IV

बीमाकृत बैंकों के जमाकर्ताओं को प्रदान की गयी रक्षा की सीमा दर्शानेवाला (श्रेणीवार) विवरण- वर्ष 1984, 1985 और 1986 के लिए
STATEMENT SHOWING THE EXTENT OF PROTECTION AFFORDED TO THE DEPOSITORS OF
INSURED BANKS (CATEGORY-WISE) FOR THE YEARS 1984, 1985 and 1986

वर्ष	बैंकों की श्रेणी	बैंकों की कुल संख्या	सूचना देनेवाले बैंकों की संख्या	बीमाकृत जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	कुल निर्धारणीय जमा राशियाँ (करोड़ रुपयों में)	6 में 5 का प्रतिशत	जमा बीमा निधि (करोड़ रुपयों में)	बीमाकृत जमा राशियों की तुलना में जमा बीमा निधि का अनुपात
Year	Category of Banks	Total No. of Banks	No. of Reporting Banks	Insured Deposits (Rs. in crores)	Total asse-ssable Deposits (Rs. in crores)	Percentage of 5 to 6	Deposit Insurance Fund (Rs. in crores)	Ratio of Deposit Insurance Fund to Insured Deposits
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1984	वाणिज्य बैंक Commercial Banks	84	79	42,071.49	56,103.02	75.0		
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	171	113	410.49	461.32	89.0		
	सहकारी बैंक Co-operative Banks	1,550	1,109	3,857.55	5,315.89	72.6		
	जोड़ Total:	1,805	1,301	46,339.53	61,880.23	74.8	218.89	0.47%
1985	वाणिज्य बैंक Commercial Banks	83	65	50,114.79	68,173.58	73.5		
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	187	143	746.81	804.08	92.9		
	सहकारी बैंक Co-operative Banks	1,567	1,200	5,349.55	7,539.56	70.9		
	जोड़ Total:	1,837	1,408	56,211.15	76,517.22	73.5	248.45	0.44%
1986	वाणिज्य बैंक Commercial Banks	83	70	55,973.95	77,161.51	72.5		
	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	194	163	1,327.70	1,420.30	93.5		
	सहकारी बैंक Co-operative Banks	1,582	1,116	5,576.48	7,632.15	73.1		
	जोड़ Total:	1,859	1,349	62,878.13	86,213.96	72.9	283.81	0.45%

अनुबंध - V
ANNEXURE — V

अदा किये गये और व्यवस्था किये गये जमा बीमा दावे तथा प्राप्त प्रतिपूर्तियाँ - 31 दिसम्बर 1986 की स्थिति
DEPOSIT INSURANCE CLAIMS PAID AND PROVIDED FOR AND REIMBURSEMENTS
RECEIVED AS ON 31 DECEMBER 1986

वाणिज्य और सहकारी बैंक जिनके दावों का निपटान किया गया
Commercial and Co-operative Banks whose claims were met

(राशि लाख रुपयों में)
(Amount in lakhs of rupees)

क्रम संख्या	बैंक का नाम (जिस वर्ष दावे निपटाये गये, उसे कोष्ठकों में दिखाया गया है)	कुल बीमाकृत जमा राशियाँ जो अदा की गयीं और जिनके लिए व्यवस्था की गयी	निगम को प्राप्त वापसी अदायगियाँ	शेष राशि (3)-(4)
Sr. No.	Name of bank (indicating in brackets the year in which the claims were met)	Total insured deposits paid and provided for	Repayments received by the Corporation	Balance (3)-(4)
1	2	3	4	5
I. वाणिज्य बैंक				
COMMERCIAL BANKS				
i) उन बैंकों से संबंध व्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति कर दी गयी है : Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full:				
s	1. बैंक आफ चाइना, कलकत्ता (1963) Bank of China, Calcutta (1963)	9.25	9.25	—
*	2. श्री जादेय शंकरलिंग बैंक लि., बीजापुर (1965) Shree Jadeya Shankarling Bank Ltd. Bijapur (1965)	0.12	0.12	—
*	3. बैंक आफ बिहार लि. पटना (1970) Bank of Behar Ltd., Patna (1970)	46.32	46.32	—
	जोड़ 'अ':	55.69	55.69	—
	Total 'A':	55.69	55.69	—
उन बैंकों से संबंध व्योरे जिनके बारे में निगम को आंशिक प्रतिपूर्ति कर दी गयी है (ii) और शेष देय राशि बट्टे खाते डाल दी गयी है : Particulars relating to banks in respect of which the Corporation had been paid in part and balance due has been written off:				
*	4. यूनिटी बैंक लि., मद्रास (1963) Unity Bank Ltd., Madras (1963)	2.53	1.37	@ @
*	5. उन्नाव कर्मशायल बैंक लि., उन्नाव (1964) Unnao Commercial Bank Ltd., Unnao (1964)	1.08	0.31	@ @
*	6. चावला बैंक लि., देहरादून (1969) Chawla Bank Ltd., Dehra Dun (1969)	0.18	0.14	@ @
*	7. मेट्रोपोलिटन बैंक लि., कलकत्ता (1964) Metropolitan Bank Ltd., Calcutta (1964)	8.80	4.41	@ @
	जोड़ 'आ':	12.59	6.23	@ @
	Total 'B':	12.59	6.23	@ @

अनुबंध - V (जारी)
ANNEXURE - V (Contd.)

1	2	3	4	5
	(iii) उन बैंकों से संबद्ध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है: Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full			
*	8. बैंक आफ अलागापुरी लि., अलागापुरी (1963) Bank of Alagapuri Ltd., Alagapuri (1963)	0.28	0.18	0.10
*	9 कोचीन नायर बैंक लि., त्रिचूर (1964) Cochin Nayar Bank Ltd., Trichur (1964)	7.10	4.15	2.95
*	10. लैटिन क्रिश्चियन बैंक लि., एर्नाकुलम (1964) Latin Christian Bank Ltd., Ernakulam (1964)	2.08	1.14	0.94
*	11. सदर्न बैंक लि., कलकत्ता (1964) Southern Bank Ltd., Calcutta (1964)	7.34	3.26	4.08
+	12. नेशनल बैंक ऑफ पाकिस्तान, कलकत्ता (1966) National Bank of Pakistan, Calcutta (1966)	0.99 (0.85)	0.88	0.11 (0.85)
+	13. हबीब बैंक लि., बंबई (1966) Habib Bank Ltd., Bombay (1966)	17.26 (1.18)	16.78	0.48 (1.18)
*	14. नेशनल बैंक ऑफ लाहौर लि., दिल्ली (1970) National Bank of Lahore Ltd., Delhi (1970)	9.69	—	9.69
+	15. बैंक ऑफ कोचिन लि., कोचिन (1986) Bank of Cochin Ltd., Cochin (1986)			
	जोड़ 'इ':	1,162.78	—	1,162.78
	Total 'C':	1,207.52 (2.03)	26.39	1,181.13 (2.03)
	जोड़ ('अ' + 'आ' + 'इ'):	1,275.80	88.31	1,181.13
	Total 'A'+ 'B'+ 'C':	(2.03)		(2.03)
	सहकारी बैंक			
	II. CO-OPERATIVE BANKS			
	उस बैंक से संबद्ध ब्योरे जिसके बारे में निगम को परी प्रतिपूर्ति कर दी गयी:			
	(i) Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has been reimbursed in full. :			
§ §	16. मालवण को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि., मालवण (1977) Malvan Co-op. Urban Bank Ltd., Malvan (1977)	1.86	1.84	— ++
	जोड़ 'डी':	1.86	1.84	—
	Total 'D':	1.86	1.84	—

अनुबंध - V (जारी)
ANNEXURE - V (Contd.)

1	2	3	4	5
	(ii) उन बैंकों के संबंध ब्योरे जिनके बारे में निगम को पूरी प्रतिपूर्ति नहीं की गयी है: Particulars relating to banks in respect of which the Corporation has not been reimbursed in full :			
@ 17.	बंबई कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1976) Bombay Commercial Co-op. Bank Ltd., Bombay (1976)	5.73	—	5.73
@ 18.	घाटकोपर जनता सहकारी बैंक लिमिटेड, बंबई (1977) Ghatkopar Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1977)	2.76	—	2.76
@ 19.	बंबई पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978) Bombay Peoples Co-op Bank Ltd., Bombay (1978)	10.72	7.24	3.48
@ 20.	आरे मिल्क कालोनी को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1978) Aarey Milk Colony Co-op. Bank Ltd. Bombay (1978)	0.60	—	0.60
* 21.	रत्नागिरी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि., रत्नागिरी (1978) Ratnagiri Urban Co-op. Bank Ltd. Ratnagiri (1978)	46.43	10.02	36.41
* 22.	विश्वकर्मा को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1979) Vishwakarma Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	11.57	—	11.57
* 23.	प्रभादेवी जनता सहकारी बैंक लि., बंबई (1979) Prabhadevi Janata Sahakari Bank Ltd., Bombay (1979)	4.22	—	4.22
* 24.	कला विहार को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंबई (1979) Kalavihar Co-op. Bank Ltd., Bombay (1979)	13.16	2.41	10.75
@ 25.	रामदुर्ग अर्बन को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि., रामदुर्ग (1981) Ramdurg Urban Co-op. Credit Bank Ltd., Ramdurg (1981)	2.30	—	2.30
* 26.	वैश्य को-ऑपरेटिव बैंक लि., बंगलूर (1982) Vysya Co-op. Bank Ltd., Bangalore (1982)	91.31	—	91.31
@ 27.	दधीच सहकारी बैंक लि., बंबई (1984) Dadhich Sahakari Bank Ltd., Bombay (1984)	18.51	7.37	11.14
@ 28.	कोल्लूर पार्वती को-ऑपरेटिव बैंक लि., (1985) Kollur Parvathi Co-op. Bank Ltd. (1985)	13.96	—	13.96
@ 29.	आदर्श को-ऑपरेटिव बैंक लि. (1985) Adarsha Co-op. Bank Ltd. (1985)	2.74	0.29	2.45
	आगे ले जाया गया Carried over	224.01	27.33	196.68

अनुबन्ध - V (समाप्त)
ANNEXURE - V (Concl'd.)

1	2	3	4	5
	आगे लाया गया Brought forward	224.01	27.33	196.68
*	30. कुर्डवाडी मर्चन्ट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. (1986) Kurduwadi Merchants Urban Co-op. Bank Ltd. (1986)	4.85	—	4.85
⑥	31. गदग अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि. (1986) Gadag Urban Co-op. Bank Ltd. (1986)	22.85	—	22.85
	जोड़ 'उ' :			
	Total 'E':	251.71	27.33	224.38
	जोड़ 'ई' + 'उ' :			
	Total 'D' + 'E':	253.57	29.17	224.38
	जोड़ 'अ'+ 'आ'+ 'इ'+ 'ई'+ 'उ' :			
	TOTAL 'A'+ 'B'+ 'C'+ 'D'+ 'E':	1,529.37 (2.03)	117.48	1,405.51 (2.03)

- § बैंकिंग कारोबार करने के लिए दिया गया लाइसेंस भारतीय रिज़र्व बैंक ने रद्द कर दिया।
Licence to carry on banking business cancelled by the Reserve Bank of India.
- ⑥ कुल 6.36 लाख रुपये की शेष राशि बट्टे खाते डाली गयी। इसमें 0.07 लाख रुपये की वह राशि भी शामिल है, जिसके लिए केवल व्यवस्था की गयी है किन्तु यह अदा नहीं की गयी है।
Balances aggregating Rs. 6.36 lakhs have been written off.
These include a sum of Rs. 0.07 lakh not paid but only provided for.
- * सम्मेलन योजना
Scheme of Amalgamation
- ⑥ ये बैंक परसिमापनाधीन हैं।
Banks taken into liquidation
- + व्यवस्था योजना।
Scheme of arrangement.
- ++ लापता जमाकर्ताओं के संबंध में की गयी व्यवस्था की 0.02 लाख रुपये की राशि पुर्णकृत की गयी।
Provision of Rs. 0.02 lakh made in respect of untraceable depositors written back.
- \$\$ वर्ष 1984 में बैंक को पुनः शुरू किया गया और सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि., में इसका स्वैच्छिक सम्मेलन कर दिया गया।
The bank was revived and voluntarily amalgamated with the Saraswat Co-op. Bank Ltd. in 1984.
- टिप्पणी :- (क) ऊपर दिये गये दावों के आंकड़े समायोजन करने के बाद के हैं।
Notes : (a) The figures of claims given above are after effecting adjustments.
(ख) कोष्ठकों में दिये गये आंकड़े पाकिस्तानी राष्ट्रियों के बारे में निषिद्ध देयताओं को सूचित करते हैं।
(b) Figures given within brackets denote prohibited liabilities in respect of Pakistani Nationals.

अनुबंध-
ANNEXURE -
निगम की विभिन्न योजनाओं के अंतर्गत
STATEMENT OF GUARANTEED ADVANCES UNDER

योजना/ऋणकर्ताओं की श्रेणी Scheme/Category of borrowers	निम्नलिखित वर्षों के जून के अंत में As at the end of June		
	1972	1978	1981
(1)	(2)	(3)	(4)
छोटे ऋणकर्ता SMALL BORROWERS			
अ गैर-औद्योगिक क्षेत्र से संबंधित योजनाएं (A) SCHEMES RELATING TO NON-INDUSTRIAL SECTOR			
I. लघु ऋण गारंटी योजना 1971 Small Loans Guarantee Scheme, 1971	205.71	1,706.29	3,546.24
(i) कृषक और काश्तकार Farmers & Agriculturists	134.67	1,057.04	2,267.52
(ii) परिवहन चालक Transport Operators	28.29	282.66	477.56
(iii) फुटकर व्यापारी Retail Traders	28.34	178.92	398.86
(iv) व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति Professional & Self-employed Persons	9.14	87.96	165.66
(v) कारोबारी उद्यम Business Enterprises	5.27	68.07	150.08
(vi) विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी Residual category of borrowers under the Differential Rate of Interest Scheme	—	31.64	86.56
II. लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971	2.56	8.66	10.89
(i) परिवहन चालक Transport Operators	2.35	7.97	10.33
(ii) कारोबार उद्यम Business Enterprises	0.21	0.69	0.56
III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना, 1971 Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971	0.12	0.22	1.32
I, II और III का जोड़: Total of I, II & III:	208.39	1,715.17	3,558.45

- VI
- VI

गारंटीकृत अग्रिमों का विवरण

THE CORPORATION'S VARIOUS SCHEMES

(राशि करोड़ रुपयों में)
(In crores of rupees)

निम्नलिखित वर्षों के जून के अंत में As at the end of June					
					1986
1982	1983	1984	1985	राशि Amount	I, II और III के जोड़ में प्रतिशत Percentage to the total of I, II, & III
(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
4,819.77	5,736.44	7,045.38	8,842.29	10,345.10	99.03
3,041.59	3,594.84	4,181.98	5,057.75	6,020.34	57.63
731.31	937.68	1,239.58	1,510.21	1,606.00	15.37
511.83	574.80	709.84	972.45	1,191.85	11.41
199.12	240.76	326.94	484.88	656.56	6.29
209.70	239.62	322.51	473.42	609.51	5.83
126.22	148.74	264.53	343.58	260.84	2.50
18.58	35.64	52.68	69.24	85.19	0.82
18.35	35.40	52.28	68.93	84.88	0.81
0.23	0.24	0.40	0.31	0.31	—
1.53	1.75	0.50	0.72	0.72	0.01
4,839.88	5,773.83	7,098.56	8,912.25	10,431.01	99.86

(जारी) (Contd.)

(1)	(2)	(3)	(4)
IV. लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984			
Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984	—	—	—
(i) परिवहन चालक Transport Operators	—	—	—
(ii) फुटकर व्यापारी Retail Traders	—	—	—
(iii) व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति Professional & Self-employed Persons	—	—	—
(iv) कारोबार उद्यम Business Enterprises	—	—	—
I, II और III का जोड़ :			
Total of I, II, III & IV :	208.39	1,715.17	3,558.45
लघु उद्योगों के ऋणकर्ता			
SSI BORROWERS			
(आ) औद्योगिक क्षेत्र (लघु उद्योग) से संबंधित योजना			
(B) SCHEME RELATING TO INDUSTRIAL (SSI) SECTOR			
V लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981			
V Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981			
कुटीर उद्योगों आदि को अंतर्भूत लघु उद्योग के सभी यूनिटों All SSI units including cottage industries etc.			3,716.43*

@ 31 दिसम्बर 1984 तक

As on 31 December 1984

* 31 मार्च 1981 तक

AS on 31 March 1981.

VI (समाप्त)
VI (Concl.)

(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
—	—	5.69 @	10.76	14.96	0.14
—	—	1.84	3.63	5.49	0.05
—	—	2.64	4.51	5.53	0.05
—	—	1.05	1.55	1.87	0.02
—	—	0.16	1.07	2.07	0.02
4,839.88	5,773.83	7,104.25	8,923.01	10,445.97	100.00
3,822.13	4,153.73	4,890.86	5,843.69	7,497.46	

अनुबंध VII

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं में भाग लेनेवासी ऋण संस्थाओं की 31 दिसम्बर 1986 तक ही स्थिति दर्शानेवासी सूची

I. सघु ऋण गारंटी योजना, 1971

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्रा बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16. कॉर्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. यूनाईटेड बैंक ऑफ इंडिया
27. यूको बैंक
28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

29. एलजिमिन बैंक निदरलैंड एन.वी.
30. अमेरिकन एक्सप्रेस बैंक लि.
31. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन

ANNEXURE-VII

LIST OF CREDIT INSTITUTIONS PARTICIPATING IN THE CORPORATION'S CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS AS ON 31 DECEMBER 1986

I. SMALL LOANS GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. UCO Bank
28. Vijaya Bank

Foreign Banks

29. Algemene Bank Nederland N.V.
30. American Express Bank Ltd.
31. Bank of America National Trust and Savings Association

32. बैंक ऑफ टोक्यो लि.
33. बैंक नेशनल पेरिस
34. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
35. चार्टर्ड बैंक
36. सिटीबैंक एन.ए.
37. ग्रिण्डलेज़ बैंक पी.एल.सी.
38. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
39. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

40. बैंक ऑफ कराड लि.
41. बैंक ऑफ मदुरै लि.
42. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
43. बैंक ऑफ तमिलनाडु लि.
44. बैंक ऑफ तंजावुर लि.
45. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लि.
46. बनारस स्टेट बैंक लि.
47. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
48. कैथोलिक सीरियन बैंक लि.
49. धनलक्ष्मी बैंक लि.
50. फेडरेशन बैंक लि.
51. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
52. कर्नाटक बैंक लि.
53. करूर वैश्य बैंक लिमिटेड
54. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
55. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
56. लार्ड कृष्णा बैंक लि.
57. नैनीताल बैंक लि.
58. नेदुंगाडि बैंक लि.
59. परूर सेन्ट्रल बैंक लि.
60. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
61. पूर्वांचल बैंक लि.
62. रत्नाकर बैंक लि.
63. सांगली बैंक लि.
64. साउथ इंडियन बैंक लि.
65. तामिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लि.
66. ट्रेडर्स बैंक लि.
67. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
68. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
69. वैश्य बैंक लि.

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

70. गणेश बैंक ऑफ कुरुंदवड़ लि.
71. काशिनाथ सेठ बैंक लि.

32. Bank of Tokyo Ltd.
33. Banque Nationale de Paris
34. British Bank of the Middle East
35. Chartered Bank
36. Citibank N.A.
37. Grindlays Bank p.l.c.
38. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
39. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

40. Bank of Karad Ltd.
41. Bank of Madura Ltd.
42. Bank of Rajasthan Ltd.
43. Bank of Tamilnad Ltd.
44. Bank of Thanjavur Ltd.
45. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
46. Benares State Bank Ltd.
47. Bharat Overseas Bank Ltd.
48. Catholic Syrian Bank Ltd.
49. Dhanalakshmi Bank Ltd.
50. Federal Bank Ltd.
51. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
52. Karnataka Bank Ltd.
53. Karur Vysya Bank Ltd.
54. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
55. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
56. Lord Krishna Bank Ltd.
57. Naini Tal Bank Ltd.
58. Nedungadi Bank Ltd.
59. Parur Central Bank Ltd.
60. Punjab Co-operative Bank Ltd.
61. Purbanchal Bank Ltd.
62. Ratnakar Bank Ltd.
63. Sangli Bank Ltd.
64. South Indian Bank Ltd.
65. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
66. Traders' Bank Ltd.
67. United Industrial Bank Ltd.
68. United Western Bank Ltd.
69. Vysya Bank Ltd.

Non-Scheduled Commercial Banks

70. Ganesh Bank of Kurundwad Ltd.
71. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

72. अधियमान ग्राम बैंक
73. अकोला ग्रामीण बैंक
74. अलकनंदा ग्रामीण बैंक
75. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
76. इलाहाबाद क्षेत्रीय बैंक
77. अलवर भरतपुर आंचलिक ग्रामीण बैंक
78. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
79. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. अरुणाचल प्रदेश रुशल बैंक
81. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
82. वैतरणी ग्राम्य बैंक
83. वालासोर ग्राम्य बैंक
84. वालिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
85. वनासकांठा-म्हैसाणा ग्रामीण बैंक
86. वाराणसी ग्रामीण बैंक
87. वर्धमान ग्रामीण बैंक
88. वरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
89. वस्तर क्षेत्रीय बैंक
90. वस्ती ग्रामीण बैंक
91. वेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
92. भागलपुर-वांका क्षेत्रीय बैंक
93. भागीरथ ग्रामीण बैंक
94. भंडारा ग्रामीण बैंक
95. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
96. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
97. बीजापुर ग्रामीण बैंक
98. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय बैंक
99. वोलंगीर आंचलिक ग्रामीण बैंक
100. बुंदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
101. बूंदी चित्तौड़गढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
102. कछार ग्रामीण बैंक
103. कावेरी ग्रामीण बैंक
104. चम्बल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
105. चंपारन क्षेत्रीय बैंक
106. चैतन्य ग्रामीण बैंक
107. चन्द्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
108. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
109. छिन्दवाड़ा सिवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
110. चिकमंगलूर-कोडगु ग्रामीण बैंक
111. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
112. कटक ग्राम्य बैंक
113. दामोह-पन्ना-सागर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

Regional Rural Banks

72. Adhiyaman Grama Bank
73. Akola Gramin Bank
74. Alaknanda Gramin Bank
75. Aligarh Gramin Bank
76. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
77. Alwar-Bharatpur Anchalik Gramin Bank
78. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
79. Aravali Kshetriya Gramin Bank
80. Arunachal Pradesh Rural Bank
81. Aurangabad-Jalna Gramin Bank
82. Baitarani Gramya Bank
83. Balasore Gramya Bank
84. Ballia Kshetriya Gramin Bank
85. Banaskantha-Mehsana Gramin Bank
86. Bara Banki Gramin Bank
87. Bardhaman Gramin Bank
88. Bareilly Kshetriya Gramin Bank
89. Bastar Kshetriya Gramin Bank
90. Basti Gramin Bank
91. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
92. Bhagalpur-Banka Kshetriya Gramin Bank
93. Bhagirath Gramin Bank
94. Bhandara Gramin Bank
95. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank
96. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
97. Bijapur Gramin Bank
98. Bilaspur-Raipur Kshetriya Gramin Bank
99. Bolangir Anchalik Gramya Bank
100. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
101. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank
102. Cachar Gramin Bank
103. Cauvery Grameena Bank
104. Chambal Kshetriya Gramin Bank
105. Champaran Kshetriya Gramin Bank
106. Chaitanya Grameena Bank
107. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
108. Chhatrasal Gramin Bank
109. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
110. Chickmagalur-Kodagu Grameena Bank
111. Chitradurga Gramin Bank
112. Cuttack Gramya Bank
113. Damoh-Panna-Sagar Kshetriya Gramin Bank

114. देवी पाटण क्षेत्रीय बैंक
115. देवास-शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
116. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
117. डुंगरपुर-वांसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
118. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
119. इलाकाई देहाती बैंक
120. एटा ग्रामीण बैंक
121. इटावा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
122. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
123. फरुखाबाद ग्रामीण बैंक
124. फतेहपुर क्षेत्रीय बैंक
125. गंगा यमुना ग्रामीण बैंक
126. गौड़ ग्रामीण बैंक
127. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
128. गोलकुंडा ग्रामीण बैंक
129. गोमती ग्रामीण बैंक
130. गोपालगंज क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
131. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
132. गुरदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
133. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
134. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
135. होडोती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
136. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
137. हरदोई-उन्नाव ग्रामीण बैंक
138. हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
139. हिमाचल ग्रामीण बैंक
140. हावड़ा ग्रामीण बैंक
141. इंदौर उज्जैन क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
142. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
143. जम्मू रुशल बैंक
144. जामनगर ग्रामीण बैंक
145. जमुना ग्रामीण बैंक
146. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
147. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक
148. काकथिया ग्रामीण बैंक
149. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
150. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
151. कामराज रुशल बैंक
152. कानपुर क्षेत्रीय बैंक
153. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
154. काशी ग्रामीण बैंक
155. खांसी जैनतिया रुशल बैंक
156. किसान ग्रामीण बैंक

114. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
115. Dewas-Shajapur Kshetriya Gramin Bank
116. Dhenkanal Gramya Bank
117. Dungarpur-Banswara Kshetriya Gramin Bank
118. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
119. Ellaquai Dehati Bank
120. Etah Gramin Bank
121. Etawah Kshetriya Gramin Bank
122. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
123. Farrukhabad Gramin Bank
124. Fatehpur Kshetriya Gramin Bank
125. Ganga Yamuna Gramin Bank
126. Gaur Gramin Bank
127. Giridih Kshetriya Gramin Bank
128. Golconda Grameena Bank
129. Gomati Gramin Bank
130. Gopalganj Kshetriya Gramin Bank
131. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
132. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
133. Gurgaon Gramin Bank
134. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank
135. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
136. Haryana Kshetriya Gramin Bank
137. Hardoi Unnao Gramin Bank
138. Hazaribag Kshetriya Gramin Bank
139. Himachal Gramin Bank
140. Howrah Gramin Bank
141. Indore-Ujjain Kshetriya Gramin Bank
142. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
143. Jammu Rural Bank
144. Jamnagar Gramin Bank
145. Jamuna Gramin Bank
146. Jhabua-Dhar Kshetriya Gramin Bank
147. Junagadh-Amreli Gramin Bank
148. Kakathiya Grameena Bank
149. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
150. Kalpatharu Grameena Bank
151. Kamraz Rural Bank
152. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
153. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
154. Kashi Gramin Bank
155. Khasi Jaintia Rural Bank
156. Kisan Gramin Bank

अनुबंध - VII (जारी)

157. कोलार ग्रामीण बैंक
158. कोरपुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
159. कोसी क्षेत्रीय बैंक
160. कृष्णा ग्रामीण बैंक
161. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
162. क्षेत्रीय किसान ग्रामीण बैंक
163. कच्छ ग्रामीण बैंक
164. लखिती गांवलिया बैंक
165. लांगपी देहांगी रुरल बैंक
166. मधुवनी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
167. मगध ग्रामीण बैंक
168. महाकौशल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
169. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
170. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
171. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
172. मणिपुर बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
173. मणिपुर रुरल बैंक
174. मंजीरा ग्रामीण बैंक
175. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
176. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
177. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
178. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
179. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
180. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
181. मिज़ोरम रुरल बैंक
182. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
183. मुरशिदाबाद ग्रामीण बैंक
184. मुजफ्फरनगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
185. नाडिया ग्रामीण बैंक
186. नागालैंड रुरल बैंक
187. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
188. नैनीताल-अलमोड़ा क्षेत्रीय बैंक
189. नालंदा ग्रामीण बैंक
190. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
191. नीमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
192. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
193. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
194. पंचमहल ग्रामीण बैंक
195. पंड्यन ग्राम बैंक
196. पाटलिपुत्र ग्रामीण बैंक
197. पिनाकिनी ग्रामीण बैंक
198. प्राग्यज्योतिष गांवलिया बैंक
199. प्रतापगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - VII (Contd.)

157. Kolar Gramin Bank
158. Koraput Panchabati Gramya Bank
159. Kosi Kshetriya Gramin Bank
160. Krishna Grameena Bank
161. Kshetriya Gramin Bank
162. Kshetriya Kisan Gramin Bank
163. Kutch Gramin Bank
164. Lakhimi Gaonlia Bank
165. Langpi Dehangi Rural Bank
166. Madhubani Kshetriya Gramin Bank
167. Magadh Gramin Bank
168. Mahakaushal Kshetriya Gramin Bank
169. Malaprabha Grameena Bank
170. Mallabhum Gramin Bank
171. Malwa Gramin Bank
172. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank
173. Manipur Rural Bank
174. Manjira Grameena Bank
175. Marathwada Gramin Bank
176. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
177. Marwar Gramin Bank
178. Mayurakshi Gramin Bank
179. Mewar Anchalik Gramin Bank
180. Mithila Kshetriya Gramin Bank
181. Mizoram Rural Bank
182. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
183. Murshidabad Gramin Bank
184. Muzaffarnagar Kshetriya Gramin Bank
185. Nadia Gramin Bank
186. Nagaland Rural Bank
187. Nagarjuna Grameena Bank
188. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
189. Nalanda Gramin Bank
190. Netravati Grameena Bank
191. Nimar Kshetriya Gramin Bank
192. North Malabar Gramin Bank
193. Palamau Kshetriya Gramin Bank
194. Panchmahal Gramin Bank
195. Pandyan Grama Bank
196. Patliputra Gramin Bank
197. Pinakini Grameena Bank
198. Pragjyotish Gaonlia Bank
199. Pratapgarh Kshetriya Gramin Bank

अनुबंध - VII (जारी)

200. प्रथमा बैंक
201. पुरी ग्राम्य बैंक
202. रायबरेली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
203. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
204. राजगढ़ क्षेत्रीय बैंक
205. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
206. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
207. रतलाम मंदसौर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
208. रत्नागिरी सिंधुदुर्ग ग्रामीण बैंक
209. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
210. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
211. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
212. साबरकांठा-गांधीनगर ग्रामीण बैंक
213. सागर ग्रामीण बैंक
214. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
215. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
216. सम्युत क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
217. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
218. संधाल परगना ग्रामीण बैंक
219. सारण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
220. सरयू ग्रामीण बैंक
221. शारदा ग्रामीण बैंक
222. शाहडोल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
223. शाहजहांपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
224. शेखावटी ग्रामीण बैंक
225. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
226. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
227. श्री वैकटेश्वर ग्रामीण बैंक
228. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
229. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
230. सोलापुर ग्रामीण बैंक
231. साउथ सतावार ग्रामीण बैंक
232. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
233. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
234. श्री गंगानगर क्षेत्रीय बैंक
235. श्री कनक दुर्गा ग्रामीण बैंक
236. श्री राम ग्रामीण बैंक
237. श्री सरस्वती बैंक
238. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
239. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
240. सुवनसिरी गांवलिया बैंक
241. सुल्तानपुर क्षेत्रीय बैंक
242. सूरत भरुच ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - VII (Contd.)

200. Prathama Bank
201. Puri Gramya Bank
202. Rae Bareli Kshetriya Gramin Bank
203. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
204. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
205. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
206. Rani Lakshmbai Kshetriya Gramin Bank
207. Ratlam Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
208. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
209. Rayalaseema Grameena Bank
210. Rewa Sidhi Gramin Bank
211. Rushikulya Gramya Bank
212. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
213. Sagar Gramin Bank
214. Sahyadri Gramin Bank
215. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
216. Samyut Kshetriya Gramin Bank
217. Sangameshwara Grameena Bank
218. Santhal Pargana Gramin Bank
219. Saran Kshetriya Gramin Bank
220. Saryu Gramin Bank
221. Sharda Gramin Bank
222. Shahdol Kshetriya Gramin Bank
223. Shahjahanpur Kshetriya Gramin Bank
224. Shekhawati Gramin Bank
225. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
226. Shivpuri-Guna Kshetriya Gramin Bank
227. Shri Venkateswara Grameena Bank
228. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
229. Siwan Kshetriya Gramin Bank
230. Solapur Gramin Bank
231. South Malabar Gramin Bank
232. Sravasthi Grameena Bank
233. Sree Anantha Grameena Bank
234. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
235. Sri Kanaka Durga Grameena Bank
236. Sri Rama Grameena Bank
237. Sri Saraswathi Grameena Bank
238. Sri Sathavahana Grameena Bank
239. Sri Visakha Gramin Bank
240. Subansiri Gaonlia Bank
241. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
242. Surat Bharuch Gramin Bank

ANNEXURE - VII (Contd.)

अनुबंध - VII (जारी)

243. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
244. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
245. थाने ग्रामीण बैंक
246. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
247. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
248. तुलसी ग्रामीण बैंक
249. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
250. उत्तर वंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
251. वैशाली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
252. वलसाड़ डांगस ग्रामीण बैंक
253. वरदा ग्रामीण बैंक
254. विडिशा-भोपाल क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
255. विदुर ग्रामीण बैंक
256. विंध्यवासिनी ग्रामीण बैंक
257. विश्वेश्वरावार ग्रामीण बैंक
258. यवतमाल ग्रामीण बैंक

243. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
244. Surguja Kshetriya Gramin Bank
245. Thane Gramin Bank
246. Thar Anchalik Gramin Bank
247. Tripura Gramin Bank
248. Tulsi Gramin Bank
249. Tungabhadra Gramin Bank
250. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
251. Vaishali Kshetriya Gramin Bank
252. Valsad Dangs Gramin Bank
253. Varada Grameena Bank
254. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank
255. Vidur Gramin Bank
256. VindhyaVASINI Gramin Bank
257. Visveshvaraya Grameena Bank
258. Yavatmal Gramin Bank

II. सघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना 1971

1. आंध्र प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
2. असम फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
3. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
4. दिल्ली फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
5. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
6. हरियाणा फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
7. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
8. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
9. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
10. केरल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
11. मध्य प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
12. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
13. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.
14. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
15. पाण्डिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेन्ट इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.
16. पंजाब फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन.
17. राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
18. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेन्ट कॉर्पोरेशन लि.
19. उत्तर प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
20. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन

II. SMALL LOANS (FINANCIAL CORPORATIONS) GUARANTEE SCHEME, 1971

1. Andhra Pradesh State Financial Corporation
2. Assam Financial Corporation
3. Bihar State Financial Corporation
4. Delhi Financial Corporation
5. Gujarat State Financial Corporation
6. Haryana Financial Corporation
7. Himachal Pradesh Financial Corporation
8. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
9. Karnataka State Financial Corporation
10. Kerala Financial Corporation
11. Madhya Pradesh Financial Corporation
12. Maharashtra State Financial Corporation
13. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
14. Orissa State Financial Corporation
15. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
16. Punjab Financial Corporation
17. Rajasthan Financial Corporation
18. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
19. Uttar Pradesh Financial Corporation
20. West Bengal Financial Corporation

III. सेवा सहकारी समिति गारंटी योजना 1971

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाता
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

9. इलाहाबाद बैंक
10. आन्ध्र बैंक
11. बैंक ऑफ बड़ौदा
12. बैंक ऑफ इंडिया
13. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
14. केनरा बैंक
15. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
16. कॉर्पोरेशन बैंक
17. देना बैंक
18. इंडियन बैंक
19. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
20. न्यू बैंक ऑफ कामर्स
21. ओरिएंटल बैंक ऑफ कामर्स
22. पंजाब नेशनल बैंक
23. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
24. सिंडीकेट बैंक
25. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
26. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
27. यूको बैंक
28. विजया बैंक

विदेशी बैंक

29. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कॉर्पोरेशन
30. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग एसोसिएशन
31. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
32. सिटी बैंक एन.ए.
33. मिट्सुई बैंक लिमिटेड

III. SERVICE CO-OPERATIVE SOCIETIES
GUARANTEE SCHEME, 1971

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

9. Allahabad Bank
10. Andhra Bank
11. Bank of Baroda
12. Bank of India
13. Bank of Maharashtra
14. Canara Bank
15. Central Bank of India
16. Corporation Bank
17. Dena Bank
18. Indian Bank
19. Indian Overseas Bank
20. New Bank of India
21. Oriental Bank of Commerce
22. Punjab National Bank
23. Punjab & Sind Bank
24. Syndicate Bank
25. Union Bank of India
26. United Bank of India
27. UCO Bank
28. Vijaya Bank

Foreign Banks

29. American Express International Banking Corporation
30. Bank of America National Trust & Savings Association
31. British Bank of the Middle East
32. Citibank N.A.
33. Mitsui Bank Ltd.

अनुबंध - VII (जारी)

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

34. बैंक ऑफ कराड लि.
35. बैंक ऑफ मदुरै लि.
36. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
37. बैंक ऑफ तमिलनाडु लि.
38. बैंक ऑफ तंजावुर लि.
39. बरेली कॉर्पोरेशन (बैंक) लि.
40. बनारस स्टेट बैंक लि.
41. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
42. केथलिक सीरियन बैंक लि.
43. फेडरल बैंक लि.
44. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
45. कर्नाटक बैंक लि.
46. करूर वैश्य बैंक लि.
47. कुम्भकोमण सिटी यूनियन बैंक लि.
48. लक्ष्मी विवास बैंक लि.
49. लॉर्ड कृष्ण बैंक लि.
50. नेदुंगाडि बैंक लि.
51. पूर्वांचल बैंक लि.
52. रत्नाकर बैंक लि.
53. सांगली बैंक लि.
54. साउथ इंडियन बैंक लि.
55. तामिलनाडु मर्केन्टाइल बैंक लि.
56. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
57. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

58. अधियमान ग्राम बैंक
59. अकोला ग्रामीण बैंक
60. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
61. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
62. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
63. औरंगाबाद-जालना ग्रामीण बैंक
64. वस्ती ग्रामीण बैंक
65. बेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
66. भंडारा ग्रामीण बैंक
67. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
68. भोजपुर रोहतास ग्रामीण बैंक
69. बीजापुर ग्रामीण बैंक
70. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
71. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
72. कछार ग्रामीण बैंक
73. कावेरी ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - VII (Contd.)

Other Indian Scheduled Commercial Banks

34. Bank of Karad Ltd.
35. Bank of Madura Ltd.
36. Bank of Rajasthan Ltd.
37. Bank of Tamilnad Ltd.
38. Bank of Thanjavur Ltd.
39. Bareilly Corporation (Bank) Ltd.
40. Benares State Bank Ltd.
41. Bharat Overseas Bank Ltd.
42. Catholic Syrian Bank Ltd.
43. Federal Bank Ltd.
44. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
45. Karnataka Bank Ltd.
46. Karur Vysya Bank Ltd.
47. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
48. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
49. Lord Krishna Bank Ltd.
50. Nedungadi Bank Ltd.
51. Purbanchal Bank Ltd.
52. Ratnakar Bank Ltd.
53. Sangli Bank Ltd.
54. South Indian Bank Ltd.
55. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
56. United Industrial Bank Ltd.
57. United Western Bank Ltd.

Regional Rural Banks

58. Adhiyaman Grama Bank
59. Akola Gramin Bank
60. Aligarh Gramin Bank
61. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
62. Aravali Kshetriya Gramin Bank
63. Aurangabad-Jalna Gramin Bank
64. Basti Gramin Bank
65. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
66. Bhandara Gramin Bank
67. Bhilwara-Ajmer Kshetriya Gramin Bank
68. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
69. Bijapur Grameena Bank
70. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
71. Bolangir Anchalik Gramya Bank
72. Cachar Gramin Bank
73. Cauvery Grameena Bank

अनुबन्ध - VII (जारी)

74. चंद्रपुर गढ़चिरोली ग्रामीण बैंक
75. कटक ग्राम्य बैंक
76. दुर्ग-राजनंदगांव ग्रामीण बैंक
77. गंगा-यमुना ग्रामीण बैंक
78. गिरिडिह क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
79. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
80. गुरुदासपुर-अमृतसर क्षेत्रीय ग्रामीण विकास बैंक
81. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
82. हाड़ौती क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
83. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
84. हिमाचल ग्रामीण बैंक
85. हावड़ा ग्रामीण बैंक
86. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
87. जामनगर ग्रामीण बैंक
88. जमुना ग्रामीण बैंक
89. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. काकथिया ग्रामीण बैंक
91. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
92. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
93. कपुरथला फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
94. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
95. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
96. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
97. लखिमी गांवलिया बैंक
98. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
99. मणिपुर रुरल बैंक
100. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
101. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक
102. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
103. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
104. मिज़ोरम रुरल बैंक
105. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
106. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
107. नैनीताल अलमोड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
108. नालंदा ग्रामीण बैंक
109. नार्थ मलबार ग्रामीण बैंक
110. पलामू क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
111. पंचमहाल ग्रामीण बैंक
112. पंड्यन ग्राम बैंक
113. प्रागज्योतिष गांवलिया बैंक
114. पुरी ग्राम्य बैंक
115. रांची क्षेत्रीय बैंक
116. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - VII (Contd.)

74. Chandrapur Gadchiroli Gramin Bank
75. Cuttack Gramya Bank
76. Durg-Rajnandgaon Gramin Bank
77. Ganga-Yamuna Gramin Bank
78. Giridih Kshetriya Gramin Bank
79. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
80. Gurdaspur-Amritsar Kshetriya Gramin Vikas Bank
81. Gurgaon Gramin Bank
82. Hadoti Kshetriya Gramin Bank
83. Haryana Kshetriya Gramin Bank
84. Himachal Gramin Bank
85. Howrah Gramin Bank
86. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
87. Jamnagar Gramin Bank
88. Jamuna Gramin Bank
89. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
90. Kakathiya Grameena Bank
91. Kalpatharu Grameena Bank
92. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
93. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
94. Kosi Kshetriya Gramin Bank
95. Koraput Panchabati Gramya Bank
96. Kshetriya Gramin Bank
97. Lakhimi Gaonlia Bank
98. Mandla-Balaghat Kshetriya Gramin Bank
99. Manipur Rural Bank
100. Marathwada Gramin Bank
101. Mayurakshi Gramin Bank
102. Mewar Anchalik Gramin Bank
103. Mithila Kshetriya Gramin Bank
104. Mizoram Rural Bank
105. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
106. Nagarjuna Grameena Bank
107. Nainital-Almora Kshetriya Gramin Bank
108. Nalanda Gramin Bank
109. North Malabar Grameena Bank
110. Palamau Kshetriya Gramin Bank
111. Panchmahal Gramin Bank
112. Pandyan Grama Bank
113. Pragjyotish Gaonlia Bank
114. Puri Gramya Bank
115. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
116. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank

ANNEXURE - VII (Contd.)

अनुबंध - VII (जारी)

117. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
118. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
119. सावरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक
120. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
121. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
122. सरयू ग्रामीण बैंक
123. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
124. सिंहभूम क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
125. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
126. सोलापुर ग्रामीण बैंक
127. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
128. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
129. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
130. सुरेन्द्रनगर भावनगर ग्रामीण बैंक
131. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
132. धार आंचलिक ग्रामीण बैंक
133. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
134. उत्तर वंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
135. वलसाड डांगस ग्रामीण बैंक
136. वरदा ग्रामीण बैंक
137. विडिशा भोपाल ग्रामीण बैंक
138. विश्वेश्वरायार ग्रामीण बैंक

सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

139. अदिलाबाद जिला केन्द्र सहकारी बैंक लि.
140. भोगीर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
141. चित्तूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
142. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. नेल्लूर
143. को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि., विजियानगरम्
144. खम्मम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
145. कुर्नूल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

गुजरात

146. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
147. कैरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
148. पंचमहाल्स डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

117. Rayalaseema Grameena Bank
118. Rushikulya Gramya Bank
119. Sabarkantha-Gandhinagar Gramin Bank
120. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
121. Sangameshwara Grameena Bank
122. Saryu Gramin Bank
123. Shri Venkateswara Grameena Bank
124. Singhbhum Kshetriya Gramin Bank
125. Siwan Kshetriya Gramin Bank
126. Solapur Gramin Bank
127. Sree Anantha Grameena Bank
128. Sri Saraswathi Grameena Bank
129. Sri Sathavahana Grameena Bank
130. Surendranagar-Bhavnagar Gramin Bank
131. Surguja Kshetriya Gramin Bank
132. Thar Anchalik Gramin Bank
133. Tungabhadra Gramin Bank
134. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
135. Valsad Dangs Gramin Bank
136. Varada Grameena Bank
137. Vidisha-Bhopal Kshetriya Gramin Bank
138. Visveshvaraya Grameena Bank

Co-operative Banks

Andhra Pradesh

139. Adilabad Jila Kendra Sahakari Bank Ltd.
140. Bhongir Co-operative Central Bank Ltd.
141. Chittoor District Co-operative Central Bank Ltd.
142. Co-operative Central Bank Ltd., Nellore
143. Co-operative Central Bank Ltd., Vizianagaram
144. Khammam District Co-operative Central Bank Ltd.
145. Kurnool District Co-operative Central Bank Ltd.

Gujarat

146. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
147. Kaira District Central Co-operative Bank Ltd.
148. Panchmahals District Co-operative Bank Ltd..

जम्मू और काश्मीर

149. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
150. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

151. डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि. विदर
152. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

153. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

मध्यप्रदेश

154. बस्तर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
155. विष्णुदत्त को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
156. ग्वालियर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
157. मंडल डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
158. रायगढ़ को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
159. रायपुर को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
160. शुजालपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

161. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
162. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
163. बीड़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
164. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
165. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
166. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
167. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
168. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
169. शोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
170. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

Jammu & Kashmir

149. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.
150. Jammu & Kashmir State Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

151. District Co-operative Central Bank Ltd., Bidar
152. Kanara District Central Co-operative Bank Ltd.

Kerala

153. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.

Madhya Pradesh

154. Bastar Central Co-operative Bank Ltd.
155. Bishnudatta Co-operative Central Bank Ltd.
156. Gwalior District Co-operative Central Bank Ltd.
157. Mandla District Co-operative Central Bank Ltd.
158. Raigarh Co-operative Central Bank Ltd.
159. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.
160. Shujalpur Central Co-operative Bank Ltd.

Maharashtra

161. Ahmednagar District Central Co-operative Bank Ltd.
162. Aurangabad District Central Co-operative Bank Ltd.
163. Bhir District Central Co-operative Bank Ltd.
164. Buldana District Central Co-operative Bank Ltd.
165. Dhulia District Central Co-operative Bank Ltd.
166. Kolhapur District Central Co-operative Bank Ltd.
167. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.
168. Ratnagiri District Central Co-operative Bank Ltd.
169. Sholapur District Industrial Co-operative Bank Ltd.
170. Yeotmal District Central Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध - VII (जारी)

उड़ीसा

171. सम्बलपुर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

राजस्थान

172. भरतपुर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
173. चित्तोड़गढ़ केन्द्रीय सहकारी बैंक लि.

तमिलनाडु

174. तिरुनेलवेलि सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

175. रुड़की को-ऑपरेटिव बैंक लि.

IV. सघु ऋण (सहकारी बैं गारंटी योजना, 1984
प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैं

आंध्र प्रदेश

1. आंध्र प्रदेश महेश की को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
2. चारमिनार को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

गुजरात

3. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
4. टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
7. पोरबंदर विभागीय नागरिक सहकारी बैंक लि.
8. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
10. श्री डीसा नागरिक सहकारी बैंक लि.
11. भरुच नागरिक सहकारी बैंक लि.

कर्नाटक

12. जनता को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. नेशनल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. ग्रेन मर्चन्टर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

16. कासारगोड को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. तिरु अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. मंजेरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. कोडुवायुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.

Orissa

171. Sambalpur District Co-operative Central Bank Ltd.

Rajasthan

172. Bharatpur Central Co-operative Bank Ltd.
173. Chittorgarh Kendriya Sahakari Bank Ltd.

Tamil Nadu

174. Tirunelveli Central Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

175. Roorkee Co-operative Bank Ltd.

IV. SMALL LOANS (CO-OPERATIVE BANKS)
GUARANTEE SCHEME, 1984

Primary (Urban) Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Charminar Co-operative Urban Bank Ltd.

Gujarat

3. Bavla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
4. Textile Traders Co-operative Bank Ltd.,
5. Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
6. Nutan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
7. Porbandar Vibhagiya Nagrik Sahkari Bank Ltd.
8. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
9. Ankleshwar Nagaric Sahakari Bank Ltd.
10. Shree Deesa Nagrik Sahakari Bank Ltd.
11. Bharuch Nagaric Sahakari Bank Ltd.

Karnataka

12. Janatha Co-operative Bank Ltd.
13. City Co-operative Bank Ltd.
14. National Co-operative Bank Ltd.
15. Grain Merchants' Co-operative Bank Ltd.

Kerala

16. Kasargod Co-operative Town Bank Ltd.
17. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.
18. Manjeri Co-operative Urban Bank Ltd.
19. Koduvayur Co-operative Urban Bank Ltd.

अनुबंध - VII (आरी)

20. पेरिन्तालमन्ना को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

महाराष्ट्र

21. कलवा बेलापुर सहकारी बैंक लि.
22. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
23. रुपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. शामराव विठ्ठल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. दि कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
27. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. वर्तक नगर माजीवडे नागरी सहकारी बैंक लि.
29. मांडवी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
30. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. महाड को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. श्री वारणा सहकारी बैंक लि.
33. नव जीवन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. अंजनगांव सुरजि नागरी सहकारी बैंक लि.
35. जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

36. भूपतिराजू को-ऑपरेटिव क्रेडिट बैंक लि.
37. सेलम अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. संकरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
39. भवानी कुण्डल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. अत्तूर टाऊन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
41. चेन्नीमलाई को-ऑपरेटिव बैंक लि.
42. तिरुचिरापल्ली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
43. पुरुसवाल्कम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
44. शिवकाशी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
45. बिग कांचीपुरम को-ऑपरेटिव टाऊन बैंक लि.
46. मदुरै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
47. श्रीविल्लिपुत्तुर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
48. पुडुकोटाई को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
49. करूर टाऊन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
50. सिरकाली को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
51. दिन्डिगुल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
52. त्यागरायानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.

उत्तर प्रदेश

53. यूनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

54. भाटपाड़ा नईहाटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - VII (Contd.)

20. Perintalmanna Co-operative Urban Bank Ltd.

Maharashtra

21. Kalwa-Belapur Sahakari Bank Ltd.
22. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
23. Rupee Co-operative Bank Ltd.
24. New India Co-operative Bank Ltd.
25. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
26. The Cosmos Co-operative Bank Ltd.
27. Thane People's Co-operative Bank Ltd.
28. Vartaknagar-Majiwade Nagari Sahakari Bank Ltd.
29. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
30. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
31. Mahad Co-operative Bank Ltd.
32. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
33. Nav Jeevan Co-operative Bank Ltd.
34. Anjangaon Surji Nagari Sahakari Bank Ltd.
35. Jai-Hind Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

36. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
37. Salem Urban Co-operative Bank Ltd.
38. Sankari Co-operative Urban Bank Ltd.
39. Bhavanikudul Co-operative Urban Bank Ltd..
40. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
41. Chennimalai Co-operative Urban Bank Ltd.
42. Tiruchirapalli City Co-operative Bank Ltd.
43. Purasawalkam Co-operative Bank Ltd.
44. Sivakasi Co-operative Urban Bank Ltd.
45. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
46. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
47. Srivilliputtur Co-operative Urban Bank Ltd.
48. Pudukkottai Co-operative Town Bank Ltd.
49. Karur Town Co-operative Bank Ltd.
50. Sirkali Co-operative Urban Bank Ltd.
51. Dindigul Urban Co-operative Bank Ltd.
52. Thyagarayanagar Co-operative Bank Ltd.

Uttar Pradesh

53. United Mercantile Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

54. Bhatpara Naihati Co-operative Credit Bank Ltd.

अनुबध - VII (समाप्त)

जम्मू और कश्मिर

55. सिटीझन्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

56. सेहोर नागरिक सहकारी बैंक लि.

ANNEXURE - VII (Concl.)

Jammu & Kashmir

55. Citizens Co-operative Bank Ltd., Jammu

Madhya Pradesh

56. Sehore Nagrik Sahakari Bank Ltd.

अनुबंध- VIII
ANNEXURE — VIII

छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित निगम की ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत प्राप्त दावों का क्षेत्रवार विश्लेषण
SECTOR-WISE BREAK-UP OF CLAIMS RECEIVED UNDER THE CORPORATION'S CREDIT
GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(रशि करोड़ रूपयों में)
(Amount in crores of rupees)

क्र.सं. Sr. No.	ऋणकर्ताओं की श्रेणी Category of borrowers	31 दिसंबर 1985 तक प्राप्त दावों की कुल संख्या		1986 के दौरान प्राप्त दावे		कालम (6) में कुल रशि का प्रतिशत		जोड़ Total	कालम(9) में कुल रशि का प्रतिशत	
		Total claims received upto 31 December 1985		Claims received during 1986		% to total amount in column (6)			% to total amount in column (9)	
		संख्या Number	रशि Amount	संख्या Number	रशि Amount	संख्या (3+5) Number (3+5)	रशि (4+6) Amount (4+6)		संख्या (3+5) Number (3+5)	रशि (4+6) Amount (4+6)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
I.	कृषक और काश्तकार Farmers & Agriculturists	6,83,388	154.68	3,54,063	78.16	55.46	10,37,451	232.83	54.40	
II.	परिवहन चालक Transport Operators	64,172	53.38	25,099	21.07	14.95	89,271	74.45	17.39	
III.	फुटकर व्यापारी Retail Traders	2,23,249	44.72	94,653	22.38	15.88	3,17,902	67.09	15.67	
IV.	व्यावसायिक और स्व-नियोजित व्यक्ति Professional & Self- employed persons	1,41,944	16.47	46,648	8.38	5.95	1,88,592	24.85	5.81	
V.	कारोबारी उद्यम Business Enterprises	54,316	10.91	26,085	4.84	3.43	80,401	15.76	3.68	
VI.	विभेदक ब्याज दर योजना के अन्तर्गत ऋणकर्ताओं की अवशिष्ट श्रेणी Residual category of borrowers under the DRI Scheme	1,10,477	6.71	83,118	6.05	4.29	1,93,595	12.76	2.98	
VII.	उपभोग आवश्यकताओं और मकान या आवास खरीदने या बनवाने के लिए ऋण सुविधाएं Credit facilities for consumption and for purchase or construction of house or tenement	1,592	0.21	699	0.07	0.04	2,291	0.28	0.07	
	जोड़ : Total :	12,79,138	287.08	6,30,365	140.94	100.00	19,09,503	428.02	100.00	

अनुबंध- IX

ANNEXURE — IX

निगम की छोटे ऋणकर्ताओं से संबंधित ऋण गारंटी योजनाओं के अंतर्गत दावों की प्राप्ति और निपटान दर्शानेवाला विवरण

STATEMENT SHOWING RECEIPT AND DISPOSAL OF CLAIMS UNDER THE CORPORATION'S
CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL BORROWERS

(राशि करोड़ रुपयों में)

(Amount in crores of rupees)

अवधि Period	प्राप्त दावे Claims received		निपटाये गये दावे Claims disposed of		कालम 4 और 5 के अनुसार निपटाये गये दावों में से Of the claims disposed of vide Column 4 and 5							
	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	अदा किये गये दावे Claims paid		वापस लिये गये दावे Claims withdrawn/ returned		अस्वीकृत दावे Claims rejected		वर्ष के अंत तक विचाराधीन दावे Claims pending at the end of the year	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
1976 के अंत तक Upto end of 1976	6,806	2.28	2,529	0.70	2,137	0.58	230	0.06	162	0.07		
1977 के दौरान During 1977	14,832	4.42	9,881	2.60	9,469	2.36	193	0.07	219	0.16		
1978 के दौरान During 1978	29,925	8.76	14,623	3.34	13,825	3.03	407	0.07	391	0.24		
1979 के दौरान During 1979	36,535	11.30	25,739	6.95	23,930	5.69	1,054	0.41	755	0.85		
1980 के दौरान During 1980	83,557	14.90	47,481	7.20	45,303	6.50	214	0.08	1,964	0.62		
1981 के दौरान During 1981	1,00,669	16.25	74,030	11.14	72,216	9.08	582	0.28	1,232	1.77		
1982 के दौरान During 1982	1,50,926	24.71	1,05,513	14.50	1,02,141	12.49	1,369	0.59	2,003	1.43		
आगे ले जाया गया Carried over	4,23,250	82.62	2,79,796	46.43	2,69,021	39.73	4,049	1.56	6,726	5.14		

अनुबंध - X (समाप्त)
ANNEXURE - IX (Concl'd.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
आगे लाया गया Brought forward	4,23,250	82.62	2,79,796	46.43	2,69,021	39.73	4,049	1.56	6,726	5.14		
During 1977												
1983 के दौरान During 1983	1,47,474	27.84	1,27,714	19.64	1,23,202	17.94	1,643	0.52	2,869	1.18		
1984 के दौरान During 1984	2,54,692	61.71	2,36,625	32.09	2,28,419	30.99	741	0.22	7,465	0.88		
1985 के दौरान During 1985	4,53,722	114.91	4,66,611	114.45	3,36,663	71.80	1,19,770	41.97	10,178	0.68		
उप जोड़ "अ" (1971 से 1986) Sub Total 'A' (1971 to 1985) :	12,79,138	287.08	11,10,746	212.61	9,57,305	160.46	1,26,203	44.27	27,238	7.88	1,68,392	74.46
1986 के दौरान During 1986												
पुराने फार्म में i) Old format	62	0.36	649	0.44	263	0.22	166	0.05	220	0.17		
नये फार्म एनआई-11 में ii) New format N1-11	6,30,303	140.58	6,43,441	175.95	4,84,589	86.64	1,47,253	87.13	11,599	2.18		
उप-जोड़ 'आ' (i+ii) Sub Total 'B' :	6,30,365	140.94	6,44,090	176.39	4,84,852	86.86	1,47,419	87.18	11,819	2.35		
कुल जोड़ (अ+आ) (1971 से 1985) Grand Total (A+B) (1971 to 1986)	19,09,503	428.02	17,54,836	389.00	14,42,157	247.32	2,73,622	131.45	39,057	10.23	1,54,667	39.02

अनुबंध - X
ANNEXURE - X

लघु उद्योगों के लिए सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द) के संबंध में चूक करनेवाले खातों के ब्यौरे दर्शानेवाला विवरण-
31 मार्च 1981 की स्थिति @

STATEMENT SHOWING THE PARTICULARS OF ACCOUNTS IN DEFAULT IN RESPECT OF THE
GOVERNMENT'S CREDIT GUARANTEE SCHEME FOR SMALL SCALE INDUSTRIES (SINCE CANCELLED)
AS ON 31 MARCH 1981

(राशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in crores of rupees)

	बंबई BOMBAY		कलकत्ता CALCUTTA		मद्रास MADRAS		नई दिल्ली NEW DELHI		जोड़ TOTAL	
	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount	संख्या No.	राशि Amount
1. स्टेट बैंक समूह State Bank Group	5,292	12.58	4,388	9.00	15,726	19.44	8,704	13.39	34,110	54.41
2. राष्ट्रीयकृत बैंक Nationalised Banks	6,450	39.36	6,977	21.58	17,252	41.77	6,864	37.81	37,543	140.52
3. अनुसूचित वाणिज्य बैंक Scheduled Commercial Banks	194	1.42	96	2.07	761	5.07	322	2.29	1,373	10.85
4. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक Regional Rural Banks	240	0.01	1	*	403	0.02	—	—	644	0.03
5. गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक Non-Scheduled Commercial Banks	2	*	—	—	16	0.07	—	—	18	0.07
6. राज्य वित्तीय निगम State Financial Corporations	404	3.80	63	1.59	490	8.91	415	8.04	1,372	22.34
7. राज्य सहकारी बैंक State Co-operative Banks	77	0.35	—	—	—	—	—	—	77	0.35
8. सहकारी बैंक Co-operative Banks	12,604	3.37	2	*	—	—	72	0.08	12,678	3.45
Total जोड़:	25,263	60.89	11,527	34.24	34,648	75.28	16,377	61.61	87,815	232.02

@ 31 दिसम्बर 1986 तक प्राप्त सूचना के आधार पर।

Information received upto 31 December 1986

* राशि हजार रुपयों में

Amount in thousands of rupees

टिप्पणी : उपर्युक्त जानकारी अपूर्ण है क्योंकि ऋण संस्थाओं की लगभग 3,211 शाखाओं द्वारा आंकड़े अभी प्रस्तुत किये जाने हैं।

N.B. The information, however, is incomplete as about 3,211 branches of credit institutions are yet to report the figures.

अनुबंध XI

लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 में
भाग लेनेवाली ऋण संस्थाओं की सूची-
31 दिसम्बर 1986 की स्थिति

स्टेट बैंक समूह

1. भारतीय स्टेट बैंक
2. स्टेट बैंक ऑफ बीकानेर एण्ड जयपुर
3. स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद
4. स्टेट बैंक ऑफ इंदौर
5. स्टेट बैंक ऑफ मैसूर
6. स्टेट बैंक ऑफ पटियाला
7. स्टेट बैंक ऑफ सौराष्ट्र
8. स्टेट बैंक ऑफ त्रावणकोर

राष्ट्रीयकृत बैंक

1. इलाहाबाद बैंक
2. आंध्र बैंक
3. बैंक ऑफ बड़ौदा
4. बैंक ऑफ इंडिया
5. बैंक ऑफ महाराष्ट्र
6. केनरा बैंक
7. सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया
8. कॉर्पोरेशन बैंक
9. देना बैंक
10. इंडियन बैंक
11. इंडियन ओवरसीज़ बैंक
12. न्यू बैंक ऑफ इंडिया
13. ओरिएण्टल बैंक ऑफ कामर्स
14. पंजाब नेशनल बैंक
15. पंजाब एण्ड सिंध बैंक
16. सिंडीकेट बैंक
17. यूनियन बैंक ऑफ इंडिया
18. यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया
19. यूको बैंक
20. विजया बैंक

विदेशी बैंक

1. एल्जिमिन बैंक नीदरलैंड एन.वी.
2. अमेरिकन एक्सप्रेस इंटरनेशनल बैंकिंग कांफरिशन
3. बैंक ऑफ अमेरिका नेशनल ट्रस्ट एण्ड सेविंग्स एसोसिएशन
4. बैंक ऑफ टोक्यो लि.

ANNEXURE - XI
LIST OF CREDIT INSTITUTIONS
PARTICIPATING IN THE SMALL LOANS
(SMALL SCALE INDUSTRIES) GUARANTEE
SCHEME, 1981-AS ON 31 DECEMBER, 1986

State Bank Group

1. State Bank of India
2. State Bank of Bikaner & Jaipur
3. State Bank of Hyderabad
4. State Bank of Indore
5. State Bank of Mysore
6. State Bank of Patiala
7. State Bank of Saurashtra
8. State Bank of Travancore

Nationalised Banks

1. Allahabad Bank
2. Andhra Bank
3. Bank of Baroda
4. Bank of India
5. Bank of Maharashtra
6. Canara Bank
7. Central Bank of India
8. Corporation Bank
9. Dena Bank
10. Indian Bank
11. Indian Overseas Bank
12. New Bank of India
13. Oriental Bank of Commerce
14. Punjab National Bank
15. Punjab & Sind Bank
16. Syndicate Bank
17. Union Bank of India
18. United Bank of India
19. UCO Bank
20. Vijaya Bank

Foreign Banks

1. Algemene Bank Nederland N.V.
2. American Express Bank Ltd.
3. Bank of America National Trust and Savings Association
4. Bank of Tokyo Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

5. बैंक नेशनल दि पेरिस
6. ब्रिटिश बैंक ऑफ दि मिडिल ईस्ट
7. सिटी बैंक एन.ए.
8. आबू धाबी कमर्शियल बैंक लि.
9. ग्रिण्डलेज़ बैंक लि.
10. हांगकांग एण्ड शंघाई बैंकिंग कॉर्पोरेशन
11. मित्सुई बैंक लि.

अन्य भारतीय अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. बैंक ऑफ मद्रा लि.
2. बैंक ऑफ राजस्थान लि.
3. बैंक ऑफ तमिलनाडु लि.
4. बैंक ऑफ तंजावुर लि.
5. बनारस स्टेट बैंक लि.
6. बरेली कॉर्पोरेशन बैंक लि.
7. भारत ओवरसीज़ बैंक लि.
8. कैथलिक सीरियन बैंक लि.
9. धनलक्ष्मी बैंक लि.
10. फेडरल बैंक लि.
11. जम्मू एण्ड कश्मीर बैंक लि.
12. कर्नाटक बैंक लि.
13. करूर वैश्य बैंक
14. कुम्भकोणम सिटी यूनियन बैंक लि.
15. लक्ष्मी विलास बैंक लि.
16. लॉर्ड कृष्णा बैंक लि.
17. नैनीताल बैंक लि.
18. नेदुंगाडि बैंक लि.
19. पेरुर सेंटर बैंक लि.
20. पंजाब को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. पूर्वांचल बैंक लि.
22. रत्नाकर बैंक लि.
23. सांगली बैंक लि.
24. साउथ इंडियन बैंक लि.
25. ट्रेडर्स बैंक लि.
26. तमिलनाडु मर्कन्टाइल बैंक लि.
27. यूनाइटेड इंडस्ट्रियल बैंक लि.
28. यूनाइटेड वेस्टर्न बैंक लि.
29. वैश्य बैंक लि.

गैर-अनुसूचित वाणिज्य बैंक

1. काशी नाथ सेठ बैंक लि.

क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक

1. अधियमन ग्राम बैंक

ANNEXURE - XI (Contd.)

5. Banque Nationale De Paris
6. British Bank of the Middle East
7. Citibank N.A.
8. Abu Dhabi Commercial Bank Ltd.
9. Grindlays Bank Ltd.
10. Hongkong & Shanghai Banking Corporation
11. Mitsui Bank Ltd.

Other Indian Scheduled Commercial Banks

1. Bank of Madura Ltd.
2. Bank of Rajasthan Ltd.
3. Bank of Tamilnad Ltd.
4. Bank of Thanjavur Ltd.
5. Benares State Bank Ltd.
6. Bareilly Corporation Bank Ltd.
7. Bharat Overseas Bank Ltd.
8. Catholic Syrian Bank Ltd.
9. Dhanalakshmi Bank Ltd.
10. Federal Bank Ltd.
11. Jammu & Kashmir Bank Ltd.
12. Karnataka Bank Ltd.
13. Karur Vysya Bank Ltd.
14. Kumbakonam City Union Bank Ltd.
15. Lakshmi Vilas Bank Ltd.
16. Lord Krishna Bank Ltd.
17. Nainital Bank Ltd.
18. Nedungadi Bank Ltd.
19. Parur Central Bank Ltd.
20. Punjab Co-operative Bank Ltd.
21. Purbanchal Bank Ltd.
22. Ratnakar Bank Ltd.
23. Sangli Bank Ltd.
24. South Indian Bank Ltd.
25. Traders' Bank Ltd.
26. Tamilnad Mercantile Bank Ltd.
27. United Industrial Bank Ltd.
28. United Western Bank Ltd.
29. Vysya Bank Ltd.

Non-Scheduled Commercial Bank

1. Kashi Nath Seth Bank Ltd.

Regional Rural Banks

1. Adhiyaman Grama Bank

अनुबंध - XI (जारी)

2. अकोला ग्रामीण बैंक
3. अलकनन्दा ग्रामीण बैंक
4. अलवर ग्रामीण बैंक
5. अलीगढ़ ग्रामीण बैंक
6. इलाहाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
7. अम्बाला कुरुक्षेत्र ग्रामीण बैंक
8. अरावली क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
9. औरंगाबाद जालना ग्रामीण बैंक
10. वैतरणी ग्राम्य बैंक
11. बालासोर ग्राम्य बैंक
12. बाराबंकी ग्रामीण बैंक
13. वर्धमान ग्रामीण बैंक
14. वस्तर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
15. वेगुसराई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
16. भागलपुर बांका क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
17. भंडारा ग्रामीण बैंक
18. भीलवाड़ा-अजमेर क्षेत्रीय बैंक
19. भोजपुर रोहतास क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
20. बीजापुर ग्रामीण बैंक
21. बीकानेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
22. बिलासपुर रायपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
23. बोलंगीर आंचलिक ग्राम्य बैंक
24. बुदेलखंड क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
25. बुंदी चित्तोडगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
26. कछार ग्रामीण बैंक
27. कावेरी ग्रामीण बैंक
28. चैतन्य ग्रामीण बैंक
29. चंबल क्षेत्रीय बैंक
30. छत्रसाल ग्रामीण बैंक
31. छिंदवाड़ा सिओनी क्षेत्रीय बैंक
32. चिकमंगलूर कोडगु ग्रामीण बैंक
33. चित्रदुर्ग ग्रामीण बैंक
34. कटक ग्राम्य बैंक
35. दमोह-पन्ना सागर क्षेत्रीय बैंक
36. देवी पाटण क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
37. देवास शाजापुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
38. धेणकनाल ग्राम्य बैंक
39. डूंगरपुर बाँसवाड़ा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
40. दुर्ग राजनन्दगांव ग्रामीण बैंक
41. इलाकाई देहाती बैंक
42. एटा ग्रामीण बैंक
43. फैजाबाद क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
44. फर्रुखाबाद ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - XI (Contd.)

2. Akola Gramin Bank
3. Alakananda Gramin Bank
4. Alwar Bharatpur Anchalik Gramin Bank
5. Aligarh Gramin Bank
6. Allahabad Kshetriya Gramin Bank
7. Ambala Kurukshetra Gramin Bank
8. Aravali Kshetriya Gramin Bank
9. Aurangabad Jalna Gramin Bank
10. Baitarani Gramya Bank
11. Balasore Gramya Bank
12. Barabanki Gramin Bank
13. Bardhman Gramin Bank
14. Bastar Kshetriya Gramin Bank
15. Begusarai Kshetriya Gramin Bank
16. Bhagalpur Banka Kshetriya Gramin Bank
17. Bhandara Gramin Bank
18. Bhilwara - Ajmer Kshetriya Gramin Bank
19. Bhojpur Rohtas Gramin Bank
20. Bijapur Grameena Bank
21. Bikaner Kshetriya Gramin Bank
22. Bilaspur Raipur Kshetriya Gramin Bank
23. Bolangir Anchalik Gramya Bank
24. Bundelkhand Kshetriya Gramin Bank
25. Bundi Chittorgarh Kshetriya Gramin Bank
26. Cachar Gramin Bank
27. Cauvery Grameena Bank
28. Chaitanya Grameena Bank
29. Chambal Kshetriya Gramin Bank
30. Chhatrasal Gramin Bank
31. Chhindwara Seoni Kshetriya Gramin Bank
32. Chickmagalur Kodagu Grameena Bank
33. Chitradurga Gramin Bank
34. Cuttack Gramya Bank
35. Damoh-Panna Sagar Kshetriya Gramin Bank
36. Devi Patan Kshetriya Gramin Bank
37. Dewas Shajapur Kshetriya Gramin Bank
38. Dhenkanal Gramya Bank
39. Dungarpur Banswara Kshetriya Gramin Bank
40. Durg Rajnandgaon Gramin Bank
41. Ellaquai Dehati Bank
42. Etah Gramin Bank
43. Faizabad Kshetriya Gramin Bank
44. Farrukhabad Gramin Bank

अनुबंध - XI (जारी)

45. गौड़ ग्रामीण बैंक
46. गोलकुण्डा ग्रामीण बैंक
47. गोमती ग्रामीण बैंक
48. गोरखपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
49. गुड़गांव ग्रामीण बैंक
50. ग्वालियर दातिया क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
51. हरियाणा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
52. हजारीबाग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
53. हिमाचल ग्रामीण बैंक
54. हावड़ा ग्रामीण बैंक
55. जयपुर नागौर आंचलिक ग्रामीण बैंक
56. जामनगर ग्रामीण बैंक
57. जमुना ग्रामीण बैंक
58. झाबुआ-धार क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
59. जूनागढ़ अमरेली ग्रामीण बैंक
60. काकथिया ग्रामीण बैंक
61. कालाहांडी आंचलिक ग्राम्य बैंक
62. कल्पतरु ग्रामीण बैंक
63. कामराज रुशल बैंक
64. कानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
65. कपूरथला-फिरोजपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
66. काशी ग्रामीण बैंक
67. खासी जयंतिया रुशल बैंक
68. कितान ग्रामीण बैंक
69. कोलार ग्रामीण बैंक
70. कोरापुट पंचवटी ग्राम्य बैंक
71. कोसी क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
72. कृष्णा ग्रामीण बैंक
73. क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
74. कच्छ ग्रामीण बैंक
75. लखिमी गांवलिया बैंक
76. लान्गपि देहान्गी रुशल बैंक
77. मगध ग्रामीण बैंक
78. मलप्रभा ग्रामीण बैंक
79. मल्लभूम ग्रामीण बैंक
80. मालवा ग्रामीण बैंक
81. मंडला बालाघाट क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
82. मणिपुर रुशल बैंक
83. मंजीरा ग्रामीण बैंक
84. मराठवाड़ा ग्रामीण बैंक
85. मारवाड़ ग्रामीण बैंक
86. मरुधर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
87. मयूराक्षी ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - XI (Contd.)

45. Gaur Gramin Bank
46. Golconda Grameena Bank
47. Gomati Gramin Bank
48. Gorakhpur Kshetriya Gramin Bank
49. Gurgaon Gramin Bank
50. Gwalior Datia Kshetriya Gramin Bank
51. Haryana Kshetriya Gramin Bank
52. Hazaribagh Kshetriya Gramin Bank
53. Himachal Gramin Bank
54. Howrah Gramin Bank
55. Jaipur Nagaur Anchalik Gramin Bank
56. Jamnagar Gramin Bank
57. Jamuna Gramin Bank
58. Jhabua Dhar Kshetriya Gramin Bank
59. Junagadh Amreli Gramin Bank
60. Kakathiya Grameena Bank
61. Kalahandi Anchalik Gramya Bank
62. Kalpatharu Grameena Bank
63. Kamraz Rural Bank
64. Kanpur Kshetriya Gramin Bank
65. Kapurthala-Ferozepur Kshetriya Gramin Bank
66. Kashi Gramin Bank
67. Khasi Jaintia Rural Bank
68. Kisan Gramin Bank
69. Kolar Gramin Bank
70. Koraput Panchabati Gramya Bank
71. Kosi Kshetriya Gramin Bank
72. Krishna Grameena Bank
73. Kshetriya Gramin Bank, Hoshangabad
74. Kutch Gramin Bank
75. Lakhimi Gaonlia Bank
76. Langpi Dehangi Rural Bank
77. Magadh Gramin Bank
78. Malaprabha Grameena Bank
79. Mallabhum Gramin Bank
80. Malwa Gramin Bank
81. Mandla Balaghat Kshetriya Gramin Bank
82. Manipur Rural Bank
83. Manjira Grameena Bank
84. Marathwada Gramin Bank
85. Marwar Gramin Bank
86. Marudhar Kshetriya Gramin Bank
87. Mayurakshi Gramin Bank

अनुबंध - XI (जारी)

88. मेवाड़ आंचलिक ग्रामीण बैंक
89. मिथिला क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
90. मिज़ोरम रुरल बैंक
91. मुंगेर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
92. मुरशिदाबाद ग्रामीण बैंक
93. नडिया ग्रामीण बैंक
94. नागालैंड रुरल बैंक
95. नागार्जुन ग्रामीण बैंक
96. नालंदा ग्रामीण बैंक
97. नेत्रवती ग्रामीण बैंक
98. निमाड़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
99. नार्थ मलाबार ग्रामीण बैंक
100. पलामऊ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
101. पंचमहल ग्रामीण बैंक
102. पंड्यन ग्राम्य बैंक
103. पाटलीपुत्र ग्रामीण बैंक
104. प्राग्ज्योतिष गांवलिया बैंक
105. प्रथमा बैंक
106. पुरी ग्राम्य बैंक
107. रायगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
108. राजगढ़ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
109. रांची क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
110. रानी लक्ष्मीबाई क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
111. रतलाम-मंदसौर क्षेत्रीय बैंक
112. रत्नागिरी सिन्धुदुर्ग ग्रामीण बैंक
113. रायलसीमा ग्रामीण बैंक
114. रीवा सीधी ग्रामीण बैंक
115. ऋषिकुल्य ग्राम्य बैंक
116. साबरकांठा गांधीनगर ग्रामीण बैंक
117. सागर ग्रामीण बैंक
118. सह्याद्री ग्रामीण बैंक
119. समस्तीपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
120. संगमेश्वर ग्रामीण बैंक
121. संथाल परगना ग्रामीण बैंक
122. सरयू ग्रामीण बैंक
123. शारदा ग्रामीण बैंक
124. शेखावटी ग्रामीण बैंक
125. शिवालिक क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
126. शिवपुरी गुना क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
127. सिवान क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
128. सोलापुर ग्रामीण बैंक
129. साउथ मलाबार ग्रामीण बैंक

ANNEXURE - XI (Contd.)

88. Mewar Aanchalik Gramin Bank
89. Mithila Kshetriya Gramin Bank
90. Mizoram Rural Bank
91. Monghyr Kshetriya Gramin Bank
92. Murshidabad Gramin Bank
93. Nadia Gramin Bank
94. Nagaland Rural Bank
95. Nagarjuna Grameena Bank
96. Nalanda Gramin Bank
97. Netravati Grameena Bank
98. Nimar Kshetriya Gramin Bank
99. North Malabar Gramin Bank
100. Palamau Kshetriya Gramin Bank
101. Panchmahal Gramin Bank
102. Pandyan Grama Bank
103. Patliputra Gramin Bank
104. Pragjyotish Gaonlia Bank
105. Prathama Bank
106. Puri Gramya Bank
107. Raigarh Kshetriya Gramin Bank
108. Rajgarh Kshetriya Gramin Bank
109. Ranchi Kshetriya Gramin Bank
110. Rani Lakshmbai Kshetriya Gramin Bank
111. Ratlam - Mandsaur Kshetriya Gramin Bank
112. Ratnagiri Sindhudurg Gramin Bank
113. Rayalaseema Grameena Bank
114. Rewa Sidhi Gramin Bank
115. Rushikulya Gramya Bank
116. Sabarkantha Gandhinagar Gramin Bank
117. Sagar Gramin Bank
118. Sahyadri Gramin Bank
119. Samastipur Kshetriya Gramin Bank
120. Sangameshwara Grameena Bank
121. Santhal Parganas Gramin Bank
122. Saryu Gramin Bank
123. Sharda Gramin Bank
124. Shekhavati Gramin Bank
125. Shivalik Kshetriya Gramin Bank
126. Shivpuri Guna Kshetriya Gramin Bank
127. Siwan Kshetriya Gramin Bank
128. Solapur Gramin Bank
129. South Malabar Gramin Bank

अनुबंध - XI (जारी)

130. श्रावस्ती ग्रामीण बैंक
131. श्री अनंत ग्रामीण बैंक
132. श्री गंगानगर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
133. श्री राम ग्रामीण बैंक
134. श्री सरस्वती ग्रामीण बैंक
135. श्री सातवाहन ग्रामीण बैंक
136. श्री वेंकटेश्वर ग्रामीण बैंक
137. श्री विशाखा ग्रामीण बैंक
138. सुवनसीरी गांवलिया बैंक
139. सुल्तानपुर क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
140. सुरेन्द्र भावनगर ग्रामीण बैंक
141. सरगुजा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
142. थार आंचलिक ग्रामीण बैंक
143. त्रिपुरा ग्रामीण बैंक
144. तुलसी ग्रामीण बैंक
145. तुंगभद्रा ग्रामीण बैंक
146. उत्तर वंग क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक
147. वरदा ग्रामीण बैंक
148. विश्वेश्वराया ग्रामीण बैंक
149. यवतमाल ग्रामीण बैंक

राज्य वित्तीय निगम

1. बिहार स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
2. दिल्ली फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
3. गुजरात स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
4. हरियाणा फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
5. हिमाचल प्रदेश फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
6. जम्मू एण्ड कश्मीर स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
7. कर्नाटक स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
8. केरल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
9. महाराष्ट्र स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
10. उड़ीसा स्टेट फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
11. पंजाब फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
12. राजस्थान फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन
13. तमिलनाडु इंडस्ट्रियल इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
14. वेस्ट बंगाल फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन

मीयादी ऋण देनेवाली अन्य संस्थाएं

1. अरुणाचल प्रदेश इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड फाइनेन्शियल कॉर्पोरेशन लि.
2. इकॉनॉमिक डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ गोवा, दमण एण्ड दीव लि.

ANNEXURE - XI (Contd.)

130. Sravasthi Gramin Bank
131. Sree Anantha Grameena Bank
132. Sri Ganganagar Kshetriya Gramin Bank
133. Sri Rama Grameena Bank
134. Sri Saraswathi Grameena Bank
135. Sri Sathavahana Grameena Bank
136. Sri Venkateswara Grameena Bank
137. Sri Visakha Grameena Bank
138. Subansiri Gaonlia Bank
139. Sultanpur Kshetriya Gramin Bank
140. Surendranagar Bhavnagar Gramin Bank
141. Surguja Kshetriya Gramin Bank
142. Thar Anchalik Gramin Bank
143. Tripura Gramin Bank
144. Tulsi Gramin Bank
145. Tungabhadra Gramin Bank
146. Uttar Banga Kshetriya Gramin Bank
147. Varada Grameena Bank
148. Visveshwaraya Grameena Bank
149. Yavatmal Gramin Bank

State Financial Corporations

1. Bihar State Financial Corporation
2. Delhi Financial Corporation
3. Gujarat State Financial Corporation
4. Haryana Financial Corporation
5. Himachal Pradesh Financial Corporation
6. Jammu & Kashmir State Financial Corporation
7. Karnataka State Financial Corporation
8. Kerala Financial Corporation
9. Maharashtra State Financial Corporation
10. Orissa State Financial Corporation
11. Punjab Financial Corporation
12. Rajasthan Financial Corporation
13. Tamilnadu Industrial Investment Corporation Ltd.
14. West Bengal Financial Corporation

Other Term Lending Institutions

1. Arunachal Pradesh Industrial Development & Financial Corporation Ltd.
2. Economic Development Corporation of Goa, Daman & Diu Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

3. मणिपुर स्मॉल इंडस्ट्रीज कॉर्पोरेशन लि.
4. मेघालय इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
5. नागालैंड इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.
6. पांडिचेरी इंडस्ट्रियल प्रमोशन डेवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
7. सिक्किम इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट एण्ड इंवेस्टमेंट कॉर्पोरेशन लि.
8. त्रिपुरा इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लि.

सहकारी बैंक

राज्य सहकारी बैंक

1. आंध्र प्रदेश स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. केरल स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. मध्य प्रदेश राज्य सहकारी बैंक मर्यादित
5. महाराष्ट्र स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्यवर्ती सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. विजयवाड़ा को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.

बिहार

1. धनबाद सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

गुजरात

1. अहमदाबाद डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. गुजरात इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. जामनगर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. कच्छ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. साबरकांठा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हरियाणा

1. ब्रायने सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

हिमाचल प्रदेश

1. कांगड़ा सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. जम्मू सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

कर्नाटक

1. केनरा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - XI (Contd.)

3. Manipur Small Industries Corporation Ltd.
4. Meghalaya Industrial Development Corporation Ltd.
5. Nagaland Industrial Development Corporation Ltd.
6. Pondicherry Industrial Promotion Development and Investment Corporation Ltd.
7. Sikkim Industrial Development & Investment Corporation Ltd.
8. Tripura Industrial Development Corporation Ltd.

Co-operative Banks

State Co-operative Banks

1. Andhra Pradesh State Co-operative Bank Ltd.
2. Gujarat State Co-operative Bank Ltd.
3. Kerala State Co-operative Bank Ltd.
4. Madhya Pradesh Rajya Sahakari Bank Maryadit
5. Maharashtra State Co-operative Bank Ltd.

Central Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Viziavada Co-operative Central Bank Ltd.

Bihar

1. Dhanbad Central Co-operative Bank Ltd.

Gujarat

1. Ahmedabad Dist. Co-operative Bank Ltd.
2. Gujarat Industrial Co-operative Bank Ltd.
3. Jamnagar Dist. Co-operative Bank Ltd.
4. Kachchh Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
5. Sabarkantha Dist. Central Co-operative Bank Ltd.

Haryana

1. Brayne Central Co-operative Bank Ltd.

Himachal Pradesh

1. Kangra Central Co-operative Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Jammu Central Co-operative Bank Ltd.

Karnataka

1. Kanara Dist. Central Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

केरल

1. अल्लेपै डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कन्ननूर डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. एर्नाकुलम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. इदुक्की डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. कोट्टयम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. मलाबार को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
7. मलप्पुरम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. पालघाट को-ऑपरेटिव सेंट्रल बैंक लि.
9. पथानामथित्ता डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. क्यूलोन डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. त्रिपुरा डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. त्रिवेन्द्रम डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. वायनाड डिस्ट्रिक्ट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

1. भोपाल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, बिलासपुर
3. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, छिन्दवाड़ा
4. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, जबलपुर
5. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, खण्डवा
6. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित, रीवा
7. ज़िला सहकारी केन्द्रीय बैंक मर्यादित उज्जैन
8. रायपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.

महाराष्ट्र

1. अहमदनगर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अमरावती डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. औरंगाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. बीड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. भंडारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बॉम्बे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बुलढाणा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. चन्द्रपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE - XI (Contd.)

Kerala

1. Alleppey Dist. Co-operative Bank Ltd.
2. Cannanore Dist. Co-operative Central Bank Ltd.
3. Ernakulam Dist. Co-operative Bank Ltd.
4. Idukki Dist. Co-operative Bank Ltd.
5. Kottayam Dist. Co-operative Bank Ltd.
6. Malabar Co-operative Central Bank Ltd.
7. Malappuram Dist. Co-operative Bank Ltd.
8. Palghat Co-operative Central Bank Ltd.
9. Pathanamthitta Dist. Co-operative Bank Ltd.
10. Quilon Dist. Co-operative Bank Ltd.
11. Trichur Dist. Co-operative Bank Ltd.
12. Trivandrum Dist. Co-operative Bank Ltd.
13. Wynad Dist. Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. Bhopal Co-operative Central Bank Ltd.
2. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Bilaspur
3. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Chhindwara
4. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Jabalpur
5. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Khandwa
6. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Rewa
7. Jilla Sahakari Kendriya Bank Maryadit, Ujjain
8. Raipur Co-operative Central Bank Ltd.

Maharashtra

1. Ahmednagar Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
2. Akola Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
3. Amravati Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
4. Aurangabad Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
5. Beed Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
6. Bhandara Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
7. Bombay Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
8. Buldhana Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
9. Chandrapur Dist. Central Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

10. धुलिया डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. जलगांव डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. कोल्हापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. नागपुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. नांदेड डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
15. नासिक डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
16. उस्मानाबाद डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. परभणी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. पुणे जिला मध्यवर्ती सहकारी बैंक मर्यादित
19. रायगढ़ डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. सांगली डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. सातारा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. सिंधुदुर्ग डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. सोलापुर डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
26. ठाणे डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
27. वर्धा डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. यवतमाल डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

तमिलनाडु

1. सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि., कुम्भकोणम
2. कोयम्बतूर सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. रामनाथपुरम् डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. सालेम सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पश्चिम बंगाल

1. बर्दवान सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंक लि.

प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक

आंध्र प्रदेश

1. आन्ध्र प्रदेश महेश को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. भीमवरम् को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. गुडिवाडा को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

ANNEXURE - XI (Contd.)

10. Dhulia Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
11. Jalgaon Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
12. Kolhapur Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
13. Nagpur Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
14. Nanded Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
15. Nasik Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
16. Osmanabad Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
17. Parbhani Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
18. Pune Zilla Madhyavarti Sahakari Bank Maryadit
19. Raigad Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
20. Ratnagiri Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
21. Sangli Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
22. Satara Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
23. Sholapur Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
24. Sindhudurg Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
25. Solapur Dist. Industrial Co-operative Bank Ltd.
26. Thane Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
27. Wardha Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
28. Yeotmal Dist. Central Co-operative Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Central Co-operative Bank Ltd., Kumbakonam
2. Coimbatore Central Co-operative Bank Ltd.
3. Ramnathpuram Dist. Central Co-operative Bank Ltd.
4. Salem Central Co-operative Bank Ltd.

West Bengal

1. Burdwan Central Co-operative Bank Ltd.

Primary Urban Co-operative Banks

Andhra Pradesh

1. Andhra Pradesh Mahesh Co-operative Urban Bank Ltd.
2. Bhimavaram Co-operative Urban Bank Ltd.
3. Guduwada Co-operative Urban Bank Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

गुजरात

1. अहमदाबाद महिला नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. अहमदाबाद मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अहमदाबाद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. आनंद पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. अंकलेश्वर नागरिक सहकारी बैंक लि.
6. अन्योन्य सहकारी मंडली को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. बनासकांठा मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. बावला नागरिक सहकारी बैंक लि.
9. भरूच नागरिक सहकारी बैंक लि.
10. सिटीज़न को-ऑपरेटिव बैंक लि., राजकोट
11. को-ऑपरेटिव बैंक ऑफ अहमदाबाद लि.
12. धिनोज नागरिक सहकारी बैंक लि.
13. दोहद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. जनरल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अहमदाबाद
15. हिम्मतनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.
16. झालोड अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
17. कालूपुर कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
18. करमसद अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
19. कुकरवाड़ा नागरिक सहकारी बैंक लि.
20. माधवपुरा मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. मानेकचौक को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. नडियाड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. नटपुर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
24. नवानगर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. नूतन नागरिक सहकारी बैंक लि.
26. पाटण नागरिक सहकारी बैंक लि.
27. प्रोग्रेसिव मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. राजकोट नागरिक सहकारी बैंक लि.
29. सहयोग को-ऑपरेटिव बैंक लि.
30. सरदार भीलवाड़ा परड़ी पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. सरदारगंज मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. सरदारगंज मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., पाटण
33. सर्वोदय कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
34. सर्वोदय सहकारी बैंक लि.

ANNEXURE - XI (Contd.)

Gujarat

1. Ahmedabad Mahila Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Ahmedabad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
3. Ahmedabad Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Anand Peoples Co-operative Bank Ltd.
5. Ankleshwar Nagarik Sahakari Bank Ltd.
6. Anyonya Sahayakari Mandli Co-operative Bank Ltd.
7. Banaskantha Mercantile Co-operative Bank Ltd.
8. Bavla Nagarik Sahakari Bank Ltd.
9. Bharuch Nagarik Sahakari Bank Ltd.
10. Citizen Co-operative Bank Ltd., Rajkot
11. Co-operative Bank of Ahmedabad Ltd.
12. Dhinoj Nagrik Sahakari Bank Ltd.
13. Dohad Urban Co-operative Bank Ltd.
14. General Co-operative Bank Ltd., Ahmedabad
15. Himatnagar Nagrik Sahakari Bank Ltd.
16. Jhalod Urban Co-operative Bank Ltd.
17. Kalupur Commercial Co-operative Bank Ltd.
18. Karamsad Urban Co-operative Bank Ltd.
19. Kukarwada Nagrik Sahakari Bank Ltd.
20. Madhavpura Mercantile Co-operative Bank Ltd.
21. Maneckchowk Co-operative Bank Ltd.
22. Nadiad Mercantile Co-operative Bank Ltd.
23. Natpur Co-operative Bank Ltd.
24. Nawanagar Co-operative Bank Ltd.
25. Nutan Nagrik Sahakari Bank Ltd.
26. Patan Nagarik Sahakari Bank Ltd.
27. Progressive Mercantile Co-operative Bank Ltd.
28. Rajkot Nagarik Sahakari Bank Ltd.
29. Sahyog Co-operative Bank Ltd.
30. Sardar Bhiladwala Pardi People's Co-operative Bank Ltd.
31. Sardarganj Mercantile Co-operative Bank Ltd., Anand
32. Sardargunj Mercantile Co-operative Bank Ltd., Patan
33. Sarvodaya Commercial Co-operative Bank Ltd.
34. Sarvodaya Sahakari Bank Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)

35. श्री लक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
36. श्री महालक्ष्मी मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
37. सुरेन्द्रनगर पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. टेक्सटाइल ट्रेडर्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
39. उमा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
40. यूनाइटेड मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि., नडियाड
41. उंझा नागरिक सहकारी बैंक लि.
42. वेरावल पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
43. विजय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
44. विसनगर नागरिक सहकारी बैंक लि.

जम्मू और कश्मीर

1. सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., जम्मू
- #### कर्नाटक
1. वीजापुर श्री सिद्धेश्वर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
 2. सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि., मैसूर
 3. होनावर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
 4. कर्नाटक इंडस्ट्रियल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
 5. मैसूर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
 6. नवोदय सहकारी बैंक लि.
 7. श्री कन्यका परमेश्वरी को-ऑपरेटिव बैंक लि.

केरल

1. अलवाये अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. कासरगोड़ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. मीनाचील को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. पालघाट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. पयानगडी अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. पेरिन्थलमना को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. तिरूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
8. त्रिचूर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

मध्य प्रदेश

1. वसोडा नागरिक सहकारी बैंक लि.
2. भिलाई नागरिक सहकारी बैंक मर्यादित
3. सिटीज़न्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., दामोह
4. इंदौर क्लॉथ मार्केट को-ऑपरेटिव बैंक लि.

ANNEXURE-XI (Contd.)

35. Shree Lakshmi Co-operative Bank Ltd.
36. Shree Mahalaxmi Mercantile Co-operative Bank Ltd.
37. Surendranagar People's Co-operative Bank Ltd.
38. Textile Traders Co-operative Bank Ltd.
39. Uma Co-operative Bank Ltd.
40. United Mercantile Co-operative Bank Ltd., Nadiad
41. Unjha Nagarik Sahakari Bank Ltd.
42. Veraval People's Co-operative Bank Ltd.
43. Vijay Co-operative Bank Ltd.
44. Visnagar Nagarik Sahakari Bank Ltd.

Jammu & Kashmir

1. Citizen's Co-operative Bank Ltd., Jammu

Karnataka

1. Bijapur Shri Siddheshwar Urban Co-operative Bank Ltd.
2. City Co-operative Bank Ltd., Mysore
3. Honavar Urban Co-operative Bank Ltd.
4. Karnataka Industrial Co-operative Bank Ltd.
5. Mysore Co-operative Bank Ltd.
6. Navodaya Sahakara Bank Ltd.
7. Sri Kanyakaparneswari Co-operative Bank Ltd.

Kerala

1. Always Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Kasargod Co-operative Town Bank Ltd.
3. Meenachil Co-operative Town Bank Ltd.
4. Palghat Co-operative Urban Bank Ltd.
5. Payangadi Urban Co-operative Bank Ltd.
6. Perintalmanna Co-operative Urban Bank Ltd.
7. Tirur Urban Co-operative Bank Ltd.
8. Trichur Urban Co-operative Bank Ltd.

Madhya Pradesh

1. Basoda Nagrik Sahakari Bank Ltd.
2. Bhilai Nagarik Sahakari Bank Ltd.
3. Citizen Co-operative Bank Ltd., Damoh
4. Indore Cloth Market Co-operative Bank Ltd.

अनुबंध - XI (जारी)
महाराष्ट्र

1. अभ्युदय को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अकोला अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. अलेन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. अमलनेर को-ऑपरेटिव बैंक लि.
5. वारामती अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. चोपड़ा पीपल्स अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. कॉस्मॉस को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
8. दापोली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
9. डेक्कन मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
10. इचलकरंजी जनता सहकारी बैंक लि.
11. इंदिरा महिला सहकारी बैंक लि.
12. जयहिंद को-ऑपरेटिव बैंक लि.
13. जालना पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
14. जनकल्याण सहकारी बैंक लि.
15. जनता कमर्शियल को-ऑपरेटिव बैंक लि., अकोला
16. जनता सहकारी बैंक लि. नन्दूरवार
17. जनता सहकारी बैंक लि. पुणे
18. कराड़ जनता सहकारी बैंक लि.
19. कोंकण मर्कन्टाइल को-ऑपरेटिव बैंक लि.
20. कोल्हापूर मराठा को-ऑपरेटिव बैंक लि.
21. कोपरगांव तालुका मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
22. महाड़ को-ऑपरेटिव बैंक लि.
23. मांडवी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
24. मेमन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
25. मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि., धुळे
26. मुर्गराजेन्द्र सहकारी बैंक लि.
27. मुस्लिम को-ऑपरेटिव बैंक लि.
28. नगर अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
29. नागरिक सहकारी बैंक लि., एरंडोल
30. नंदूरा अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
31. नासिक मर्चन्ट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
32. न्यू इंडिया को-ऑपरेटिव बैंक लि.
33. नार्थ केनरा गौड सारस्वत ब्राह्मण ऑपरेटिव बैंक लि.
34. पाचोरा पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
35. पारसिक जनता सहकारी बैंक लि.
36. प्रवरा सहकारी बैंक लि.
37. पंजाब एण्ड महाराष्ट्र को-ऑपरेटिव बैंक लि.
38. रायगढ़ सहकारी बैंक लि.
39. रेण्डल सहकारी बैंक लि.

ANNEXURE-XI (Contd.)
Maharashtra

1. Abhyudaya Co-operative Bank Ltd.
2. Akola Urban Co-operative Bank Ltd.
3. Alen Co-operative Bank Ltd.
4. Amalner Co-operative Urban Bank Ltd.
5. Baramati Urban Co-operative Bank Ltd.
6. Chopda Peoples Urban Co-operative Bank Ltd.
7. Cosmos Co-operative Urban Bank Ltd.
8. Dapoli Urban Co-operative Bank Ltd.
9. Deccan Merchant's Co-operative Bank Ltd.
10. Ichalkaranji Janata Sahakari Bank Ltd.
11. Indira Mahila Sahakari Bank Ltd.
12. Jai Hind Co-operative Bank Ltd.
13. Jalna Peoples' Co-operative Bank Ltd.
14. Janakalyan Sahakari Bank Ltd.
15. Janata Commercial Co-operative Bank Ltd., Akola
16. Janata Sahakari Bank Ltd., Nandurbar
17. Janata Sahakari Bank Ltd., Pune
18. Karad Janata Sahakari Bank Ltd.
19. Kokan Mercantile Co-operative Bank Ltd.
20. Kolhapur Maratha Co-operative Bank Ltd.
21. Kopargaon Taluka Merchant's Co-operative Bank Ltd.
22. Mahad Co-operative Urban Bank Ltd.
23. Mandvi Co-operative Bank Ltd.
24. Memon Co-operative Bank Ltd.
25. Merchants Co-operative Bank Ltd., Dhule
26. Murgharajendra Sahakari Bank Ltd.
27. Muslim Co-operative Bank Ltd.
28. Nagar Urban Co-operative Bank Ltd.
29. Nagarik Sahakari Bank Ltd., Erandol
30. Nandura Urban Co-operative Bank Ltd.
31. Nasik Merchants' Co-operative Bank Ltd.
32. New India Co-operative Bank Ltd.
33. North Kanara Goud Saraswat Brahmin Co-operative Bank Ltd.
34. Pachora People's Co-operative Bank Ltd.
35. Parsik Janata Sahakari Bank Ltd.
36. Pravara Sahakari Bank Ltd.
37. Punjab & Maharashtra Co-operative Bank Ltd.
38. Raigad Sahakari Bank Ltd.
39. Rendal Sahakari Bank Ltd.

40. रूपि को-ऑपरेटिव बैंक लि.
41. सह्याद्री सहकारी बैंक लि.
42. संगमनेर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
43. सांगली जनता सहकारी बैंक लि.
44. सांगली अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
45. सारस्वत को-ऑपरेटिव बैंक लि.
46. शामराव को-ऑपरेटिव बैंक लि.
47. शिरपुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
48. श्री वारणा सहकारी बैंक लि.
49. श्री महालक्ष्मी को-ऑपरेटिव बैंक लि., कोल्हापुर
50. श्री शिवनेरी सहकारी बैंक लि.
51. सोलापुर मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
52. सोलापुर नागरी औद्योगिक सहकारी बैंक नियमित
53. सोलापुर जनता सहकारी बैंक लि.
54. स्वस्तिक जनता सहकारी बैंक लि.
55. ठाणे जनता सहकारी बैंक लि.
56. ठाणे पीपल्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
57. वडगांव अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
58. वैद्यनाथ को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
59. विटा मर्चेंट्स को-ऑपरेटिव बैंक लि.
60. यशवंत सहकारी बैंक लि.

मणिपुर

1. इम्माल अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.

पांडिचेरी

1. पांडिचेरी को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

तामिलनाडु

1. अम्मापेट अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
2. अत्तूर टाउन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
3. भूपतिराजू को-ऑपरेटिव बैंक लि.
4. विग कांचिपुरम को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
5. चिंताद्रिपेट को-ऑपरेटिव बैंक लि.
6. कोयम्बतूर सिटी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
7. कुन्नूर को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
8. धरमपुरी को-ऑपरेटिव टाउन बैंक लि.
9. कृष्णागिरि अर्बन ऑपरेटिव बैंक लि.
10. मदुरै अर्बन को-ऑपरेटिव बैंक लि.
11. मन्नारगुडी को-ऑपरेटिव बैंक लि.
12. मेट्तुपालयम को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.
13. नामक्कल को-ऑपरेटिव अर्बन बैंक लि.

40. Rupee Co-operative Bank Ltd.
41. Sahyadri Sahakari Bank Ltd.
42. Sangamner Merchants Co-operative Bank Ltd.
43. Sangli Janata Sahakari Bank Ltd.
44. Sangli Urban Co-operative Bank Ltd.
45. Saraswat Co-operative Bank Ltd.
46. Shamrao Vithal Co-operative Bank Ltd.
47. Shirpur Merchants' Co-operative Bank Ltd.
48. Shree Warana Sahakari Bank Ltd.
49. Shri Mahalaxmi Co-operative Bank Ltd.
50. Shri Shivneri Sahakari Bank Ltd.
51. Sholapur Merchants Co-operative Bank Ltd.
52. Sholapur Nagari Audyogik Sahakari Bank Niyamit
53. Solapur Janata Sahakari Bank Ltd.
54. Swastik Janata Sahakari Bank Ltd.
55. Thane Janata Sahakari Bank Ltd.
56. Thane Peoples Co-operative Bank Ltd.
57. Vadgaon Urban Co-operative Bank Ltd.
58. Vaidyanath Co-operative Urban Bank Ltd.
59. Vita Merchant's Co-operative Bank Ltd.
60. Yashwant Sahakari Bank Ltd.

Manipur

1. Imphal Urban Co-operative Bank Ltd.

Pondicherry

1. Pondicherry Co-operative Urban Bank Ltd.

Tamil Nadu

1. Ammapet Urban Co-operative Bank Ltd.
2. Attur Town Co-operative Bank Ltd.
3. Bhupathiraju Co-operative Credit Bank Ltd.
4. Big Kancheepuram Co-operative Town Bank Ltd.
5. Chintadripet Co-operative Bank Ltd.
6. Coimbatore City Co-operative Bank Ltd.
7. Coonoor Co-operative Urban Bank Ltd.
8. Dharampuri Co-operative Town Bank Ltd.
9. Krishnagiri Urban Co-operative Bank Ltd.
10. Madurai Urban Co-operative Bank Ltd.
11. Mannargudi Co-operative Bank Ltd.
12. Mettupalayam Co-operative Urban Bank Ltd.
13. Namakkal Co-operative Urban Bank Ltd.

अनुबंध - XII
ANNEXURE - XII

लघु उद्योगों के लिए लघु ऋण गारंटी योजना के अधिन

31 दिसंबर 1986 को विचारार्थीन दावों का राशिवार और अर्थाधिकार वर्गीकरण

STATEMENT SHOWING AGE-WISE AND AMOUNT-WISE CLASSIFICATION OF CLAIMS PENDING AS ON

31 DECEMBER, 1986 UNDER CREDIT GUARANTEE SCHEMES RELATING TO SMALL SCALE INDUSTRIES

(रुशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in crores of rupees)

दावों की रशि Claims for amounts	1 वर्ष 1 year		1 से 2 वर्ष 1 to 2 years		2 से 3 वर्ष 2 to 3 years		3 से अधिक वर्ष Over 3 years		जोड़ Total	
	संख्या	रशि	संख्या	रशि	संख्या	रशि	संख्या	रशि	संख्या	रशि
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
I सरकार की योजना (31 मार्च 1981 से रद्द) Government's Scheme (Cancelled as on 31st March 1981)										
1. 25,000/- रुपये तक Upto Rs. 25,000	444 (112)	0.26 (0.07)	22 (15)	0.03 (0.02)	33 (28)	0.03 (0.02)	74 (61)	0.07 (0.06)	573 (216)	0.39 (0.17)
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1 lakh	257 (87)	1.39 (0.51)	101 (45)	0.68 (0.27)	48 (30)	0.27 (0.18)	219 (143)	1.21 (0.79)	625 (305)	3.55 (1.75)
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक Above Rs. 1 lakh and upto Rs. 2 lakhs	94 (38)	1.36 (0.56)	41 (19)	0.60 (0.27)	27 (19)	0.40 (0.28)	109 (72)	1.67 (1.02)	271 (148)	4.03 (2.13)
4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक Above Rs. 2 lakhs and upto Rs. 5 lakhs	71 (22)	2.16 (0.73)	60 (12)	1.71 (0.33)	49 (29)	1.50 (0.87)	197 (133)	6.47 (4.12)	377 (196)	11.84 (6.05)
5. 5 लाख रुपये से अधिक Above Rs. 5 lakhs	21 (6)	1.69 (0.51)	25 (12)	1.93 (0.96)	19 (12)	1.46 (0.96)	122 (82)	10.44 (6.67)	187 (112)	15.52 (9.10)
जोड़: Total:	887 (265)	6.85 (2.39)	249 (103)	4.95 (1.84)	176 (118)	3.66 (2.32)	721 (491)	19.86 (12.65)	2,033 (977)	35.33 (19.20)

अनुबंध - XII (समाप्त)
ANNEXURE - XII (Concl.)

दावे की रकम Claims for amounts	1 वर्ष 1 year		1 से 2 वर्ष 1 to 2 years		2 से 3 वर्ष 2 to 3 years		3 से अधिक वर्ष Over 3 years		जोड़ Total	
	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम	संख्या	रकम
	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount	No.	Amount
II. निम्न की योजना (1 अप्रैल 1981 से शुरू) Corporation's Scheme (introduced with effect from 1 April 1981)										
1. 25,000/- रुपये तक Upto Rs. 25,000	8,405 (246)	4.62 (0.14)	463 (227)	0.31 (0.07)	178 (45)	0.11 (0.04)	17 (13)	0.02 (0.02)	9,063 (531)	5.06 (0.27)
2. 25,000/- रुपये से अधिक और 1 लाख रुपये तक Above Rs. 25,000 and upto Rs. 1 lakh	1,834 (134)	9.45 (0.67)	654 (83)	3.62 (0.51)	384 (50)	2.10 (0.26)	117 (34)	0.72 (0.22)	2,986 (298)	15.89 (1.66)
3. 1 लाख रुपये से अधिक और 2 लाख रुपये तक Above Rs. 1 lakh and upto Rs. 2 lakhs	752 (83)	10.52 (1.14)	346 (35)	4.93 (0.52)	233 (29)	3.50 (0.47)	78 (15)	1.11 (0.22)	1,409 (162)	20.06 (2.35)
4. 2 लाख रुपये से अधिक और 5 लाख रुपये तक Above Rs. 2 lakhs and upto Rs. 5 lakhs	676 (35)	21.06 (1.01)	292 (17)	8.88 (0.43)	230 (33)	6.97 (0.95)	121 (15)	3.87 (0.44)	1,319 (100)	40.78 (2.83)
5. 5 लाख रुपये से अधिक Above Rs. 5 lakhs	421 (13)	34.63 (0.73)	246 (17)	19.60 (1.15)	151 (16)	11.60 (1.18)	77 (10)	6.05 (0.68)	895 (56)	71.88 (3.74)
जोड़:	12,085	80.28	2,004	37.34	1,176	24.28	410	11.77	13,672	133.67
Total:	(508)	(3.69)	(379)	(2.68)	(173)	(2.90)	(87)	(4.38)	(1,147)	(10.85)

भाग 'अ' - लघु उद्योगों के लिए
सरकार की ऋण गारंटी योजना (अब रद्द)
Part 'B' Government's Credit Guarantee Scheme for SSI
(Since cancelled)

पहली अप्रैल 1981 को अविर्गीत दावे
(भारतीय रिजर्व बैंक से लिये गये)

Claims pending as on 1 April 1981 (taken over from RBI)

पहला अप्रैल 1981 से 31 दिसम्बर 1981 1 April 1981 to 31 December 1981	13,911	20.56	5,447	10.69
पहली जनवरी 1982 से 31 दिसम्बर 1982 1 January 1982 to 31 December 1982	10,447	20.53	20,445	24.43
पहली जनवरी 1983 से 31 दिसम्बर 1983 1 January 1983 to 31 December 1983	7,878	20.08	19,469	26.78
पहली जनवरी 1984 से 31 दिसम्बर 1984 1 January 1984 to 31 December 1984	7,921	16.50	18,262	33.53
पहली जनवरी 1985 से 31 दिसम्बर 1985 1 January 1985 to 31 December 1985	5,259	14.07	8,597	31.96
पहली जनवरी 1986 से 31 दिसम्बर 1986 1 January 1986 to 31 December 1986	4,914	14.90	6,903	42.10

उप-जोड़ :
Sub Total

50,330 106.64 79,123 169.49

जोड़ :
TOTAL

81,156 204.82 79,123 169.49

XIII (समाप्त)
XIII (Concl.)

(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)
4,225	6.54	462	1.94	760	2.21	39,290	108.05
16,936	14.62	2,309	5.57	1,200	4.24	29,292	104.15
16,394	16.28	1,734	7.23	1,341	3.27	17,701	97.45
10,214	21.32	5,496	8.33	2,552	3.88	7,360	80.42
5,325	12.92	3,085	17.24	187	1.80	4,022	62.53
3,965	14.32	2,480	22.07	458	5.71	2,033	35.33
57,059	86.00	15,566	62.38	6,498	21.11		
57,059	86.00	15,566	62.38	6,498	21.11		

31 दिसंबर 1986 को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में जमा

INVESTMENT OF THE DEPOSIT INSURANCE FUND, CREDIT GUARANTEE FUND AND THE

क्र. सं. Sr. No.	विवरण Particulars	जमा बीमा निधि DEPOSIT INSURANCE FUND				
		बाजार दर प्रतिशत	अंकित मूल्य	बही मूल्य	बाजार मूल्य	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत
		Market Rate %	Face Value	Book Value	Market Value	% of Market Value to Book Value
1	2	3	4	5	6	7
अ. जिन प्रतिभूतियों में मूल्य ह्रास हुआ है						
(A) SECURITIES WHICH HAVE DEPRECIATED						
1.	6 ½ प्रतिशत ऋण 2002 6½% Loan 2000	69.75	—	—	—	—
2.	6 ½ प्रतिशत ऋण 2003 6½% Loan 2003	68.75	—	—	—	—
3.	6 ½ प्रतिशत ऋण 2004 6½% Loan 2004	66.00	12.66	11.79	8.36	70.91
4.	6 ½ प्रतिशत ऋण 2005 6½% Loan 2005	64.00	5.95	5.98	3.81	63.71
5.	6 ¾ प्रतिशत ऋण 2006 6¾% Loan 2006	65.00	14.30	14.28	9.29	65.06
6.	6 ¾ प्रतिशत ऋण 2007 6¾% Loan 2007	64.00	9.41	9.36	6.02	64.32
7.	7 प्रतिशत ऋण 2009 7% Loan 2009	68.00	34.63	34.66	23.55	67.95
8.	7 ½ प्रतिशत ऋण 2010 7½% Loan 2010	71.50	41.29	39.50	29.52	74.73
9.	8 प्रतिशत ऋण 2011 8% Loan 2011	80.85	42.30	41.32	34.20	82.77
10.	8 ¾ प्रतिशत ऋण 2010 8¾% Loan 2010	89.00	0.78	0.78	0.70	89.74
11.	9 प्रतिशत ऋण 2013 9% Loan 2013	81.70	34.82	34.80	28.45	81.75
12.	9 ½ प्रतिशत ऋण 2008 9½% Loan 2008	97.50	6.02	5.92	5.87	99.16
आगे ले जाया गया Carried over		202.16	198.39	149.77		

बीमा निधि, ऋण गारंटी निधि और सामान्य निधि के निवेश

(रुशि करोड़ रुपयों में)
(Amount in Crores of Rupees)

GENERAL FUND IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES AS ON THE 31ST DECEMBER 1986

ऋण गारंटी निधि CREDIT GUARANTEE FUND				सामान्य निधि GENERAL FUND			
अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत % of Market Value to Book Value	अंकित मूल्य Face Value	बही मूल्य Book Value	बाजार मूल्य Market Value	बही मूल्य की तुलना में बाजार मूल्य का प्रतिशत % of Market Value to Book Value
8	9	10	11	12	13	14	15
3.37	3.38	2.35	69.53	—	—	—	—
2.66	2.66	1.83	68.80	—	—	—	—
2.80	2.81	1.85	65.84	—	—	—	—
3.00	3.02	1.92	63.58	—	—	—	—
2.42	2.42	1.57	64.88	2.15	2.15	1.40	65.12
4.00	4.01	2.56	63.84	—	—	—	—
6.00	6.01	4.08	67.89	0.05	0.05	0.03	60.00
11.28	11.13	8.07	72.51	5.88	5.84	4.20	71.92
59.91	59.35	48.44	81.62	6.80	6.24	5.50	88.14
3.00	3.00	2.67	89.00	—	—	—	—
61.65	60.77	50.37	82.89	15.00	15.02	12.26	81.62
17.17	17.04	16.74	98.24	0.65	0.65	0.63	96.92
177.26	175.60	142.45		30.53	29.95	24.02	

1	2	3	4	5	6	7
	आगे लाया गया Brought forward		202.16	198.39	149.77	
13.	10 प्रतिशत ऋण 2014 10% Loan 2014	88.80	45.76	45.62	40.64	89.08
14.	10 ¼ प्रतिशत ऋण 2012 10¼% Loan 2012	96.00	13.41	13.42	12.87	95.90
15.	10 ½ प्रतिशत ऋण 2014 10½% Loan 2014	91.75	21.52	21.51	19.75	91.82
16.	11 ½ प्रतिशत ऋण 2015 (V) 11½% Loan 2015 (V)	100.00 *	—	—	—	—
17.	11 ½ प्रतिशत ऋण 2006 (III) 11½% Loan 2006 (II)	100.00 *	3.73	3.74	3.73	99.73
18.	11 ½ प्रतिशत ऋण 2006 (III) 11½% Loan 2006 (III)	100.00 *	—	—	—	—
जोड़ 'अ': TOTAL 'A':			286.58	282.68	226.76	80.22
आ जिन प्रतिभूतियों के मूल्य में वृद्धि हुई है (B) SECURITIES WHICH HAVE APPRECIATED						
1.	11 ½ प्रतिशत ऋण 2006 11½% Loan 2006	100.40	0.71	0.71	0.71	100.00
2.	11 ½ प्रतिशत ऋण 2015 11½% Loan 2015	100.60	25.19	25.13	25.34	100.84
जोड़ 'आ': TOTAL 'B':			25.90	25.84	26.05	100.81

-XIV (जारी)
-XIV (Contd.)

8	9	10	11	12	13	14	15
177.26	175.60	142.45		30.53	29.95	24.02	
33.05	33.06	29.35	88.78	12.00	12.02	10.66	88.69
26.17	26.20	25.12	95.88	10.26	10.28	9.85	95.82
34.45	34.45	31.60	91.73	7.39	7.38	6.78	91.87
5.00	5.00	5.00	100.00	0.41	0.41	0.41	100.00
5.00	5.00	5.00	100.00	—	—	—	—
14.00	14.00	14.00	100.00	—	—	—	—
294.93	293.31	252.52	86.09	60.59	60.04	51.72	86.14
15.00	15.00	15.06	100.40	1.00	1.00	1.01	101.00
55.87	55.96	56.21	100.45	10.69	10.71	10.75	100.37
70.87	70.96	71.27	100.44	11.69	11.71	11.76	100.43

1	2	3	4	5	6	7
इ. "वापस खरीद" व्यवस्था के अधीन						
केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश @						
(C) INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES UNDER						
'BUY-BACK' ARRANGEMENT						
1.	7 ½ प्रतिशत ऋण 2010 7½% Loan 2010	70.90	12.78	9.06	9.06	—
2.	7 ½ प्रतिशत ऋण 2010 7½% Loan 2010	71.05	0.25	0.18	0.18	—
3.	8 ¼ प्रतिशत ऋण 2005 8¼% Loan 2005	75.50	23.00	17.37	17.37	—
4.	8 ¼ प्रतिशत ऋण 2005 8¼% Loan 2005	75.55	1.54	1.16	1.16	—
5.	9 प्रतिशत ऋण 2013 9% Loan 2013	78.90	0.50	0.39	0.39	—
6.	9 प्रतिशत ऋण 2013 9% Loan 2013	80.75	14.94	12.06	12.06	—
7.	10 प्रतिशत ऋण 2014 10% Loan 2014	88.80	9.82	8.72	8.72	—
8.	10¼ प्रतिशत ऋण 2012 10¼% Loan 2012	92.45	1.16	1.07	1.07	—
9.	10¼ प्रतिशत ऋण 2012 10¼% Loan 2012	90.05	0.72	0.65	0.65	—
10.	10¼ प्रतिशत ऋण 2012 10¼% Loan 2012	92.55	0.05	0.05	0.05	—
11.	10½ प्रतिशत ऋण 2005 10½% Loan 2005	93.05	4.69	4.36	4.36	—
12.	10½ प्रतिशत ऋण 2005 10½% Loan 2005	93.20	—	—	—	—
13.	10½ प्रतिशत ऋण 2005 10½% Loan 2005	93.25	—	—	—	—
14.	10½ प्रतिशत ऋण 2005 10½% Loan 2005	100.65	1.45	1.46	1.46	—
15.	10.80 प्रतिशत ऋण 2008 10.80% Loan 2008	100.25	0.05	0.05	0.05	—
आगे ले जाया गया Carried over			70.95	56.58	56.58	

-XIV (जारी)
-XIV (Contd.)

8	9	10	11	12	13	14	15
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2.15	1.70	1.70	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	0.58	0.52	0.52	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
14.75	13.75	13.75	—	—	—	—	—
1.50	1.40	1.40	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
18.40	16.85	16.85		0.58	0.52	0.52	

1	2	3	4	5	6	7
	आगे लाया गया Brought forward		70.95	56.58	56.58	
16.	11.30 प्रतिशत ऋण 2004 11.30% Loan 2004	100.10	—	—	—	—
17.	11½ प्रतिशत ऋण 2015 11½% Loan 2015	100.65	4.24	4.27	4.27	—
18.	11½ प्रतिशत ऋण 2015 11½% Loan 2015	100.10	2.51	2.51	2.51	—
19.	11½ प्रतिशत ऋण 2015 11½% Loan 2015	99.35	0.55	0.55	0.55	—
20.	11½ प्रतिशत ऋण 2015 11½% Loan 2015	99.15	3.93	3.90	3.90	—
	जोड़ 'इ': TOTAL 'C':		82.18	67.81	67.81	—
	कुल जोड़ (अ + आ + इ) GRAND TOTAL (A B C):		394.66	376.33	320.62	85.20

Market rates are as per Stock Exchange quotations as on 24 December, 1986 indicating the rates at which business was last done.

- Issue price, as there have been no transactions since issue of securities.

Under the 'buy-back' arrangement which has been extended by the Reserve Bank of India to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, as a special case, the Reserve Bank of India sells to Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation, Central Government Securities and purchases the same from DICGC at the same rates at which the securities were sold, if and when the DICGC needs liquid cash to meet claims and other payments.

(राशि करोड़ रुपयों में)
(Rupees in crores)

	निवेशों के बाजार मूल्य में मूल्यहास Depreciation in the Market Value of Investments	वर्तमान व्यवस्था Existing Provision
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	55.92	55.92
ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	40.79	40.95
सामान्य निधि General Fund	8.32	8.61

-XIV (समाप्त)

-XIV (Concl.)

8	9	10	11	12	13	14	15
18.40	16.85	16.85		0.58	0.52	0.52	
4.97	4.97	4.97	—	2.86	2.87	2.87	—
5.25	5.28	5.28	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
—	—	—	—	—	—	—	—
2.00	1.98	1.98	—	0.68	0.67	0.67	—
30.62	29.08	29.08	—	4.12	4.06	4.06	—
396.42	393.35	352.87	89.71	76.40	75.81	67.54	89.09

बाजार दरें 24 दिसंबर 1986 की स्टॉक एक्सचेंज की दरों के अनुसार हैं और पिछला कारोबार जिस दर पर किया गया था उसकी सूचक हैं।

* "निर्गम मूल" जैसा की, प्रतिभूतियों के निर्गम के समय से वहाँ घर किसी भी प्रकार का लेन देन नहीं हुआ था।

@ 'वापस खरीद' व्यवस्था भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को एक विशेष मामले के तौर पर प्रदान की गयी है। इसके अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक, निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियां बेचता है तथा निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम को जब कभी दावों की अदायगी तथा अन्य अदायगियों के लिए नकदी राशि की आवश्यकता हो तो वह उन प्रतिभूतियों को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम से उन्हीं दरों पर खरीद लेता है जिन दरों पर प्रतिभूतियां बेची गयी थीं।

निक्षेप बीमा और
DEPOSIT INSURANCE AND
(निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(Established under the Deposit Insurance and Credit
विनियम 18
Regulation 18
31 दिसंबर 1986 को कारोबार समाप्त
Balance Sheet as at the close of
I - जमा बीमा निधि
I - DEPOSIT INSURANCE FUND

पिछले वर्ष Previous Year		देयताएँ LIABILITIES	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund					
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
1. निधि: FUND						
21,888.68	11,803.94	वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year	24,845.19	12,534.35		
जोड़िए: वर्ष के दौरान निधि में आय-व्यय लेखे से अन्तरित शुद्ध उपचय Add: Net accretion to the Fund during the year transferred from the Revenue Account.						
<u>2,956.51</u>	<u>730.41</u>	वर्ष के अंत में शेष Balance at the end of the year.	<u>3,535.96</u>	<u>6,241.85</u>		
24,845.19	12,534.35	2. निवेश प्रारक्षित निधि: वर्ष के आरम्भ में शेष जोड़िए: INVESTMENT RESERVE: (See Note 3)	28,381.15	18,776.20		
Balance at the beginning of the year.						
C/O 3,954.82	2,753.63	आगे ले जाया गया Carried over	C/O 5,580.01	4,095.22		
<u>24,845.19</u>	<u>12,534.35</u>		<u>28,381.15</u>	<u>18,776.20</u>		

प्रत्यय गारंटी निगम
CREDIT GUARANTEE CORPORATION
(अधिनियम 1961 के अधीन स्थापित)
Guarantee Corporation Act, 1961)
- फार्म 'अ'
Form 'A'

business on the 31st December, 1986

और ऋण गारंटी निधि
AND CREDIT GUARANTEE FUND

पिछले वर्ष Previous Year		आस्तियाँ ASSETS	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
1.12	543.39	1. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जमा BALANCE WITH THE RESERVE BANK OF INDIA		10.48		149.08
31,543.11	32,425.39	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERN- MENT SECURITIES (At Cost)		37,632.52		39,335.67
		जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund Rs. in lakhs	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund Rs. in lakhs			
		(अंकित मूल्य Face value	39,466.73	39,642.19		
		बाजार मूल्य Market Value	32,061.75	35,287.12)		
<u>31,554.23</u>	<u>32,968.78</u>	आगे लाया गया Carried over		<u>37,643.00</u>		<u>39,484.75</u>

पिछले वर्ष Previous Year		देयताएँ LIABILITIES	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
24,845.19	12,534.35	आगे लाया गया Brought forward		28,381.15		18,776.20
B/F 3,954.82	2,753.63	जोड़िए: वर्ष के दौरान व्यवस्था की गयी राशि B/F	5,580.01			4,095.22
<u>1,625.19</u>	<u>1,341.59</u>	Add: Amount provided for during the year	<u>12.12</u>			<u>—</u>
5,580.01	4,095.22	वर्ष के अंत में शेष Balance at the end of the year.		5,592.13		4,095.22
7.67		3. अदावी बीमाकृत जमाराशियां INSURED DEPOSITS REMAINING UNCLAIMED		7.86		—
4.85	95.65	4. वे दावे जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है और स्वीकृत हो चुके हैं परंतु अदा नहीं किये गये हैं CLAIMS INTIMATED AND CLAIMS ADMITTED BUT NOT PAID		—		95.05
1,270.00	16,816.11	5. उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं। ESTIMATED LIABILITY IN RESPECT OF CLAIMS INTIMATED BUT NOT ADMITTED		4,000.00		17,279.35
191.57	155.85	6. अन्य देयताएँ: फुटकर लेनदार OTHER LIABILITIES Sundry Creditors		117.89		82.49
<u>31,899.29</u>	<u>33,697.18</u>	जोड़ TOTAL		<u>38,099.03</u>		<u>40,328.31</u>

और ऋण गारंटी निधि (जारी)

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Contd.)

पिछले वर्ष Previous Year		आस्तियाँ ASSETS	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
31,554.23	32,968	आगे ले जाया गया Brought forward		37,643.00		39,484.75
		3. निवेशों पर प्रोदभूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS	345.33	426.43	444.66	525.37
		4. अन्य आस्तियाँ: OTHER ASSETS:				
		(i) बैंकों/ऋण संस्थाओं से प्राप्य प्रीमियम, गारंटी शुल्क और अतिरिक्त प्रदत्त दावों की बकाया राशि Outstanding premium, guarantee fees and excess claims paid, due from banks/Credit Institutions	8.86	73.83	10.39	108.66
		(ii) अतिदेय प्रीमियम और गारंटी शुल्क पर बकाया ब्याज Outstanding interest on overdue premium and guarantee fees	0.81	6.06	0.92	2.59
		(iii) एक बैंक के परिसमापक के पास अतिरिक्त रहने वाले दावों के संबंध में अदा की गयी राशि Amount paid towards claims remaining undis- bursed with the liquidator of a bank	0.06	—	0.06	—
		(iv) लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) Government of India Credit Guarantee Scheme (O Id) for Small Scale Industries (see note 4)	—	222.08	—	206.94
9.73	301.97	जोड़ TOTAL	31,899.29	33,697.18	38,099.03	40,328.31

टिप्पणियां: जमा बीमा निधि

1. तुलन पत्र की तारीख को जमाकर्ताओं को अदा किये दावों के संबंध में प्रतिस्थापन अधिकारों के रूप में निगम को 1405.50 लाख रुपये (पिछले वर्ष 232.31 लाख रुपये) प्राप्त करने का अधिकार है। इस संबंध में वसूल होनेवाली राशि निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसी वर्ष हिसाब में ली जायेगी जिस वर्ष वह प्राप्त होगी।
2. पिछले वर्ष के आंकड़े यथावश्यक रूप से पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

ऋण गारंटी निधि:

3. कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य और बाजार मूल्य के बीच रहे अंतर की वजह निवेश प्रारक्षित 4095.22 लाख रुपये बनती है, जो 16.40 लाख रुपये की मात्रा तक अधिकतम हैं।
4. भारत सरकार की औद्योगिक विकास विभाग द्वारा अभिपुष्टि के अधीन 31 दिसम्बर 1986 तक लघु उद्योग (पुरानी) के लिए भारत सरकार की लघु ऋण गारंटी योजना के निमित्त वसूलीयोग्य राशि।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

ए.जे. शाह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

A.J. SHAH & CO.

Chartered Accountants,

बंबई, दिनांक 21 मार्च 1987

Bombay

dated the 21st March 1987.

पी.डी. ओझा
अध्यक्ष

P.D.OJHA
CHAIRMAN

यू.के. शर्मा
निदेशक

U.K. SARMA
DIRECTOR

ए.के. अग्रवाल
निदेशक

A.K. AGARWAL
DIRECTOR

पी.ए. नायर
निदेशक

P.A. NAIR
DIRECTOR

आई.टी. वाज़
महाप्रबंधक

I.T. VAZ
GENERAL MANAGER

एम.एल. सेठ
उप महाप्रबंधक

M.L. SETH
DY. GENERAL MANAGER

और ऋण गारंटी निधि (समाप्त)

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Concl.)

NOTES : DEPOSIT INSURANCE FUND

1. As on the date of the Balance Sheet, in respect of claims paid to depositors, the Corporation is entitled to receive by way of subrogation an amount of Rs. 1405.50 lakhs (previous year 232.31 lakhs). The recovery against the same will be accounted for, as per Corporation's past practice, in the year it is received.
2. Previous year's figures have been regrouped wherever considered necessary.

CREDIT GUARANTEE FUND

3. Investment Reserve amounting to Rs. 4095.22 lakhs, being the difference between the book value and market value of certain securities, is in excess to the extent of Rs. 16.43 lakhs.
4. Amount recoverable on account of Government of India Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (old) as on 31 December, 1986, is subject to confirmation by Department of Industrial Development, Government of India.

सी.एन.एस. शास्त्री
निदेशक

C.N.S. SHASTRI
DIRECTOR

सी.एस. कल्याणसुंदरम्
निदेशक

C.S. KALYANASUNDARAM
DIRECTOR

एस.एस. नाडकर्णी
निदेशक

S.S. NADKARNI
DIRECTOR

के.डी. नायर
निदेशक

K.D. NAYAR
DIRECTOR

एच.के. सामल
निदेशक

H.K. SAMAL
DIRECTOR

पी. कृष्णमूर्ति
उप महाप्रबंधक

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

पी.के. नंदी
मुख्य लेखाकार

P.K. NANDI
CHIEF ACCOUNTANT

निक्षेप बीमा और
DEPOSIT INSURANCE AND
फार्म-
(FORM

31 दिसंबर 1986 को समाप्त हुए वर्ष
Revenue Account for the year

I जमा बीमा निधि
1. DEPOSIT INSURANCE FUND

पिछले वर्ष Previous Year		व्यय EXPENDITURE	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
3.00	8,154.55	दावे: To Claims: (क) वर्ष के दौरान प्रदत्त दावे (a) Paid during the year	1,185.63		10,868.86	
4.85	95.65	(ख) स्वीकृत परंतु अदा न किए गये दावे (b) Admitted but not paid	—		95.04	
		जोड़िए: उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी इस वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है परंतु जो स्वीकृत नहीं हुए हैं				
		Add: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the year		4,000.00		17,279.35
1,270.00	16,816.11					
1,277.85	25,066.31	घटाइए: उन दावों के संबंध में अनुमानित देयता जिनकी पिछले वर्ष के अंत तक निगम को सूचना दी जा चुकी है, परंतु जो अभी तक स्वीकृत नहीं हुए हैं	5,185.63		28,243.25	
		Less: Estimated liability in respect of claims intimated but not admitted at the end of the previous year		1,270.00		16,816.11
—	12,944.58	शुद्ध दावे Net Claims				
1,277.85	12,121.73	आगे ले जाया गया Carried over		3,915.63		11,427.14

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

"आ"

B)

के लिए आय-व्यय लेखा

ended the 31st December, 1983

और ऋण गारंटी निधि

AND CREDIT GUARANTEE FUND

पिछले वर्ष Previous Year		आय INCOME	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
3,387.01	—	(जमा बीमा प्रीमियम : अतिदेय प्रीमियम पर ब्याज सहित) By Deposit Insurance Premia (including interest on overdue premium)	4,299.98	—		
—	10,565.88	(गारंटी शुल्क अतिदेय गारंटी शुल्क पर ब्याज सहित) By Guarantee Fee (including interest on over- due guarantee fees)	—		12,724.94	
1.15	673.29	जमा बीमा संबंधी दावों के निपटान/प्रदत्त गारंटी दावों से संबंधित वसूलियां By Recoveries in respect of Deposit Insurance claims settled/guarantee claims paid	8.05		1,326.88	
2,471.39	2,354.56	निवेशों से प्राप्त आय By Income from Investments	3,155.68		3,617.17	
5,859.55	14,193.73	आगे ले जाया गया Carried over	7,463.71		17,688.99	

REVENUE ACCOUNT - DEPOSIT INSURANCE FUND

पिछले वर्ष Previous Year		व्यय EXPENDITURE	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Crédit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Crédit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
1,277.85	12,121.73	आगे लाया गया Brought forward	3,915.63		11,427.14	
1,625.19	1,341.59	निवेश प्रारंभित निधि में जमा किये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास के लिए व्यवस्था To Provision for depreciation in the value of investments credited to Investment Reserve		12.12		—
2,956.51	730.41	निधि में अंतरित कुल उपचय To net accretion transferred to the Fund		3,535.96		6,241.85
<u>5,859.55</u>	<u>14,193.73</u>	जोड़ TOTAL	<u>7,463.71</u>		<u>17,668.99</u>	

और ऋण गारंटी निधि (जारी)

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Contd.)

पिछले वर्ष Previous Year		आय INCOME	जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund		ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund	
जमा बीमा निधि Deposit Insurance Fund	ऋण गारंटी निधि Credit Guarantee Fund		लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
5,859.55	14,193.73	आगे लाया गया Brought forward	7,463.71		17,668.99	
<u>5,859.55</u>	<u>14,193.73</u>	जोड़ TOTAL	<u>7,463.71</u>		<u>17,668.99</u>	

REVENUE ACCOUNT - DEPOSIT INSURANCE FUND

- टिप्पणियां: 1. जो दावे सूचित किये जा चुके हैं परंतु स्वीकृत नहीं हुए हैं, उनके संबंध में ऋण गारंटी निधि से संबंधित अनुमानित देयता का हिसाब लगाते समय ऐसे दावों में से सामान्यतः अस्वीकार किये जानेवाले/वापस लिये जानेवाले दावों के संबंध में छोटे उधारकर्ताओं के मामले में ऐसे दावों की राशि में से 2.89 प्रतिशत जितनी राशि तथा लघु उद्योगों की इकाइयों के मामले में 16.61 प्रतिशत जितनी राशि (पिछले वर्ष अनुक्रम में 2.89 प्रतिशत और 16.47 प्रतिशत) घटा दी गयी है।
2. जिफ मामलों में ऋण संस्थाओं से गारंटी अग्रिमों के विवरण प्राप्त नहीं हुए थे उनसे गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ भुगतानों को आय-व्यय में हिसाब में लिया गया है।
3. लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 के संबंध में जहां गारंटी शुल्क प्राप्त नहीं हुआ अथवा गारंटी शुल्क के रूप में प्राप्त तदर्थ राशियां जहां अपर्याप्त समझी गयी हैं वहां अपेक्षित अधिक राशि के लिए व्यवस्था नहीं की गयी है।
4. प्रत्येक छमाही के शुरू में प्राप्त होनेवाले अतिदेय जमा बीमा प्रीमियम/ऋण गारंटी शुल्क के ब्याज को बैंकों/ऋण संस्थाओं से बीमाकृत जमा राशियों/गारंटीकृत अग्रिमों से संबंधित विवरण तथा प्रीमियम/शुल्क की वास्तविक प्राप्ति होने पर ही हिसाब में लिया जाता है।
5. पहले की प्रथा के अनुसार, निवेश के मुल्यहास की व्यवस्था करते समय कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाज़ार मूल्य में हुई वृद्धि को हिसाब में नहीं लिया गया है।
6. ऋण गारंटी निधि के अंतर्गत निपटाये गए दावों पर प्रत्यासीन अधिकारों के कारण की गई वसूली जिसका अनुमान नहीं किया जाता, निगम की पहले की प्रथा के अनुसार उसका हिसाब, वर्ष में जब वह प्राप्त हुआ है, लगाया जायेगा।
7. मीरज स्टेट बैंक लिमिटेड और हिन्दुस्थान कमर्शियल बैंक लिमिटेड क्रमशः यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक के साथ समामेलन होने के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले दावों यदि कोई हों तो, के लिए कोई व्यवस्था नहीं की गयी है क्योंकि एंसे दावों की राशियों, यदि कोई हो तो, के संबंध में यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और पंजाब नेशनल बैंक ने निगम को कोई सूचना नहीं दी है।
8. निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम 1961 की धारा 2 के उपधारा (छ) में प्रावधान (III) को अंतर्भूत कर भारत सरकार ने, निगम को किसी भी निक्षेप को निक्षेप बीमा परिधि से छूट देने का अधिकार प्रदान किया है। इस प्रकार, निगम ने राज्य सहकारी बैंकों के पास रखे राज्य भूमि विकास बैंकों के निक्षेप को। मई 1986 से "निक्षेप" की परिभाषा में शामिल नहीं किया। परिणामस्वरूप, उक्त निक्षेप के संबंध में। मई 1986 से 31 दिसम्बर 1986 के लिए जो शुल्क प्राप्त हुआ है वह अब तक वापस नहीं किया गया है क्योंकि वापसी राशि अबतक निश्चित नहीं हुई है।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

ए.जे. शाह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार
A.J. SHAH & CO.
Chartered Accountants.

बंबई, दिनांक 21 मार्च 1987
Bombay
dated the 21st March 1987.

पी.डी. ओझा
अध्यक्ष

P.D.OJHA
CHAIRMAN

यू.के. शर्मा
निदेशक

U.K. SARMA
DIRECTOR

ए.के. अग्रवाल
निदेशक

A.K. AGARWAL
DIRECTOR

पी.ए. नायर
निदेशक

P.A. NAIR
DIRECTOR

आई.टी. वाज़
महाप्रबंधक

I.T. VAZ
GENERAL MANAGER

एम.एल. सेठ
उप महाप्रबंधक

M.L. SETH
DY. GENERAL MANAGER

AND CREDIT GUARANTEE FUND (Concl.)

- NOTES:**
1. Estimated liability for claims intimated but not admitted pertaining to Credit Guarantee Fund is arrived at after deducting from such claims in respect of Small Loans (Small borrowers) Guarantee Scheme, 1971, a sum equal to 2.89% and in respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, a sum equal to 11.61% (previous year 2.89% and 16.47% respectively) on account of usual rejections/withdrawals.
 2. In cases where statement of guaranteed advances were not received from the credit institutions, the ad hoc payments received from them towards guarantee fee have been taken to the Revenue Account.
 3. In respect of Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981, provision has not been made either in respect of non-receipt of guarantee fee or in respect of ad hoc receipt of guarantee fee where the latter is considered inadequate.
 4. Interest on overdue deposit insurance premium/credit guarantee fee receivable at the beginning of every half year is accounted for only on the actual receipt of the premium/guarantee fee and the corresponding details of Insured deposits/guaranteed advances from the banks/credit institutions.
 5. As per past practice, provision for depreciation on investments is arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities.
 6. The recovery on account of subrogation rights on settlement of claims under Credit Guarantee Fund, which cannot be estimated, will be accounted for, as per the Corporation's past practice, in the year, it is received.
 7. Provision has not been made in respect of claims, arising out of the amalgamation of Miraj State Bank Ltd., and Hindustan Commercial Bank Ltd. with Union Bank of India and Punjab National Bank respectively as the amount of such claims, has not been intimated to the Corporation by the latter banks.
 8. Government of India has empowered the Corporation to exempt any deposit from the purview of Deposit Insurance, by inserting clause (iii) in sub-section (g) of Section 2 of Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961. In view of this, the Corporation has excluded the deposits of State Land Development Bank held by State Co-operative Banks from the term 'Deposits' with effect from 1st May 1986. Consequently, the premium received in respect of the above deposits for the period 1st May 1986 to 31st December 1986 remains to be refunded as the amount is not determined.

सी.एन.एस. शास्त्री निदेशक	सी.एस. कल्याणसुंदरम् निदेशक	एस.एस. नाडकर्णी निदेशक	के.डी. नायर निदेशक	एच.के. सामल निदेशक
C.N.S. SHASTRI DIRECTOR	C.S. KALYANASUNDARAM DIRECTOR	S.S. NADKARNI DIRECTOR	K.D. NAYAR DIRECTOR	H.K.SAMAL DIRECTOR
	पी. कृष्णमूर्ति उप महाप्रबंधक		पी.के. नंदी मुख्य लेखाकार	
	P. KRISHNAMURTHY DY. GENERAL MANAGER		P.K. NANDI CHIEF ACCOUNTANT	

निक्षेप बीमा और
DEPOSIT INSURANCE AND
 (निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम
(Established under the Deposit Insurance
 विनियम 18-
Regulation 18
 31 दिसंबर 1986 को कारोबार समाप्त
Balance Sheet as at the close of
 II - सामान्य
II - GENERAL

पिछले वर्ष (लाख रुपये) Previous Year (Rs. in lakhs)	देयताएं LIABILITIES	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
	1. पूंजी CAPITAL :			
	निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 4 के अधीन भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा दी गयी Provided by the Reserve Bank of India under Section 4 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961			5,000.00
5,000.00				
	2. प्रारक्षित निधियाँ RESERVES :			
	सामान्य प्रारक्षित निधि General Reserve :			
	वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year	1,228.24		
935.28				
	जोड़िए: आय व्यय लेखे से अंतरित शेष Add:			
	292.96 Surplus transferred from the Revenue Account	457.23		
<u>1,228.24</u>	वर्ष के अन्त में शेष Balance at the end of the year		1,685.47	
	निवेश प्रारक्षित निधि Investment Reserve:			
	(See Note 1)			
	वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year	860.88		
476.38				
	जोड़िए: वर्ष के दौरान की गयी व्यवस्था की राशि Add:			
	384.50 Amount provided during the year	—		
<u>860.88</u>	वर्ष के अन्त में शेष Balance at the end of the year		860.88	
	C/O 2,089.12			
<u>5,000.00</u>	आगे ले जाया गया Carried over		<u>2,546.35</u>	<u>5,000.00</u>

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

अधिनियम, 1961 के अधीन स्थापित) -

and Credit Guarantee Corporation Act, 1961)

फार्म "अ"

- Form A

होने के समय का तुलनपत्र

business on the 31st December, 1986

निधि

FUND

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	आस्तियां ASSETS	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
	1. नकदी : CASH		
0.14	(i) हाथ में In hand	0.13	
20.01	(ii) भारतीय रिज़र्व बैंक के पास ii) With the Reserve Bank of India	1.75	1.88
<u>20.15</u>			
	2. केन्द्रीय सरकार की प्रतिभूतियों में निवेश (लागत पर) INVESTMENTS IN CENTRAL GOVERNMENT SECURITIES (AT COST)		7,580.90
6,990.23	लाख रुपये Rs. in lakhs		
	(अंकित मूल्य : (Face Value	7639.75)	
	(बाजार मूल्य : (Market Value	6753.52)	
	3. निवेशों पर प्रोद्भूत ब्याज INTEREST ACCRUED ON INVESTMENTS		89.01
79.30			
<u>7,089.68</u>	आगे ले जाया गया Carried over		<u>7,671.79</u>

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	देयताएं LIABILITIES	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
5,000.00 B/F 2,089.12	आगे लाया गया Brought forward पूंजी प्रारक्षित: Capital Reserve: वर्ष के आरंभ में शेष Balance at the beginning of the year जोड़िए: छोटे कम्प्यूटर के स्थानांतरण की गयी व्यवस्था की राशि Add: Amount provided on transfer of mini computer वर्ष के अंत में शेष Balance at the end of the year	—	B/F 2,546.35 — 22.51	5,000.00 — — 22.51
2,089.12				2,568.86
	3. चालू देयताएं और व्यवस्था CURRENT LIABILITIES AND PROVISIONS:			
	अन्य देयताएं Other Liabilities:			
59.47	अदत्त व्यय Outstanding Expenses		162.20	
4.10	फुटकर लेनदार Sundry Creditors		0.59	
63.57				162.79
<u>7,152.69</u>	TOTAL			<u>7,731.65</u>

सामान्य निधि (जारी)

GENERAL FUND (Contd.)

पिछले वर्ष लाख रुपये Previous Year (Rs. in lakhs)	आस्तियां ASSETS	लाख रुपये Rs. in lakhs	लाख रुपये Rs. in lakhs
7.089.68	आगे लाया गया Brought forward		7.671.79
	4. अन्य आस्तियां OTHER ASSETS:		
5.06	मूल्यहास घटाकर फर्नीचर, जुड़नार और उपकरण Furniture, fixtures and Equipment Less Depreciation (See Note 2)	24.34	
1.19	लेखन-सामग्री का स्टॉक Stock of Stationery	1.49	
1.38	पूर्वदत्त व्यय Prepaid Expenses	1.37	
<u>55.38</u>	व्ययों के लिए अग्रिम, भारतीय रिजर्व बैंक आदि से वसूली योग्य स्टाफ को दिये गये भत्ते तथा अन्य जमा राशियाँ Advances for expenses, Staff Allowances recoverable from Reserve Bank of India etc. and other deposits	<u>32.66</u>	
63.01			59.86
<u>7.152.69</u>	जोड़ TOTAL		<u>7.731.65</u>

- टिप्पणी सं. 1. पहले की प्रथा के अनुसार कतिपक प्रतिभूतियों के बही मूल्य की तुलना में उनके बाज़ार मूल्य में वृद्धि को हिसाब में न लेते हुए निवेश के मूल्यहास की व्यवस्था आती हैं। निवेश प्रारक्षित की राशि 860.88 लाख रुपये तक बनती हैं। कतिपय प्रतिभूतियों के बही मूल्य और बाज़ार मूल्य के बीच अंतर की वजह 28:81 लाख रुपये की मात्रा तक राशि अधिकतम हैं।
2. 22.51 लाख रुपये तक सही छोटे कम्प्यूटर प्रणाली की समुचित लागत और उसके बुनियादी व्यवस्थाओं को समाविष्ट फर्निचर, फिक्स्चर तथा अन्य उपस्करों को भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा की गई अंतरण व्यवस्था निगम के लिए की जानेवाली सामान्य सहायता के रूप में हैं।
3. पिछले वर्ष के आंकड़े आवश्यक रूप से पुनवर्गीकृत किये गये हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।

As per our report of even date attached.

ए.जे. शाह एण्ड कं.

सनदी लेखाकार

A.J. SHAH & CO.

Chartered Accountants.

बंबई, दिनांक 21 मार्च 1987

Bombay

dated the 21st March 1987.

पी.डी. ओझा
अध्यक्ष

P.D.OJHA
CHAIRMAN

यू.के. शर्मा
निदेशक

U.K. SARMA
DIRECTOR

ए.के. अग्रवाल
निदेशक

A.K. AGARWAL
DIRECTOR

पी.ए. नायर
निदेशक

P.A. NAIR
DIRECTOR

आई.टी. वाज़
महाप्रबंधक

I.T. VAZ
GENERAL MANAGER

एम.एल. सेठ
उप महाप्रबंधक

M.L. SETH
DY. GENERAL MANAGER

सामान्य निधि (समाप्त)

GENERAL FUND (Concl'd.)

Notes :

- 1) As per past practice, provision for depreciation on investments in arrived at without taking into account the appreciation in the market value over book value of certain securities. Investment reserve amounting to Rs. 860.88 lakhs, being the difference between the book value and market value of certain securities, is in excess to the extent of Rs. 28.81 lakhs.
- 2) Furniture, fixture and other equioment includes an amount of Rs. 22.51 lakhs being the aggregate value of a mini computer system and its infrastructure transferred by Reserve Bank of India as a part of general assistance to the Corporation.
- 3) Previous year's figures have been regrouped wherever considered necessary.

सी.एन.एस. शास्त्री
निदेशक

C.N.S. SHASTRI
DIRECTOR

सी.एस. कल्याणसुंदरम्
निदेशक

C.S. KALYANASUNDARAM
DIRECTOR

एस.एस. नाडकर्णी
निदेशक

S.S. NADKARNI
DIRECTOR

के.डी. नायर
निदेशक

K.D. NAYAR
DIRECTOR

एच.के. सामल
निदेशक

H.K.SAMAL
DIRECTOR

पी. कृष्णमूर्ति
उप महाप्रबंधक

P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

पी.के. नंदी
मुख्य लेखाकार

P.K. NANDI
CHIEF ACCOUNTANT

निक्षेप बीमा और
DEPOSIT INSURANCE AND
(फार्म—
(FORM—

31 दिसंबर 1986 को समाप्त हुए
Revenue Account for the year

II—सामान्य
II - GENERAL

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	व्यय EXPENDITURE	लाख रुपये Rs. in lakhs
190.60	वेतन और भत्ते तथा कर्मचारी भविष्य निधि में अंशदान To Salaries and Allowances and Contributions to Staff Provident Fund	351.29
11.29	कर्मचारी उपदान निधि में अंशदान To Contributions to Staff Gratuity Fund	9.45
0.02	निदेशकों और समिति के सदस्यों का शुल्क To Directors' and Committee Members' Fees	0.03
0.24	निदेशकों और समिति के सदस्यों के यात्रा तथा अन्य भत्ते To Directors' and Committee Members' Travelling and other Allowances	0.17
19.72	किराया, कर, बीमा, प्रकाश व्यवस्था आदि To Rent, Taxes, Insurance, Lighting etc.	28.35
2.09	स्थापना-यात्रा और विराम भत्ते To Establishment-Travelling and Halting Allowances	3.43
5.81	मुद्रण और लेखन सामग्री To Printing and Stationery	7.14
2.77	डाक, तार और टेलीफोन To Postage, Telegrams and Telephones	2.70
0.35	लेखा परीक्षकों का शुल्क To Auditors' Fees	0.35
0.52	विधि प्रचार To Legal Charges	0.79
14.48	विविध व्यय To Miscellaneous Expenses	16.15
0.72	मूल्यहास To Depreciation	5.12
0.02	जड़ वस्तुओं की बिक्री से घाटा To loss on sale of Dead Stock Articles	0.01
<u>248.63</u>	आगे ले जाया गया Carried over	<u>424.98</u>

प्रत्यय गारंटी निगम

CREDIT GUARANTEE CORPORATION

'आ)

'B'

वर्ष के लिए आय-व्यय लेखा

ended the 31st December 1986

निधि

FUND

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	आय INCOME	लाख रुपये Rs. in lakhs
625.85	निवेशों से प्राप्त आय By Income from Investments	707.00
300.24	लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन अदा किये गये दावों के लेखों में से प्राप्त वसूलियाँ (टिप्पणी सं. 1 देखें) By Recoveries in Claims Paid Accounts in Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (Old) (See Note. 1)	175.03
0.04	विविध प्राप्तियाँ By Miscellaneous Receipts	0.18
<hr/> 926.09	आगे ले जाया गया Carried over	<hr/> 822.21

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	व्यय EXPENDITURE	लाख रुपये Rs. in lakhs
248.63	आगे लाया गया Brought forward	424.98
384.50	निवेश प्रारक्षित निधि में जमा किये गये निवेशों के मूल्य में मूल्यहास की व्यवस्था To Provision for depreciation in value of investments credited to Investment Reserve	—
292.96	सामान्य प्रारक्षित निधि में अंतरित व्यय की तुलना में अधिक आय की शेष राशि To Balance being excess of income over expenditure transferred to General Reserve	457.23
<u>926.09</u>	जोड़ TOTAL	<u>882.21</u>

- टिप्पणी:
1. भारत सरकार द्वारा निगम को लघु उद्योगों के लिए भारत सरकार की ऋण गारंटी योजना (पुरानी) के अधीन 31 मार्च 1986 तक प्राप्त/प्राप्त्या वसूलियां धारित करने की अनुमति देने का निर्णय लिये जाने के फलस्वरूप वर्ष 1986 के दौरान प्राप्त 175.03 लाख रुपये की राशि को निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम, 1961 की धारा 24 के अधीन सामान्य निधि के आय व्यय लेखे में अंतरित किया है।
 2. भारतीय रिज़र्व बैंक के पास जानकारी उपलब्ध न होने पर कलकत्ता शाखा के संबंध में कुछ व्यय की ओर प्रावधान नहीं कर पायें।
 3. वेतन, भत्ते, कर्मचारी भविष्य निधि और उपदान निधि में अंशदान पर किया गया व्यय भारतीय रिज़र्व बैंक के स्टाफ के संबंध में है जो निगम की सेवा में कार्यरत हैं।

इसी तारीख की हमारी संलग्न रिपोर्ट के अनुसार।
As per our report of even date attached.

ए.ज. शाह एण्ड कं.
सनदी लेखाकार
A.J. SHAH & CO.
Chartered Accountants,
बंबई, दिनांक 21 मार्च 1987
Bombay
dated the 21st March 1987.

पी.डी. ओझा
अध्यक्ष
P.D.OJHA
CHAIRMAN

यू.के. शर्मा
निदेशक
U.K. SARMA
DIRECTOR

ए.के. अग्रवाल
निदेशक
A.K. AGARWAL
DIRECTOR

पी.ए. नायर
निदेशक
P.A. NAIR
DIRECTOR

एच.के. सामल
निदेशक
H.K.SAMAL
DIRECTOR

आई.टी. वाज़
महाप्रबंधक
I.T. VAZ
GENERAL MANAGER

सामान्य निधि (समाप्त)
GENERAL FUND (Concl'd.)

पिछले वर्ष Previous Year लाख रुपये Rs. in lakhs	आय INCOME	लाख रुपये Rs. in lakhs
926.09	आगे लाया गया Brought forward	882.21
<u>926.09</u>	जोड़ TOTAL	<u>882.21</u>

- Notes : 1) Consequent on Government of India's decision permitting the Corporation to retain recoveries in respect of claims paid accounts under Government of India's Credit Guarantee Scheme for Small Scale Industries (O Id), received to be received upto 31 March, 1986, the amount of Rs. 175.03 lakhs received during the year 1986 has been accounted for in the Revenue Account of General Fund, under Section 24 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act, 1961.
- : 2) Due to non availability of information from the Reserve Bank of India, provision towards certain expenses in respect of Calcutta Branch could not be made.
- : 3) Expenditure incurred on salaries, allowances, contribution to Staff Provident Fund and Gratuity Fund are in respect of the Staff of Reserve Bank of India who have been placed on duty with the Corporation.

सी.एन.एस. शास्त्री
निदेशक
C.N.S. SHASTRI
DIRECTOR

सी.एस. कल्याणसुंदरम्
निदेशक
C.S. KALYANASUNDARAM
DIRECTOR

एस.एस. नाडकर्णी
निदेशक
S.S. NADKARNI
DIRECTOR

के.डी. नायर
निदेशक
K.D. NAYAR
DIRECTOR

एम.एल. सेठ
उप महाप्रबंधक
M.L. SETH
DY. GENERAL MANAGER

पी. कृष्णमूर्ति
उप महाप्रबंधक
P. KRISHNAMURTHY
DY. GENERAL MANAGER

पी.के. नंदी
मुख्य लेखाकार
P.K. NANDI
CHIEF ACCOUNTANT

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

हमने निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम की (i) जमा बीमा निधि और ऋण गारंटी निधि तथा (ii) सामान्य निधि के 31 दिसंबर 1986 तक के संलग्न तुलनपत्रों तथा उपर्युक्त दिनांक को समाप्त हुए वर्ष के लिए ऊपर उल्लिखित तीनों निधियों के आय-व्यय लेखे की भी लेखा परीक्षा कर ली है, तथा हमारी रिपोर्ट निम्नानुसार है:

1. लेखा परीक्षा के प्रयोजन के लिए अपेक्षित सभी स्पष्टीकरण और जानकारी हमें दी गयी है और हमने उन्हें संतोषजनक पाया है:
2. उक्त तुलनपत्र तथा आय-व्यय लेखे निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम सामान्य विनियम, 1961 के विनियम 18 में विहित रीति की अपेक्षानुसार तैयार किये गये है:
3. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार सामान्य निधि तथा ऋण गारंटी निधि के तुलनपत्र पूर्ण और सही हैं और वे सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार से तैयार किये गये हैं कि उनसे उक्त निधियों के कार्य के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।
4. हमारी राय में और जहां तक हमारी जानकारी है और जो स्पष्टीकरण हमें दिये गये हैं उनके अनुसार जमा बीमा निधि का उक्त तुलनपत्र: पिछले वर्ष के कतिपय लेखों के हुए समाधान के प्रभाव के संबंध में दी गयी टिप्पणी सं. 2 के अध्यक्षीन पूर्ण और सही तुलनपत्र है और वह सभी आवश्यक विवरणों को दर्शाते हुए उचित रूप से इस प्रकार तैयार किया गया है कि उससे उक्त निधि के कार्य के संबंध में 31 दिसंबर 1986 तक की स्थिति का सही चित्र प्रस्तुत हो।

ए.जे. शाह एण्ड कंपनी
सनदी लेखाकार

बंबई

दिनांक 21 मार्च 1987

AUDITORS' REPORT

We have audited the attached Balance Sheets of (i) the Deposit Insurance Fund and Credit Guarantee Fund and (ii) the General Fund of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation as at 31st December, 1986 and also the respective Revenue Accounts of each of the said Funds annexed thereto for the year ended on that date and report as under:-

1. We have been given all the explanations and information we had called for and have found the same to be satisfactory.
2. The said Balance Sheets and Revenue Accounts have been prepared and set out in the manner prescribed by Regulation 18 of the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation General Regulations, 1961.
3. In our opinion and to the best of our information and explanations given to us, the Balance Sheets of;

(i) General Fund and Credit Guarantee Fund subject to, notes regarding the excess provision of depreciation on Investments retained in Investment Reserve.

(ii) The Deposit Insurance Fund subject to, note regarding not refunding the excess premium received from State Co-operative Banks.

are full and fair Balance Sheets containing all necessary particulars and are properly drawn up so as to exhibit a true and correct view of the State of affairs of the said Funds as at 31st December, 1986.

A.J. SHAH AND COMPANY
CHARTERED ACCOUNTANTS

BOMBAY

DATE: 21 MARCH 1987

प्रस्तावना

1.1 बैंकों की जमाराशियों का बीमा करने का उद्देश्य यह है कि बैंकों का दिवाला निकलने पर उनके जमाकर्ताओं, विशेषकर छोटे जमाकर्ताओं को उनकी वचनों की राशि की हानि के जोखिम से संरक्षण प्रदान करने का उपाय किया जा सके। इस प्रकार के संरक्षण से जनता के मन में विश्वास पैदा करके बैंकिंग की आदतों को बढ़ाने और बैंकों द्वारा साधनों के जुटाये जाने में सहायता मिलती है और इस प्रकार वह बैंकिंग प्रणाली के विकास में योगदान प्रदान करता है। इसके फलस्वरूप जिन उद्देश्यों को राष्ट्रीय प्राथमिकता दी गई है उनके लिए उक्त साधनों का उपयोग किया जा सकता है। दूठे दशक और सातवें दशक के पूर्ववर्ती भाग में कुछ बैंकों के दिवालिया हो जाने के कारण और उसके फलस्वरूप राशियाँ जमा करने वाले लोगों का बैंकिंग प्रणाली के प्रति फिर से विश्वास अर्जित करने और उनके हितों की रक्षा करने के लिए निक्षेप बीमा निगम की स्थापना की गई थी।

1.2 तत्कालीन भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम, सीमित द्वारा जो ऋण गारंटी योजनायें शुरू की गई थीं वे अब तक उपेक्षा किये गये क्षेत्रों, विशेषकर समाज के कमजोर वर्गों की ऋण संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वाणिज्य बैंकों को प्रोत्साहन देने के उद्देश्य से सातवें दशक के परवर्ती भाग में की गई कार्रवाई की शृंखला के रूप में शुरू की गई थीं। वर्ष 1968 में प्रारंभ किये गये सामाजिक नियंत्रण संबंधी कार्यों और उसके बाद प्रमुख वाणिज्य बैंकों के राष्ट्रीय करण के संदर्भ में बैंकों से यह सुनिश्चित करने की अपेक्षा की गई थी कि वे ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को अधिकाधिक ऋण प्रदान करें जो संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई अनुभव करते हैं। एक ओर जहाँ बैंकों के बीच ऐसे उधारकर्ता को अधिक ऋण प्रदान करने की आवश्यकता के प्रति बढ़ती हुई जागरूकता थी वहाँ दूसरी ओर कुछ व्यावहारिक कठिनाईयाँ भी थीं। ये कठिनाईयाँ मुख्यतः ऋण के नये और अधिक जोखिम वाले क्षेत्रों में पदार्पण करने की हिचकिचाहट और सरलता से वसूल होनेवाली जमानत को छोड़कर अन्य किसी जमानत पर ऋण देने में, विशेषकर आधार भूत स्तर पर, उनकी फिफक के कारण उत्पन्न हुई थीं। इस प्रकार भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम की कल्पना एक ऐसी एजेंसी के रूप में की गई थी जो उक्त प्रकार के छोटे और जरूरतमंद उधारकर्ताओं को ऋण संस्थाओं द्वारा प्रदान किये गये ऋणों के लिए सरल परंतु व्यापक श्रेणी वाली गारंटियों की प्रणाली की व्यवस्था कर सके।

1.3 उपर्युक्त दोहरे और मिलते-जुलते कार्यों का एकीकरण

Introduction

1.1 Insurance of bank deposits is intended to give a measure of protection to depositors, particularly the smaller depositors, from the risk of loss of their savings arising from bank failures. Such protection by infusing confidence in the minds of the public contributes to the growth of the banking system by assisting in development of banking habits and mobilisation of resources by the banks which in turn can be utilised for purposes accorded national priority. Establishment of the Deposit Insurance Corporation came in the wake of certain bank failures in the fifties and early sixties and consequent efforts to restore the confidence of the depositing public in the banking system by safeguarding their interests.

1.2 The introduction of credit guarantee schemes by the erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was part of a series of measures taken since the late sixties aimed at encouraging the commercial banks to cater to the credit requirements of the hitherto neglected sectors, particularly weaker sections of society. In the wake of the social control measures initiated in 1968 followed by nationalisation of major commercial banks, the banks were required to ensure an increased flow of credit to smaller borrowers who found it difficult to have access to institutional credit. While there was an increasing awareness among banks of the need to provide more credit to such borrowers, certain practical difficulties, largely stemming from hesitation on the part of credit institutions to venture into new and riskier fields of lending as also their inhibition, particularly at the grassroot level, to lend except against easily realisable security, were encountered. The Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was thus visualised as an agency to provide a simple but wide-ranging system of guarantees for loans granted by credit institutions to such small and needy borrowers.

1.3 With a view to integrating the above twin and cognate functions, the two organisations were

करने की दृष्टि से जुलाई 1978 में दोनों संगठनों निक्षेप दिया गया तथा निगम को जमा निक्षेप और प्रत्यय गारंटी निगम का नया नाम दिया गया।

निक्षेप बीमा योजना

संस्थागत व्याप्ति

2. निक्षेप बीमा योजना 1 जनवरी 1962 से शुरू की गई थी। यह योजना (क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित) सभी वाणिज्य बैंकों की भारत में प्राप्त जमा राशियों के लिए स्वयमेव (आटोमेटिक) सुरक्षा प्रदान करती है। निक्षेप बीमा और प्रत्यय गारंटी निगम अधिनियम का 1968 में संशोधन किये जाने के फलस्वरूप ऐसे राज्यों के सहकारी बैंकों का जमाराशियों के लिए भी इसी प्रकार की सुरक्षा प्रदान की गई है जिन्होंने अपने स्थानीय सहकारी समितियाँ अधिनियमों में संशोधन करने के लिए उन्हें समर्थ बनानेवाले विधान पारित कर लिये हैं। इसके अंतर्गत आनेवाले भौगोलिक क्षेत्र के अनुसार निक्षेप बीमा का लाभ अब संपूर्ण बैंकिंग प्रणाली को प्राप्त हो रहा है तथा उसके अंतर्गत उन राज्यों के केवल 69 सहकारी बैंक नहीं आते जिन्हें अभी भी आवश्यक विधान पारित करना है।

बीमा सुरक्षा की मात्रा

3. इस योजना के अधीन किसी बीमाकृत बैंक का परिसमापन, पुनर्गठन, अथवा समामेलन होने की स्थिति में उस बैंक के प्रत्येक जमाकर्ता 30,000/- रुपयों की अधिकतम मुद्रा-सीमा के अधीन संबंधित बैंक की सभी शाखाओं में एक ही हैसियत और अधिकार से उसके द्वारा धारित जमाराशियों की अदायगी प्राप्त करने का हकदार है।

बीमा किस्त

4. बैंकों को जो बीमा सुरक्षा प्रदान की जाती है वह प्रति सौ रुपये के लिए 4 पैसे वार्षिक की दर अदा की जानेवाली बीमा किस्त के प्रतिफल में की जाती है। यह किस्त छमाही अंतरावधियों में वसूल की जाती है। बैंकों से यह अपेक्षा की जाती है कि इस फीस को वहन करें ताकि जमाकर्ताओं को बीमा का संरक्षण मुफ्त में ही उपलब्ध हो सके।

बीमा के दावों की अदायगी

5.1 जब किसी बैंक का परिसमापन हो जाता है तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को परिसमापक के माध्यम से 30,000/- रुपयों तक की जमाराशियों की अदायगी करता है। जब किसी बैंक का दूसरे बैंक में समामेलन कर दिया जाता है और समामेलन की योजना में जमाकर्ता को यह अधिकार नहीं मिलता कि वह अपनी जमाराशियों का पूरा पैसा जमा करा सके

merged in July 1978 and the Corporation was re-named as the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation.

Deposit Insurance Scheme

Institutional Coverage

2. The deposit insurance scheme was introduced with effect from 1 January 1962. The Scheme provides automatic coverage for deposits of all commercial banks (including regional rural banks) received in India. Following an amendment to the Deposit Insurance and Credit Guarantee Corporation Act in 1968, similar coverage is also extended in respect of deposits with co-operative banks in such of the States as have passed the enabling legislation amending their local Co-operative Societies Acts. In terms of geographical coverage, the benefit of deposit insurance now stands extended to the entire banking system leaving uncovered only 69 co-operative banks in such of the States as have yet to pass the necessary legislation.

Extent of Insurance Cover

3. Under the Scheme, in the event of liquidation, reconstruction or amalgamation of an insured bank, every depositor of that bank is entitled to repayment of his deposits in all branches of that bank, held by him in the same capacity and right, subject to a monetary ceiling of Rs. 30,000/-.

Insurance Premium

4. The consideration for extension of insurance coverage to banks is payment of an insurance premium at the rate of 4 paise per annum per hundred rupees. The premium is collected at half yearly intervals. The banks are required to bear this fee so that the protection of insurance is available to the depositors free of cost.

Payment of insurance claims

5.1 When a bank goes into liquidation, the Corporation pays to every depositor, through the liquidator, the amount of deposits upto Rs. 30,000/-. When a bank is amalgamated with another bank and the scheme of amalgamation does not entitle the depositor to get credit for the

तब निगम प्रत्येक जमाकर्ता को उसका पूरी जमाराशि तथा सम्मेलन की योजना के अधीन उसके द्वारा वास्तव में प्राप्त की गई राशि के बीच (अथवा 30,000/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक) के अंतर की अदायगी करता है।

5.2 किसी दावे का निपटान करने के बाद परिसमापक/हस्तांतरिता बैंक से यह अपेक्षा की जाती है कि वह इस प्रकार के अधिकार ग्रहण कर लेने के फलस्वरूप उसके द्वारा परिसमापन/सम्मेलन किये जोनवाले बीमाकृत बैंक की आस्तियों में से की गई वसूलियों की अदायगी निगम को करे।

ऋण गारंटी योजनायें

गारंटी सहायता प्रदान करना

6.1 तत्कालीन भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम सीमित गैर औद्योगिक क्षेत्र को दिये गये अग्रिमों से संबंधित तीन ऋण गारंटी योजनायें चला रहा था और उस उपक्रम के जुलाई 1978 में निक्षेप बीमा निगम को अंतरित किये जाने के फलस्वरूप निक्षेप बीमा निगम ने ऋण गारंटी के उनके कार्यों को भी अपने हाथ में ले लिया। भारतीय प्रत्यय गारंटी निगम सीमित द्वारा जो तीन ऋण गारंटी योजनायें तैयार की गई थीं और जो निगम द्वारा जारी रखी गई हैं उनका उद्देश्य है कि वित्तीय संस्थाओं को इसके लिए आवश्यक प्रोत्साहन पदान किया जाये कि वे (किसानों सहित) गैर औद्योगिक कार्यकलापों लगे छोटे उधारकर्ताओं को उनकी आवश्यकता पर आधारित ऋण प्रदान कर सकें।

6.2 भारत सरकार द्वारा लघु उद्योगों के लिए प्रायोजित और तैयार की गई जो ऋण गारंटी योजना प्रत्यय गारंटी योजना (भारतीय रिज़र्व बैंक) जुलाई 1960 से चल रही है। सरकार द्वारा 1979 में गठित कार्यकारी दल की सिफारिशों के अनुसार में यह निर्णय किया गया था कि सभी ऋण गारंटी योजनाओं को एक ही संगठन के अधीन एकीकृत कर दिया जाए और तदनुसार मार्च 1981 में इस योजना को भारत सरकार द्वारा रद्द कर दिया गया और उसके बदले में 1 अप्रैल 1981 एक ऐसी नई योजना शुरू की गई जिसके अंतर्गत वाणिज्य बैंकों और अन्य वित्तीय संस्थाओं द्वारा लघु उद्योगों को दिये गये अग्रिम आते हैं। निगम को यह जिम्मेदारी भी सौंपी गई कि वह सरकार के एजेंट के रूप में रद्द की गई योजना के फलस्वरूप और उसके अधीन रद्द किये जाने की तारीख तक प्रोद भूत होनेवाली देनदारियों की अदायगी करे। लघु उद्योग से संबंधित

full amount of his deposit, the Corporation pays to each depositor the difference between the full amount of his deposit (or Rs. 30,000/- whichever is less) and the amount actually received by him under the scheme of amalgamation.

5.2 After settling a claim, the liquidator/transferee bank is required to repay to the Corporation, by virtue of such rights of subrogation, recoveries effected by it from out of the assets of the insured bank in liquidation/amalgamation.

Credit Guarantee Schemes —

Extension of Guarantee Support

6.1 The erstwhile Credit Guarantee Corporation of India Ltd. was operating three credit guarantee schemes pertaining to advances to the non-industrial sector and with the transfer of this undertaking to the Deposit Insurance Corporation in July 1978, the Deposit Insurance Corporation took over those credit guarantee functions also. The three credit guarantee schemes which were formulated by the Credit Guarantee Corporation of India Ltd., and are continued by the Corporation are intended to provide the necessary incentive to financial institutions for extending need based credit to small borrowers (including farmers) engaged in non-industrial activities.

6.2 A credit guarantee scheme for small-scale industries sponsored and formulated by the Government of India and administered by the Credit Guarantee Organisation (Reserve Bank of India) had been in operation since July 1960. In pursuance of the recommendations of a Working Group constituted by the Government in 1979, it was decided to integrate all credit guarantee schemes under one organisation and accordingly this scheme was cancelled by the Government of India in March 1981 and the Corporation, in its place, introduced a new scheme with effect from 1 April 1981 covering advances to small-scale industries by commercial banks and other financial institutions. The Corporation was also entrusted with the responsibility of discharging the obligations arising out of or accruing under the cancelled scheme, upto the date of cancellation, as agent of

ऋण गारंटी कार्यों का एकीकरण किये जाने से निगम प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्रों के अधीन प्रदान किये गये ऋण की भारी मात्रा के लिए गारंटी सहायक (सपोर्ट) प्रदान करता आ रहा है।

6.3 निगम ने कृषि और उससे संबंधित कार्यों—के लिए प्राथमिक स्तर की कतिपय सहकारी ऋण संस्थाओं द्वारा दिये गये ऋण और कृषीतर(नान एग्रीकलचरल) अग्रिमों के लिए छोटे कृषकों को शहरी सहकारी बैंकों द्वारा दिये गये ऋणों के लिए चमनात्मक आधार पर गारंटी सहायता प्रदान की सुविधा प्रदान करने की योजना तैयार की है और यह सुविधा इन बैंकों को प्रदान की है।

उद्देश्य, विवरण और व्याप्ति

7. जो विभिन्न ऋण गारंटी योजनायें चल रही हैं वे नीचे दर्शाई गयी है:

- (i) लघु ऋण, गारंटी योजना 1971.
- (ii) लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971
- (iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971
- (iv) लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981.
- (v) लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियाँ) गारंटी योजना 1982
- (vi) लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984.

7.1 लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 पहली अप्रैल 1971 से अमल में आयी। इस योजना के अंतर्गत कृषकों और काश्तकारों, परिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों छोटे कारोबारी उद्यमियों और व्यावसायिक व्यक्तियों तथा स्वनियोजित व्यक्तियों को वाणिज्य बैंकों और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों द्वारा दी जानेवाली ऋण सुविधाओं को रक्षा प्रदान की जाती है।

7.2 लघु ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971 तारीख 1 जुलाई 1971 को शुरू की गई थी और उसके अंतर्गत बिजली या अन्य ऊर्जा के उत्पादन या वितरण अथवा किसी औद्योगिक वस्ती अथवा परिवहन उपक्रम के विकास में लगे परिवहन चालकों और होटल मालिकों तथा अन्य व्यवसायी उद्यमों को राज्य वित्तीय निगमों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

the government. With the integration of the credit guarantee functions relating to small—scale industries, the Corporation has been providing guarantee support to a substantial amount of credit granted under the priority sectors.

6.3 The Corporation has also formulated and offered the facility of guarantee support on a selective basis to the credit provided by certain co-operative credit institutions at the primary level for agriculture and allied activities and by urban co-operative banks to small borrowers for non-agricultural advances.

Aims, description and coverage

7. The various credit guarantee schemes in operation are as indicated below:

- (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971
- (ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.
- (iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.
- (iv) Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.
- (v) Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982.
- (vi) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984.

7.1 The Small Loans Guarantee Scheme, 1971, which came into force on April 1, 1971, covers credit facilities granted by commercial banks including regional rural banks to farmers and agriculturists, transport operators, retail traders, small business enterprises and professional and self-employed persons.

7.2 The Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971 was introduced on July 1, 1971 and it covers credit facilities granted by State Financial Corporations to transport operators and hoteliers and other business enterprises engaged in generation or distribution of electricity or other power or in the development or management of an industrial estate or a transport undertaking.

7.3 सेवा सहकारी समितियों गारंटी योजना 1971 तारीख 1 अक्टूबर 1971 से लागू है और उसके अंतर्गत अपने सदस्यों को आर्डर दिलाने, कच्चा माल खरीदवाने, तैयार माल का प्रदर्शन और विपणन कराने जैसी सुविधायें प्रदान करने अथवा माल के निर्माण, प्रदर्शन, प्रस्तुतीकरण और अभिसंस्करण तथा ऐसे माल के विपणन से संबंधित इसी प्रकार की कोई अन्य सहायता प्रदान करने में लगी सेवा सहकारी समितियों को जमा बीमा योजना के अंतर्गत आने वाले समस्त अनुसूचित वाणिज्य बैंकों तथा राज्य और मध्यवर्ती सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.4 लघु ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981 पहली अप्रैल 1981 को शुरू की गई थी और उसके अंतर्गत अचल आस्तियों अथवा उपकरण के अर्जन या मरम्मत या उन्हें बदलने तथा उत्पादों की पैदावार और विपणन के लिए कार्यकारी पूंजी की आवश्यकताओं के निमित्त लघु उद्योग के यूनितों को वाणिज्य बैंकों, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों, और राज्य विकास एजेंसियों द्वारा प्रदान की गई ऋण सुविधायें आती हैं।

7.5 लघु ऋण (सहकारी ऋण समितियों) गारंटी योजना, 1982 चुनिंदा प्राथमिक कृषि ऋण समितियों, और प्राथमिक भूमि विकास बैंकों, राज्य भूमि विकास बैंक की शाखाओं द्वारा अपने कृषक/खेतिहर सदस्यों (जिनमें बँटाईदार और भूमिहीन श्रमिक शामिल हैं) को कृषि और उससे संबंधित कार्यों तथा साथ ही 1 जनवरी 1983 या योजना में शामिल होने की तारीख में से जो भी पहले ही उससे खपत और आवास वित्त के लिए दी जानेवाली ऋण सुविधाओं के हेतु गारंटी सुरक्षा प्रदान करती है। इस योजना के अंतर्गत आनेवाले कृषि और उससे संबंधित कार्यों में मौसमी कृषि कार्य, भूमि उद्धार और सुधार, सिंचाई के कुँओं का निर्माण और उन्हें गहरा करना, पंप सेट लगाना, पशुओं की खरीद अथवा अन्य पूंजी गत आस्तियों (उदाहरणार्थ खेत के घरों साय बानों, गोबर गैस संयंत्रों आदि) का अर्जन या इन आस्तियों की मरम्मत, रेशम उद्योग, पशुपालन, मुर्गीपालन, डेरी उद्योग, मछली पालन, आवास का वित्तपोषण, उपभोग - वित्त तथा योजना में स्पष्ट किये गये, अनुसार अन्य सहकारी समितियों आदि के शेषरों के अर्जन के लिए दिये गये अग्रिम शामिल हैं।

7.3 The Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971 is in force from October 1, 1971 and it covers credit facilities granted by all scheduled commercial banks and state and central co-operative banks covered by the Deposit Insurance Scheme to service co-operative societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials, the display and marketing of finished goods or any other similar assistance in connection with the manufacture, display, presentation and processing of goods and marketing of such goods.

7.4 The Small Loans (Small-Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981 was introduced from 1 April 1981 and it covers credit facilities granted by commercial banks, regional rural banks, co-operative banks, state financial corporations and state development agencies to small-scale industrial units for acquisition of or repairs to or replacement of fixed assets or equipment and for working capital requirements for production and marketing of products.

7.5 The Small Loans (Co-operative Credit Societies) Guarantee Scheme, 1982 offers guarantee cover to credit facilities to be granted by select primary agricultural credit societies (PACS) and primary land development banks (PLDBs)/branches of state land development banks (SLDBs), to their farmers/agriculturists members (including share croppers and landless labourers) for agriculture and allied activities, as also for consumption and housing finance, from 1 January 1983 or from the date of joining the Scheme, whichever date is later. The agricultural and allied activities covered by the Scheme include seasonal agricultural operations, reclamation or improvement of land, construction or deepening of irrigation wells, installation of pumpsets, purchase of cattle or acquisition of other capital assets (e.g., farm houses, cattle sheds, gohar gas plants etc.) or repairs to these assets, sericulture, animal husbandry, poultry farming, dairy farming, pisciculture, housing finance, consumption finance and advances for acquisition of shares of other co-operative societies etc., as explained in the Scheme.

7.6 लघु ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984 पहली जुलाई के बाद से छोटे उधारकर्ताओं (उदाहरणार्थ एकल परिवहन चालकों, फुटकर व्यापारियों, कारोबारी उद्यमों और व्यवसायी तथा स्वनियोजित व्यक्तियों) को प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंकों द्वारा प्रदान किये गये कृषीतर अग्रिमों के लिए गारंटी सहायता प्रदान करती है। समस्त लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक और साथ ही जिन गैर लाइसेंसीकृत प्राथमिक (शहरी) सहकारी बैंक रिज़र्व बैंक द्वारा इस योजना के लिए सिफारिश की गई हैं वे 1 जुलाई 1984 से और उसके बाद इस योजना में भाग लेने के पात्र हैं।

7.7 विभिन्न योजनाओं की मुख्य बातें अनुबंध में सारणीबद्ध की गई हैं।

गारंटी शुल्क

8. गारंटी रक्षा प्रदान किये जाने के प्रतिफल के रूप में ऋण संस्थाओं द्वारा गारंटी - शुल्क अदा किया जाता है। इसका हिसाब गारंटी कृत खातों में खड़ी जमा राशियों पर निर्धारित दरों से लगाया जाता है उसकी अग्रिम अदायगी हर छमाही में करनी पड़ती है। गारंटी लागू रखने के लिए इस शुल्क की अदायगी नियमित रूप से करनी पड़ती है। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों को छोड़कर ऋण संस्थाओं द्वारा छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये शुल्क की दर कुल मिलाकर 25,000/- रुपयों तक के अग्रिमों के लिए 0.50 प्रतिशत वार्षिक की रियायती दर सहित 0.75 प्रतिशत वार्षिक है। हाँ, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में उनके विकास की वर्तमान अवस्था और समाज के कमजोर वर्गों की ऋण प्रदान करने के संबंध में उनसे जिस विशेष भूमिकर को अदा करने की अपेक्षा की जाती है उसकी दृष्टि से उनसे 1 जुलाई 1979 अथवा उनके लघु ऋण गारंटी योजना, 1971 में शामिल होने में से जो भी बाद में हो उससे पाँच वर्ष की अधिकतम अवधि के लिए 0.25 प्रतिशत वार्षिक का दर से गारंटी शुल्क वसूल किया जाता है और उक्त तारीख के बाद से उनके लिए यह जरूरी है कि वे संबंधित योजनाओं के अधीन निर्धारित सामान्य दर से शुल्क अदा करें।

गारंटी सुरक्षा:- प्रमुख विशेषतायें

(क) स्वयमेव समग्र सुरक्षा

9.1 निगम की गारंटी योजनाओं में भाग लेना ऐच्छिक है और गारंटी की सुरक्षा केवल उन्ही संस्थाओं को उपलब्ध है जो निगम के साथ आवश्यक करार करके इन योजनाओं में

7.6 The Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee Scheme, 1984 offers from 1 July 1984 onwards, guarantee support to non-agricultural advances granted by primary (urban) co-operative banks to small borrowers (e.g. single transport operators, retail traders, business enterprises and professional and self-employed persons). All licensed primary (urban) co-operative banks, as also unlicensed primary (urban) co-operative banks which are recommended by the Reserve Bank of India for the purpose are eligible to participate in the Scheme from 1 July 1984 onwards.

7.7 The salient features of the various schemes are tabulated in the Annexure.

Guarantee Fee

8. The consideration for extension of the guarantee cover is the payment of guarantee fee by the credit institutions at the stipulated rates calculated on the balances outstanding in the guaranteed accounts and paid half-yearly in advance. The fee is to be paid regularly in order to keep the guarantee in force. The fee rate is 0.75 per cent per annum with a concessional rate of 0.50 per cent per annum in respect of advances upto Rs. 25,000/- in the aggregate to the small borrowers by credit institutions other than regional rural banks. In the case of regional rural banks, however, in view of their present stage of development and the special role they are required to play in regard to extension of credit to the weaker sections of community, the guarantee fee is collected at a concessional rate of 0.25 per cent per annum for a maximum period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the Small Loans Guarantee Scheme, 1971, whichever is later, after which they are required to pay the fee at the normal rate prescribed under the relative Schemes.

Guarantee Cover:- Key characteristics

(a) Automatic bulk coverage

9.1 Participation in the guarantee schemes of the Corporation is voluntary and the guarantee cover is available to those credit institutions which join the schemes by entering into necessary agreements

शामिल होती है तथा निर्धारित दरों पर नियमित रूप से शुल्क अदा करती हैं। ये योजनायें स्वयमेव समग्र सुरक्षा के आधार पर चलाई जाती हैं और उनके अंतर्गत सभी पात्र अग्रिम स्वयमेव ठीक उसी तारीख से सुरक्षित हो जाते हैं जिस तारीख को उनका पहली बार संवितरण किया जाता है और उनके अंतर्गत प्रदान की गई प्रत्येक ऋण सुविधा की सुरक्षा के लिए ऋण संस्थाओं को पूर्व आवेदन करने की आवश्यकता नहीं पड़ती।

(ख) छोटे उधारकर्ताओं तक ही लाभ सीमित

9.2 गारंटी योजनाओं का प्रयोजन ऐसे छोटे उधारकर्ताओं को दिये गये अग्रिमों के लिए सुरक्षा प्रदान करना है जिनके लिए इस प्रकार की सहायता के बिना संस्थागत ऋण प्राप्त करने में कठिनाई हो सकती है। यह सुनिश्चित करने के लिए कि इन योजनाओं के लाभ अधिक समृद्ध व्यक्तियों तक ही केन्द्रित न होने पाये, गारंटी योजनाओं के लिए कई शर्तें-निर्धारित की गई हैं जो इस प्रकार हैं; फुटकर व्यापारियों के मामले में कुल बिक्री की उच्चतम सीमा, कारोबारी उद्यमों के मामले में उपकरणों का मूल्य तथा लघु उद्योग के यूनितों के मामले में संयंत और मशीनों का मूल्य। इसके अलावा निगम की दावा संबंधी देयता की भी संपूर्ण सीमायें निर्धारितकर दी गई हैं।

(ग) लाभ सामान्यतः प्रत्यक्ष उधारों तक ही सीमित

9.3 सामान्य इन योजनाओं के अंतर्गत अंतिम हिताधिकारियों को दिये जानेवाले प्रत्यक्ष व उधारों के लिए ही गारंटी सुविधायें प्रदान की जाती हैं।

गारंटी को लागू करना

10. इसके पहले कि किसी ऋण संस्था द्वारा गारंटी के अधीन कोई दावा किया जाए, उसे तीन शर्तें-पूरी करनी पड़ती हैं। ये शर्तें-इस प्रकार हैं- (i) ऋणकर्ता को पूरी बकाया राशियाँ चुकाने की माँग का नोटिस जिस तारीख को तामील किया गया हो उसके एक महीने के भीतर गारंटी के अंतर्गत आने वाले अग्रिम की अदायगी न की गई हो; (ii) ऋण संस्था द्वारा यह मान लिया गया हो कि अग्रिम वसूली के लिए अशोध्य या संदिग्ध है तथा (iii) ऋण संस्था की बहियों में उसके लिए उसी प्रकार का प्रावधान किया गया हो अथवा उसको उसी प्रकार से हिसाब में लिया गया हो। निगम ऋण संस्थाओं से यह अपेक्षा करना चाहेगा कि वे गारंटी लागू करने (इन्वोक)

with the Corporation and paying the fee regularly at the prescribed rates. The Schemes are operated on an automatic bulk coverage basis under which all eligible advances get automatically covered right from the date of their first disbursement without requiring the credit institutions to make a prior application to the Corporation for covering each credit facility. Therefore, it is not open to participating credit institutions to exclude any eligible credit facility from the purview of guarantee cover.

(b) Benefit confined to small borrowers:

9.2 The guarantee schemes are meant to provide cover for advances granted to small borrowers, who without such support may find it difficult to have access to institutional credit. To ensure that the benefits thereof do not gravitate to more affluent persons, several stipulations have been made in the guarantee schemes, such as ceilings on sales turnover as in the case of retail traders, the value of equipment as in the case of business enterprises, and of plant and machinery in the case of small-scale industrial units. Besides, absolute limits have been placed on the Corporation's claim liability.

(c) Benefit generally confined to direct lendings:

9.3 The Schemes generally provide guarantee facilities to direct lendings to the ultimate beneficiaries.

Invocation of guarantee

10. Three conditions have to be complied with before a claim under the guarantee can be preferred by a credit institution. These are (i) the advance under guarantee has not been repaid within one month from the date on which a notice of demand for repayment of the entire dues has been served on the borrower; (ii) the advance is treated by the credit institution as bad or doubtful of recovery and (iii) it is provided or accounted for as such in the books of the credit institution. The Corporation would expect the credit institutions to take effective steps against the borrowers, sureties

से पहले उधारकर्ताओं, जामिनों के विरुद्ध और जहाँ कहीं जमानतों से वसूली की जा सकती हो वहाँ उसके लिए कारगर कार्रवाई करें।

निगम योजनाओं में पात्र कार्य—की विभिन्न श्रेणियों के लिए निर्धारित कतिपय निरपेक्ष सीमाओं के अधीन, यथास्थित, "चूक की राशि" का 50% या 60% (अथवा 28 फरवरी 1983/31 दिसंबर 1984 तक प्रदान की गई कतिपय ऋण सुविधाओं के मामले में 66%, 75% या 90%) अदा करता है। अधिक छोटे उधारकर्ताओं को निगम द्वारा अपेक्षाकृत अधिक सुरक्षा प्रदान की जाती है। दावों की अदायगी के बाद दावा करनेवाली संस्थाओं से यह अपेक्षा की जाती है कि वे बकाया राशियों के वसूली के लिए कारगर कार्रवाई करें और अधिकारों के ग्रहण किये जाने के फलस्वरूप वसूली के लिए इस प्रकार की जो कार्रवाई की गई हो उसका खर्च वसूल हुई राशि में से शेष घटाकर वसूली की राशि में निगम का अंश उसे प्रेषित कर दें। ऋण संस्थाओं को निम्नलिखित मामलों में निर्णय लेने की शक्ति दी गई है: जमानत/जामिन को मुक्त करना, कानूनी कार्रवाई से छूट देना, बकाया राशियों के लिए समझौता करना और उन्हें कम करना तथा अधिकतम निर्दिष्ट सीमा के अंतर्गत आनेवाले मामलों के संबंध में बकाया राशियों को बट्टे खाता डालना। अन्य सभी मामलों में उनके लिए यह आवश्यक है कि वे निगम का पूर्ण अनुमोदन प्राप्त करें। किसी उधारकर्ता से संबंधित गारंटी के लागू किये जाने और उससे संबंधित दावे की अदायगी हो जाने पर उस उधारकर्ता को प्रदान किये जानेवाले दूसरे किसी ऋण के लिए निगम की गारंटी सुरक्षा उस समय तक उपलब्ध नहीं होती जब तक पहले निपटाये गये दावे के लिए निगम को देय राशि की अदायगी न कर दी गई हो।

and the securities whenever realisable before invoking the guarantee. The Corporation pays 50% or 60% (or 66 2/3%, 75% or 90% in the case of certain credit facilities granted upto 28 February 1983/31 December 1984) of the 'Amount in default', as the case may be, subject to certain absolute limits stipulated in the Schemes in regard to different categories of eligible activities. To smaller borrowers, relatively higher cover is provided by the Corporation. After payment of the claims, the claimant institutions are required to take effective steps to recover the dues and remit to the Corporation its share of the recoveries effected less expenses incurred for such recoveries, by virtue of the subrogation rights. Credit institutions have been delegated the power to take decisions in matters like change/release of security/surety, waiver of legal action, compromise and scaling down of dues and write off in respect of cases falling below specified cut-off points. In all other cases, they are required to obtain the Corporation's prior approval. On invocation of a guarantee and payment of a claim in respect of a borrower, the Corporation's guarantee cover is not available for any other credit extended to that borrower till the amount due to the Corporation on account of the claim already settled has been repaid.

अनुबंध
ऋण की गारंटी योजनायें - मुख्य-मुख्य बातें
प्रदान की गई गारंटी सुरक्षा की मात्रा और निर्धारित गारंटी फीस की दर

योजनायें	भाग सेनेवासी पात्र संस्थायें	उधारकर्ताओं की श्रेणी	गारंटी फीस	गारंटी सुरक्षा
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(क) छोटे उधारकर्ता	वाणिज्य बैंक	I परिवहन चालक	25,000/- रु. तक की ऋण सीमाओं अथवा इस राशि से अनधिक के ऋणों के लिए ½% और 25000/- रु. अधिक की राशि के लिए ¾% @	चूक की राशि की 60% अथवा 75,000/- रुपये में से जो कम हो उस तक
(ii) लघु ऋण गारंटी योजना, 1971	(क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों सहित)	II फुटकर व्यापारी, व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति तथा छोटा कारोबार	वही	चूक की राशि की 60% अथवा 50,000/- रु. में से जो कम हो उस तक
		III खेतिहर और किसान (1) फसलें उगाने के लिए	वही	चूक राशि का 60% अथवा 25,000/- रु. में से जो कम हो उस तक
		(2) विकास कार्यों के लिए	वही	चूक की राशि 60% अथवा 10,000/- रुपयों में से जो कम हो उस तक
		(3) विशेष परिस्थितियों के अधीन फसली ऋणों के अधिकतम तीन परिवर्तनों के लिए	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 7,500/- 160 रु. (अर्थात् 2500 रु. x 3) में से जो कम हो उस तक
		4 संबद्ध कार्यों के लिए		
		(i) मछली पालन	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 37,500/- रुपयों में से जो भी कम हो उस तक
		(ii) रेशम उत्पादन	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 18,750/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
		(iii) पशुपालन	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 15,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
		(iv) मुर्गी पालन	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 22,500/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
		(v) डेरी उद्योग	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 15,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक

@ क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों के मामले में गारंटी फीस ½% वार्षिक है जो 1 जुलाई 1979 से अथवा उनके इस योजना में शामिल होने की तारीख से, इनमें से जो पहले हो उससे, पाँच वर्षों की अवधि के लिए है।

अनुबंध (जारी)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
		5 किसी सहकारी समिति अथवा चीनी या किसी अन्य संसाधन कार्यकलाप में लगे निगमित निकाय के शेयर अर्जित करने के लिए	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 1,000/- रु में से जो भी कम हो उस तक
टिप्पणी: इस श्रेणी के अंतर्गत किसी उधारकर्ता को मंजूर की गई विभिन्न ऋण सुविधाओं के लिए निगम की दाये की कुल देयता 37,500/- रु. तक सीमित है।				
(iii) छोटे ऋण (वित्तीय निगम) गारंटी योजना, 1971	राज्य वित्तीय निगम	I परिवहन चालक	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 75,000/- रु में से जो भी कम हो उस तक
(iii) सेवा सहकारी समितियाँ गारंटी योजना, 1971	अनुसूचित वाणिज्य बैंक और राज्य तथा मध्यवर्ती सहकारी बैंक	II कारोबार उद्यम अपने सदस्यों को आदेश प्राप्त कराने, कच्चा माल खरीदवाने और उत्पादों के विपणन जैसी सुविधायें प्रदान करने में लगी सहकारी समितियों	वही	चूक की राशि का 60% अथवा 50,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
(iv) छोटे ऋण (सहकारी बैंक) गारंटी योजना, 1984	प्राथमिक शहरी सहकारी बैंक	I परिवहन चालक	वही	@ चूक की राशि का 60% अथवा 30,000/- रु में से जो भी कम हो उस तक
		II फुटकर व्यापारी		चूक की राशि का 60% अथवा 75000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
		III व्यवसायी और स्वनियोजित व्यक्ति		चूक की राशि का 60% अथवा 50,000/- रु. में से जो भी कम हो उस तक
		IV कारोबारी उद्यम		चूक की राशि का 60% अथवा 50,000 रु में से जो भी कम हो उस तक

अनुबंध (समाप्त)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ख) लघु उद्योग छोटे ऋण (लघु उद्योग) गारंटी योजना, 1981	क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों, सहकारी बैंकों, राज्य वित्तीय निगमों और राज्य विकास एजेंसियों सहित वाणिज्य बैंक	I 25 000/- रु. तक की की ऋण सीमाओं (ऋण सीमा अथवा ऋण की राशि) वाले उधारकर्ता	वही	चूक की राशि के 60% तक
		II जो तकनीशियन अथवा उद्यमकर्ता 2.00 लाख रुपयारू तक की ऋण सुविधाओंका लाभ उठा रहे हैं	वही	चूक की राशि के 60% तक
		2.00 लाख रुपयों से अधिक की राशि के लिए	वही	चूक की राशि का 50% या 10 लाख रुपयों में से जो भी कम हो उस तक का 50% अथवा 10
		III 2.00 लाख रुपयों से अधिक की कुछ सुविधाओं का लाभ उठानेवाले उधारकर्ता	वही	चूक की राशि लाख रुपयों में से जो भी कम हो उस तक

ANNEXURE
CREDIT GUARANTEE SCHEMES - Salient Features
Extent of guarantee cover provided and rate of guarantee fee prescribed

Schemes	Eligible participants	Category of borrowers	Guarantee fee	Guarantee cover	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	
(a) Small Borrowers (i) Small Loans Guarantee Scheme, 1971.	Commercial Banks (including Regional Rural Banks	(I) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¾% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-. In case of regional rural banks, the rate of guarantee fee is ¼% p.a. for a period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the Scheme, whichever is later.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.	
		(II) Retail Traders, Professional and Self-employed persons and Small Business.	— do —	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.	
		(III) Farmers & Agriculturists			
		(1) For raising crops	— do —	60% of the amount in default or Rs. 25,000/-, whichever is lower.	
		(2) For developmental activities	— do —	60% of the amount in default or Rs. 10,000/-, whichever is lower.	
		(3) For conversion of crop loans upto a maximum of 3 conversions under special circumstances	— do —	60% of the amount in default or Rs. 7,500 (i.e. Rs. 2,500 x 3), whichever is lower.	
		(4) For allied activities			
		(i) Pisciculture	— do —	60% of the amount in default or Rs. 37,500/-, whichever is lower.	
		(ii) Sericulture	— do —	60% of the amount in default or Rs. 18,750/-, whichever is lower.	
		(iii) Animal husbandry	— do —	60% of the amount in default or Rs. 15,000/-, whichever is lower.	
		(iv) Poultry farming	— do —	60% of the amount in default or Rs. 22,500/-, whichever is lower.	
		(v) Dairy farming	— do —	60% of the amount in default or Rs. 15,000/-, whichever is lower.	
		(5) For acquiring shares in any co-operative society or any other body corporate engaged in the manufacture of sugar or any other processing activity.	— do —	60% of the amount in default or Rs. 1,000/-, whichever is lower.	

Note: The total claim liability of the Corporation for various credit facilities granted to a borrower under this category is restricted to Rs. 37,500/-.

ANNEXURE— (Concl.)

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
(ii) Small Loans (Financial Corporations) Guarantee Scheme, 1971.	State Financial Corporations	(I) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¼% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.
		(II) Business Enterprises	-do-	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
(iii) Service Co-operative Societies Guarantee Scheme, 1971.	Scheduled Commercial banks (including regional rural banks) and State and Central Co-operative banks.	Co-operative societies engaged in providing to their members facilities like securing of orders, purchase of raw materials and marketing of products.	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¼% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-. In case of regional rural banks, the rate a guarantee fee is ¼% per annum for a period of five years from 1 July 1979 or from the date of their joining the scheme, whichever is later.	60% of the amount in default or Rs. 30,000/-, whichever is lower.
(iv) Small Loans (Co-operative Banks) Guarantee	Primary Urban Co-operative banks	(I) Transport Operators	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¼% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default or Rs. 75,000/-, whichever is lower.
		(II) Retail Traders	-do-	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
		(III) Professional & Self employed Persons	-do-	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
		(IV) Business Enterprises	-do-	60% of the amount in default or Rs. 50,000/-, whichever is lower.
(b) Small Scale Industries				
(i) Small Loans (Small Scale Industries) Guarantee Scheme, 1981.	Commerical banks (including regional rural banks, co-operative banks, state financial corporations and state development agencies	(I) Borrowers having credit facilities (credit limit or loan amount) not exceeding Rs. 25,000/-.	½% upto credit limits or loan amount not exceeding Rs. 25,000/- and ¼% in respect of amount exceeding Rs. 25,000/-.	60% of the amount in default
		(II) Technician entrepreneurs who are enjoying credit facilities not exceeding Rs. 2.00 lakhs.	-do-	60% of the amount in default
		For amounts in excess of Rs. 2.00 lakhs	-do-	50% of the amount in default or Rs. 10 lakhs, whichever is lower.
		(III) Borrowers having total credit facilities exceeding Rs. 2.00 lakhs.	-do-	50% of the amount in default or Rs. 10 lakhs; whichever is less.

Deposit Insurance & Credit Guarantee Corporation
Bombay India